



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश संग्रहालय

मई-2017



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश संग्रहालय



राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार

संग्रहालयों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश

प्रकाशन:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

भारत सरकार

एनडीएमए भवन

ए-1, सफदरजंग एन्क्लेव

नई दिल्ली-110029

2017

इन दिशानिर्देशों से उद्धरणों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उद्धरण का हवाला दें:

संग्रहालय के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश, 2017

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार का एक प्रकाशन



प्रधान मंत्री
Prime Minister

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पूरे भारत के संग्रहालयों में आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मुझे यह बताया गया है कि ये दिशानिर्देश आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेन्डाई रूपरेखा 2015-30 के अनुरूप बनाए गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह दस्तावेज हमारे संग्रहालयों के बचाव और सुरक्षा हेतु नए मापदंड स्थापित करने में दीर्घावधिक तक सहायक होंगे। ये दिशानिर्देश भारत की धरोहर के वैभव को बेहतरीन स्थिति में ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होंगे।

इस अवसर पर मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को शुभकामनाएं देता हूँ।

(नरेंद्र मोदी)

नई दिल्ली

15 मई, 2017

राजनाथ सिंह
RAJNATH SINGH




गृह मंत्री
भारत
नई दिल्ली-110001
HOME MINISTER
INDIA
NEW DELHI-110001

संदेश

मुझे यह देख कर प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने संग्रहालयों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश तैयार करने का कार्य निष्पादित किया है जोकि एक सूचनाप्रद दस्तावेज है जिससे देश भर के संग्रहालयों को अत्यंत लाभ प्राप्त होगा।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निभाई गई भूमिका काफी अहम और महत्वपूर्ण है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दिशानिर्देशों के आधार पर कार्रवाई करने से प्राकृतिक आपदाओं से अधिक प्रभावी और तेजी से निपटा जा सकेगा।

मैं एनडीएमए को इस प्रयास, जोकि आपदा जोखिम में न्यूनीकरण हेतु सेन्डाई कार्यवाही 2015-30 के अनुरूप है, के लिए बधाई देता हूँ। इससे संग्रहालयों में आपदा जोखिमों को कम करने की क्षमता बढेगी और वे भावी आपदाओं का सामना करने हेतु बेहतर रूप से तैयार होंगे।


(राजनाथ सिंह)

किरेन रीजीजू
KIREN RIJIJU



गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF STATE FOR
HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA



संदेश

हाल के वर्षों में भारत में आपदा प्रबंधन में आमूलचूल परिवर्तन आया है जो कि पूर्व के प्रतिक्रियाशील, राहत-आधारित दृष्टिकोण से अब एक सकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित हुआ है और इसका लक्ष्य नए जोखिमों को बनने से रोकना तथा प्रशमन उपायों के कार्यान्वयन द्वारा मौजूदा जोखिमों को कम करना है। इस प्रकार का दृष्टिकोण यह भी सुनिश्चित करता है कि आपदा की स्थिति में हम थोड़े समय में कारगर मोचन से और लंबे समय में बेहतर पुनःनिर्माण के जरिए परिणामों से निपटने हेतु बेहतर रूप से तैयार हैं।

एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जोकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु भरसक प्रयासरत है, मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को देश भर में आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यढांचा तैयार करने के लिए किए गए सराहनीय प्रयास पर बधाई देता हूँ। प्राधिकरण ने आपदा जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर दिशानिर्देशों की एक श्रृंखला जारी की है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस कार्य का विस्तार करते हुए इसमें संग्रहालयों को भी शामिल किया है।

संग्रहालय भारत की सांस्कृतिक पहचान को स्वरूप प्रदान करने हेतु अहम है क्योंकि वे देशवासियों के लिए देश की विविध धरोहर और ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं। मुझे जानकर हर्ष है कि इस दस्तावेज के विभिन्न पहलू संग्रहालय द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक एवं संस्थागत मूल्यों के संरक्षण से संबद्ध हैं। यह दस्तावेज आपदा जोखिम में न्यूनीकरण हेतु सेन्डाई रूपरेखा 2015-30 जैसे अंतरराष्ट्रीय कार्यढांचों के लक्ष्यों से प्रभावित होते हुए भारत के मौजूदा विधायी और संस्थागत परिप्रेक्ष्य को देखते हुए तैयार किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन दिशानिर्देशों से मंत्रालयों, संस्थानों और स्वायत्त संग्रहालय व्यावसायिकों को यह सुनिश्चित करने में सहायता होगी कि अखिल भारत के संग्रहालय आपदा स्थिति का सामना करने में सक्षम हों और सुरक्षा के उच्चतम मानकों का अनुपालन करें। मैं इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रयासों की सराहना करता हूँ और सभी हितधारकों से हमारे संग्रहालयों हेतु मिलकर कार्य करने का अनुरोध करता हूँ।

किरेन रीजीजू

17 मई, 2017

नई दिल्ली



प्रस्तावना

इन दिशानिर्देशों का बनाया जाना, जिसमें आपदा जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलू, चाहे वे खतरा आधारित हों अथवा विषय आधारित हों, शामिल हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अधिदेश का एक अहम हिस्सा है। इस अधिदेश के तहत, आपदाओं के कारण संग्रहालयों के बढ़ते विनाशकारी प्रभाव के प्रत्युत्तर में, संग्रहालयों में लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों को विकसित करने का निर्णय लिया गया। प्रमुख समिति जिसमें संग्रहालय विशेषज्ञ, संबंधित मंत्रालय और विभाग तथा अन्य हितधारक शामिल थे, को तैयार करने के साथ, दिशानिर्देशों को तैयार करने की नौ चरण वाली प्रक्रिया की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई। संग्रहालयों में आपदा जोखिम प्रबंधन से संबद्ध विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने की प्राथमिक प्रक्रिया के उपरांत भारतीय संग्रहालय तथा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता एवं राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में परामर्शी कार्यशालाओं की श्रृंखला के बाद दिशानिर्देशों की रूपरेखा को बनाया गया तथा इन्हें औपचारिक स्वरूप दिया गया।

इन दिशानिर्देशों का प्रयोजन संग्रहालयों के लिए ऐसा सांचा (टेम्पलेट) के रूप में काम करना है जिससे वे जोखिम आकलन, जोखिम न्यूनीकरण उपायों, जोखिम के प्रति तैयारी और आपातकालीन मोचन उपायों तथा आपदा उपरांत पुनर्बहाली हेतु योजना के माध्यम से अपनी आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाएं एवं कार्यनीतियां विकसित कर सकें। इनका उद्देश्य निषेधात्मक होना नहीं, अपितु संग्रहालय व्यावसायिकों को संग्रहालयों, संग्रहित वस्तुओं एवं आगंतुकों के समग्र प्रबंधन के दायरे में आपदा जोखिम प्रबंधन को समेकित करते हुए सक्षम बनाना है।

प्रारूप दिशानिर्देश अनेक बैठकों एवं परामर्शदात्री कार्यशालाओं के बाद तैयार किए गए जिनमें सलारजंग संग्रहालय, हैदराबाद में आयोजित विशेषज्ञों की समीक्षा हेतु एक कार्यशाला और कोर-कमेटी के बीच किया गया परिचालन का काम शामिल हैं। दस्तावेज को अद्यतन करने के उपरांत, दिशानिर्देशों का व्यापक परामर्श हेतु प्रसार कार्य किया गया और टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस तथा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, मुंबई के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा इसे समर्थित किया गया। कई मंत्रालयों, विभागों और व्यक्तिगत संग्रहालयों से समीक्षाएं एवं सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें विधिवत परिचर्चा के बाद दस्तावेज में शामिल किया गया।

हम इस अवसर पर विभिन्न हितधारक समूहों, जिन्होंने हमारे प्रयासों को स्वेच्छा से समर्थन एवं सहयोग प्रदान किया, की प्रतिबद्धता की अत्यंत सराहना करते हैं। हम कोर-कमेटी की विशेष सलाह हेतु उसके सभी सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करते हैं।

श्री कमल किशोर
सदस्य, एनडीएमए

डॉ. डी.एन. शर्मा
सदस्य, एनडीएमए

ले. जनरल एन.सी.मारवाह (सेवानिवृत्त)
सदस्य, एनडीएमए

श्री आर.के.जैन, आईएएस (सेवानिवृत्त)
सदस्य, एनडीएमए

अभिस्वीकृति

मैं कोर कमेटी के सभी विशेषज्ञ सदस्यों के अमूल्य योगदान के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने संग्रहालयों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देशों को स्वरूप प्रदान किया। यह दस्तावेज बैठकों, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं एवं कार्यक्रमों, अनौपचारिक फीडबैक सत्रों और विभिन्न व्यावसायिकों एवं हितधारकों के साथ साथ विभिन्न परामर्शदात्री कार्यशालाओं एवं गतिविधियों में भागीदारी करने वाले व्यक्तियों के साथ दीर्घ सक्रिय संवाद के माध्यम से किए गए व्यापक परामर्श का परिणाम है।

एनडीएमए की ओर से, मैं संबंधित मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों विशेष रूप से, श्रीमती रिद्धी मिश्रा (उप सचिव, संस्कृति मंत्रालय), श्री सुरेन्द्र ठाकुर (अवर सचिव, भारत सरकार) और डॉ उर्मिला संत (निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं, डॉ. जयंत सेनगुप्त (सचिव एवं संग्रहाध्यक्ष, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल), प्रो. मानवी सेठ, (डीन एवं विभागाध्यक्ष, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट), श्रीमती मंजरी अग्रवाल (शोधकर्ता, एनएमआई) और श्री आर के सिंह (संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान), जिन्होंने अपने अमूल्य संस्थागत समर्थन के साथ साथ व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान की, का भी धन्यवाद करूंगा।

इस व्यवसाय से जुड़े प्रख्यात व्यक्तियों अर्थात डॉ रोहित जिज्ञासु (यूनेस्को, अध्यक्ष प्रोफेसर, आर-डीएमयूसीएच, रितसुमेकन यूनिवर्सिटी, क्योटो), डॉ अंशु शर्मा, (निदेशक, एसईईडीएस, नई दिल्ली), श्री ज्योतिंद्र जैन (स्वतंत्र संग्रहालय विशेषज्ञ), श्री प्रमोद कुमार के. जी. (प्रबंध निदेशक, ईका सांस्कृतिक संसाधन एवं अनुसंधान), श्रीमती अपर्णा टंडन (परियोजना विशेषज्ञ, आईसीसीआरओएम), श्री आर एन सिंह (समकालीन कला से संबंधित स्वतंत्र विशेषज्ञ) और मृणालिनी वेंकटेश्वरन (स्वतंत्र संग्रहालय विशेषज्ञ) ने इस दस्तावेज के तकनीकी पहलुओं को स्वरूप प्रदान करने में सहायता प्रदान की।

हम विभिन्न संग्रहालयों में परीक्षण के उपरांत ही इन दिशानिर्देशों के अनेक प्रारूपों को संशोधित करने में सक्षम रहे। इस दिशा में, कोलकाता में इंडियन म्यूजियम और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल तथा नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय में एक दो-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमने डॉ. नागेन्द्र रेडडी (संयुक्त निदेशक, सलार जंग म्यूजियम) के संस्थागत समर्थन में हैदराबाद से सलार जंग म्यूजियम में एक कार्यशाला की। हमने जमशेदजी टाटा स्कूल ऑफ डिजास्टर स्टडीस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसिस और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से एक संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया। यह आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय और बोम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी में स्थल अध्ययनों के साथ मुंबई में टी एस रहमान इंस्टीट्यूट में संपन्न हुआ। हम इस संवाद और कार्यकलाप को आरंभ करने के लिए प्रो. जानकी अंधरिया (टीआईएसएस) के साथ उनके प्रतिबद्ध संकाय तथा सभी सहयोगी संस्थानों के कर्मचारियों को धन्यवाद देते हैं। डॉ. सब्यासाची मुखर्जी (निदेशक, सीएसएमवीएस), सुश्री नीलांजना सोम (क्यूरेटर, सीएसएमवीएस), श्री अजय कोचले, (सहायक निदेशक-प्रशासन सीएसएमवीएस) और श्री राहुल खोट (क्यूरेटर बोम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी) स्थल अध्ययनों में प्रमुख सहायता-प्रदाता थे। हम इन संग्रहालयों के कर्मचारियों और प्रबंधन को इन पहलों के आयोजन तथा इनमें भागीदारी हेतु आभार प्रकट करते हैं। श्री अनुपम साह

(सीएसएमवीएस म्यूजियम आर्ट कन्जर्वेशन सेंटर के कला, संरक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रमुख) ने संग्रहालय में संग्रहित वस्तुओं के साथ-साथ संग्रहणों के भंडारण और प्रबंधन संबंधी विषयों के संबंध में संरक्षण विषयों पर कुछ व्यवहार्य जानकारी प्रदान की।

इसके अतिरिक्त, समिति सदस्यों ने आपदा जोखिम प्रबंधन चुनौतियों तथा इन दिशानिर्देशों की सहायता से उनके निपटान को समझने के लिए निम्नलिखित संग्रहालयों का दौरा किया। श्रीमती के. मूर्तेश्वरी और श्रीमती नीति अनिल कुमार की सहायता से चेन्नै में फोर्ट संग्रहालय; श्रीमती निर्मला के सौजन्य से झारखण्ड राज्य संग्रहालय; श्री मनोज सक्सेना की सहायता से नालंदा में नालंदा संग्रहालय और पुदुचेरी संग्रहालय का दौरा किया गया। इन दिशानिर्देशों के लिए अध्ययनों में मानव संग्रहालय, भोपाल भी शामिल था जहां समिति सदस्यों ने डॉ. बी. शंकर राव, कर्नल नितिनराज देशपांडे और श्री दिवाकर मुखर्जी के साथ विस्तृत चर्चा की। श्री निखिल तांबोली और श्री ओमकार अधिकारी की सहायता से उदयपुर सिटी पैलेस म्यूजियम का दौरा भी एक मूल्यवान प्रकरण अध्ययन था। हम इन संग्रहालयों के कर्मचारियों और प्रबंधन के आतिथ्य तथा उनके उत्साह के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

इस समस्त कार्य की बागडोर श्री कमल किशोर (सदस्य, एनडीएमए) ने संभाली। उन्होंने इसकी संकल्पना से ही इस पहल में योगदान दिया है और इसका समय पर समापन सुनिश्चित किया। सदस्यों श्री आर. के. जैन, ले. जनरल एन. सी. मारवाह और डॉ. डी. एन. शर्मा ने नियमित रूप से इस कार्य में सक्रिय भागीदारी की। श्री राजीव महर्षि (केंद्रीय गृह सचिव, गृह मंत्रालय) इस कार्य के साथ साथ एनडीएमएके अन्य प्रयासों में निरंतर सहयोग प्रदान करने के लिए विशेष धन्यवाद के पात्र हैं।

इस दस्तावेज के लेखन कार्य को समायोजित करने का श्रेय सुश्री वनिका अरोड़ा (परामर्शदाता-हेरीटेज मैनेजमेंट, एनडीएमए) को जाता है जिन्होंने विभिन्न हितधारकों से प्राप्त निविष्टियों (इनपुट्स) को दस्तावेज में समावेशित करने का श्रम किया। डॉ. पवन कुमार (वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, एनडीएमए) और श्री पंकज कुमार (अवर सचिव, एनडीएमए) ने हितधारकों से निविष्टियों की प्राप्ति हेतु प्रशासनिक समर्थन एवं सहयोग प्रदान किया। एनडीएमए के नीति एवं योजना प्रभाग के विभिन्न स्टाफ सदस्यों ने दिशानिर्देशों को तैयार करने में सक्रिय भागीदारी निभाई जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।



डॉ. वी तिरुपुगल
संयुक्त सचिव (नीति एवं योजना), एनडीएमए

विषय-सूची

कार्यकारी सारांश	IV-V
संक्षेपाक्षर तथा संगठन	VI
प्रासंगिक परिभाषिक शब्दावली	VII-XI
1. परिचय	1
1.1 भारत में संग्रहालय	2
1.2 आपदाएं और संग्रहालयों पर उनका प्रभाव	4
1.3 वर्तमान विधायी कार्यवाहिका-एक विहंगावलोकन	6
1.3.1 भारत में संग्रहालयों हेतु कार्यवाहिका	6
1.3.2 भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु कार्यवाहिका	7
1.4 दूरदृष्टि (विजन), दृष्टिकोण एवं उद्देश्य	8
1.5 दिशानिर्देशों का कार्यक्षेत्र	9
1.6 दिशानिर्देशों का प्रयोग कैसे करें	9
1.7 कार्य योजना एवं कार्यान्वयन	9
2. प्रचालनात्मक कार्यवाहिका और कार्यान्वयन	11
2.1 विरासत मूल्यपरक वस्तुओं, संग्रहणों और स्थलों पर विशेष ध्यान	12
2.2 कार्रवाई योग्य कार्यनीतियों को प्राथमिकता देना	13
3. जोखिम की पहचान और मूल्यांकन	15
3.1 भारत में संग्रहालयों के प्रकारों (टाइपोलॉजीस) और कार्यप्रणाली को समझना	16
3.1.1 संग्रहालय की स्थानिक व्यवस्था	16
3.1.2 वस्तुएं एवं संग्रहण. प्राथमिकता प्रदान करने हेतु मूल्यांकन	16
3.2 जोखिम मूल्यांकन हेतु दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली	17
3.3 खतरों की पहचान करना	18

3.3.1	प्राकृतिक खतरे	18
3.3.2	मानव-प्रेरित खतरे	19
3.4	संवेदनशीलताओं की पहचान करना	20
3.4.1	भवन, अवसंरचना एवं आस-पड़ोस	20
3.4.2	सुरक्षा एवं प्रबंधन	21
3.4.3	संग्रहण, प्रदर्शन प्रणाली, भंडारण और संरक्षण प्रयोगशाला	22
3.5	आपदाओं के स्तर और आपदा जोखिम	23
3.6	जोखिम का मूल्यांकन और संभावित प्रभाव	24
4.	आपदा जोखिम की रोकथाम, न्यूनीकरण और प्रशमन	26
4.1	संदर्भ, स्थल, भवन और अवसंरचना	27
4.2	सुरक्षा एवं प्रबंधन	29
4.3	संग्रहण, प्रदर्शन और भंडारण प्रबंधन	30
5.	आपातकालीन तैयारी और मोचन हेतु योजना	32
5.1	आपातकालीन मोचन हेतु योजना के दृष्टिकोण	33
5.2	मॉनीटरिंग और अलार्म प्रणाली	34
5.3	आपातकालीन मोचनकर्ताओं के साथ आपदा स्थल से निकासी तथा समन्वय हेतु योजना	34
5.4	आपातकालीन मोचन प्रणाली	35
5.5	आपातकालीन कार्य दल का सृजन	35
5.6	आपातकालीन कार्य दल की भूमिका और उत्तरदायित्व	36
5.7	आपातकालीन आपूर्तियां एवं उपकरण	38
6.	आपदा पश्चात मूल्यांकन, पुनर्बहाली, और पुनर्वास	39
6.1	आपदा पश्चात मूल्यांकन	41
6.2	प्रलेखन की मूलभूत प्रक्रिया और आपदा पश्चात हानि का मूल्यांकन	41
6.3	आपातकालीन स्थायित्व की बहाली और अस्थायी भंडारण	42
6.4	वित्तपोषण, साझेदारी और व्यवसाय संबंधी योजना	43
6.5	पुनर्बहाली को जोखिम न्यूनीकरण से जोड़ना	43

7.	जागरूकता लाना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	44
7.1	स्टाफ एवं प्रबंधन को प्रशिक्षण	45
7.2	आगंतुकों में जागरूकता लाना	47
7.3	आपदा प्रबंधन से जुड़े पेशेवर व्यक्तियों को प्रशिक्षण, आपदा मोचन बल	47
7.4	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं आदान-प्रदान	47
	संदर्भ-ग्रंथ सूची और स्रोत	48
	अनुबंध	52
1.	संग्रहालयों की राज्य-वार सूची	53
2.	संग्रहालयों के प्रकार और संग्रहालय के संग्रहणों का परिचय	55
3.	संग्रहालयों और जोखिमों की राज्य-वार रूपरेखा	56
4.	राष्ट्रीय और राज्य पुरातात्विक कृत्यों की सूची	60
5.	जोखिम मूल्यांकन हेतु मूलभूत जांच-सूची	62
	5.1 जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया	62
	5.2 जोखिमों का अभिज्ञान	62
	5.3 संवेदनशीलता की पहचान करना- एक परिचायक जांच-सूची	63
6.	आपातकालीन तैयारी और मोचन हेतु जांच-सूची	66
	6.1 आपातकालीन मोचन के लिए तैयार रहने हेतु जांच-सूची	66
	6.2 निकासी हेतु परिचायक जांच-सूची	66
	6.3 भवनों और अवसंरचना के मूल्यांकन हेतु जांच-सूची	67
	6.4 संग्रहणों हेतु जांच-सूची	68
7.	राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता से संदर्भ	70
	योगदानकर्ता	71

कार्यकारी सारांश

संग्रहालयों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश इस दूरदृष्टि के साथ बनाए गए हैं कि:

संग्रहालय उन व्यक्तियों, जोकि उससे संबद्ध हैं तथा उन संग्रहणों जोकि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मूल्यवान योगदान हैं और स्थानीय, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय पहचान के द्योतक हैं, आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु किए गए सततधारणीय प्रयासों के माध्यम से संवर्धित तन्यकता के साथ सकुशल और सुरक्षित स्थान होने चाहिए।

इन दिशानिर्देशों को संग्रहालयों से संबद्ध व्यावसायिकों के लिए जोखिम आकलन, जोखिम न्यूनीकरण, आपातकालीन मोचन और आपदा पश्चात पुनर्स्थापन के लिए अपनी आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाएं एवं कार्यनीतियां विकसित करने हेतु एक नमूने के रूप में देखा जा सकता है। इनका उद्देश्य निषेधात्मक नहीं अपितु संग्रहालयों को उनके समग्र कार्यप्रचालन के भीतर आपदा जोखिम प्रबंधन को समावेशित करने में सक्षम बनाना है। इस दस्तावेज में आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रत्येक स्तर का चरणबद्ध वर्णन किया गया है।

प्रथम अध्याय में भारत में संग्रहालयों, उनके कार्यक्षेत्र तथा उनके प्रकारों के साथ-साथ आपदा जोखिम के संबंध में उनके समक्ष आने वाले विशिष्ट मुद्दों का परिचय दिया गया है। इसमें संग्रहालयों से संबद्ध विधायी कार्यवाहियों की विविधता का वर्णन भी है और इसमें दिशानिर्देशों के लक्ष्यों और उद्देश्यों निर्धारण किया गया है। द्वितीय अध्याय में संग्रहालयों हेतु आपदा जोखिम प्रबंधन के कार्य निष्पादन से पूर्व आवश्यक विशिष्ट विचार मंथन का वर्णन है और कार्यान्वयन हेतु व्यापक कार्यवाहियों को निर्धारित किया गया है।

तीसरे अध्याय में संग्रहालयों में संकट और उनके प्रति संवेदनशीलता की पहचान करने, और जोखिम विश्लेषण, भवनों, अवसंरचना और आस-पास के परिसर; सुरक्षा प्रबंधन और संग्रहणों, प्रदर्शन प्रणालियों, भंडारण और संरक्षण प्रणालियों की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें आपदाओं और संबद्ध जोखिमों के विभिन्न परिमाणों, आपदा प्रबंधन माहौल का सृजन करने और कार्रवाई को प्राथमिकता देने के लिए इन जोखिमों के संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने संबंधी वर्णन है।

चौथे अध्याय में पिछले अध्याय में किए गए वर्णन से जोड़कर आपदा जोखिम से बचाव, उसमें न्यूनीकरण और उसके शमन की चर्चा की गई है। इसमें बहुत से स्तरों पर हस्तक्षेप के माध्यम से आपदा जोखिम में न्यूनीकरण करने के प्रत्येक पहलू के लिए निर्देशात्मक कार्रवाई का निर्धारण किया गया है। पांचवे अध्याय में आपातकालीन स्थिति में तैयार रहने हेतु योजना बनाने और सुव्यवस्थित आपातकालीन दलों के जरिए आपातकालीन मोचनकर्ताओं के समन्वय से लोगों के साथ-साथ वस्तुओं और संग्रहणों की निकासी हेतु दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए संग्रहालयों की प्रतिक्रिया का वर्णन किया गया है।

छठे अध्याय में आपदा पश्चात आकलन, पुनर्बहाली और पुनर्वास प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। इसमें दस्तावेज न हेतु मूलभूत प्रक्रिया तथा वस्तुओं और संग्रहणों का आकलन, आपातकालीन स्थितिमें पुनर्स्थापन की प्रक्रिया एवं अस्थायी भंडारण पर विचार करने की प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया गया है। इसमें पुनः बहाली हेतु व्यावसायिक योजना को बनाने तथा जोखिम न्यूनीकरण को पुनर्स्थापन से संबद्ध करने के महत्व को उजागर किया गया है।

अंत में, सातवें अध्याय में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पहलों का उल्लेख किया गया है जोकि संग्रहालय से संबद्ध व्यावसायिकों के साथ साथ आपदा प्रबंधन से जुड़े व्यक्तियों में जागरूकता लाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए अहम हैं कि वे संग्रहालयों में आपदा जोखिम के समय पूरी तरह तैयार रहें। संदर्भों के लिए एक विस्तृत संदर्भ-सूची ग्रंथ के साथ प्रत्येक स्तर पर परिचायक जांच बिंदुओं की श्रृंखला भी दी गई है।

यह सिफारिश की जाती है कि इस दस्तावेज में निर्धारित कार्यवाहियों और कार्रवाई का व्यवस्थित और समय पर उपयोग किया जाए ताकि संग्रहालयों को उनसे संबद्ध व्यक्तियों के साथ साथ उनमें भंडारित संग्रहणों और वस्तुओं के लिए सुरक्षित बनाया जा सके।

संक्षेपाक्षर तथा संगठन

एसआई	:	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
सीआईएसएफ	:	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
डीडीएमए	:	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
आईसीसीआरओएम	:	अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संपत्ति संरक्षण एवं पुनरुद्धार अध्ययन केंद्र
आईसीओएम	:	अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद्
आईसीओएमओएस	:	अंतरराष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद्
आईएमडी	:	भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईएनटीएसीएच	:	भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास
एमओसी	:	संस्कृति मंत्रालय
एमईए	:	विदेश मंत्रालय
एमओयूडी	:	शहरी विकास मंत्रालय
एनडीएमए	:	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एनआईडीएम	:	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
एनसीएसएम	:	राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्
एनडीआरएफ	:	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
एनएमआई	:	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान
एसडीएमए	:	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
यूएन	:	संयुक्त राष्ट्र
यूएनईएससीओ	:	संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन
यूएनआईएसडीआर	:	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कार्यनीति

प्रासंगिक परिभाषिक शब्दावली

नोट- यह शब्दावली यूएनआईएसडीआर के परिभाषिक शब्दावली डॉटाबेस और आईसीओएम तथा आईसीओएमओएस द्वारा स्वीकृत शब्दावली से संदर्भ ग्रहण करके संकलित की गई है।

स्वीकार्य जोखिम: अथवा सहनीय जोखिम, वह सीमा जिस तक आपदा जोखिम को स्वीकार्य अथवा सहनीय माना जाता है; यह मौजूदा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और पर्यावरण संबंधी परिस्थितियों पर आधारित होता है।

टिप्पणी: इंजीनियरिंग के मायनों में, स्वीकार्य जोखिम उन संरचनात्मक तथा गैर- संरचनात्मक उपायों का आकलन करने तथा उन्हें परिभाषित करने हेतु प्रयोग किया जाता है जोकि खतरों तथा अन्य कारकों की ज्ञात संभावनाओं के आधार पर कोड अथवा “स्वीकार्य पद्धति” के अनुसार जनसाधारण, संपत्ति, सेवाओं, और प्रणालियों को होने वाली संभावित क्षति को एक निर्धारित सहनीय स्तर तक कम करने हेतु आवश्यक है।

परिग्रहण: किसी वस्तु की संग्रहण के रूप में औपचारिक स्वीकृति तथा संग्रहालय की संपत्ति में उसे दर्ज करना और सामान्यतः इसमें वस्तु पर अधिकार का हस्तांतरण भी शामिल है।

क्षमता: सहमती प्राप्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक समुदाय, समाज अथवा संगठन में उपलब्ध समस्त शक्तियां, लक्षण एवं संसाधन का संयोजन।

क्षमता विकास: यह प्रक्रिया जिसके माध्यम से लोग, संगठन और समाज, सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एक समय के अंतराल में व्यवस्थित ढंग से अपनी क्षमताओं का उभारते और विकसित करते हैं। इसमें ज्ञान, कौशल, प्रणाली और संस्थानों को बेहतर बनाना शामिल है।

सूची बनाना (कैटालॉगिंग): एक स्थापित वर्गीकरण प्रणाली में एक वस्तु का स्थान निर्दिष्ट करना तथा उस वस्तु की पहचान, उत्पत्ति, परिग्रहण और संग्रहणों के भंडारण क्षेत्र में उस वस्तु की कैटालॉग संख्या और स्थान जैसी जानकारी का रिकॉर्ड रखना।

जलवायु परिवर्तन: (क) जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) के अनुसार जलवायु परिवर्तन की परिभाषा है ‘जलवायु की स्थिति में वह परिवर्तन जिसकी पहचान औसतन परिवर्तन और/अथवा उसके गुणों की विविधता द्वारा (उदाहरणतः सांख्यिकी परीक्षणों के प्रयोग द्वारा) की जा सकती है और जोकि विस्तारित अवधि, आम तौर पर दशकों के लिए अथवा उससे अधिक के लिए बना रहता है। जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक आंतरिक प्रक्रियाओं और बाह्य दबाव, अथवा वातावरण की संरचना अथवा भूमि के प्रयोग में लगातार मानव जनित बदलावों के कारण हो सकता है।’ (ख) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) जलवायु परिवर्तन को ‘जलवायु में एक ऐसा परिवर्तन जोकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मानव कार्यकलापों के कारण वैश्विक वातावरण की संरचना में

परिवर्तन है तथा ऐसा परिवर्तन जोकि तुलनात्मक समय अवधियों में देखी गई प्राकृतिक जलवायु विविधता के साथ होता है' के रूप में परिभाषित करता है।

संरक्षण: सांस्कृतिक धरोहर को समझने, उसके इतिहास और उसके अर्थ को जानने, उसकी भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा यथापेक्षित प्रस्तुति, पुनरुद्धार और अभिवृद्धि हेतु किए गए सभी प्रयास (आईसीओएमएस, 1994)।

इसके अतिरिक्त,

सांस्कृतिक धरोहर का उसके महत्वपूर्ण अक्षुण्ण मूल्यों और यथासंभव सर्वाधिक पहुँच के साथ उसके प्रसार से संबंधित (गेट्टी कन्सर्वेशन इंस्टीट्यूट , 2008)।

सांस्कृतिक धरोहर: वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन की धारा 1 में दी गई परिभाषा के अनुसार स्मारकों और सांस्कृतिक मूल्य वाले भवनों अथवा स्थलों का समूह।

धारा 1

इस परिपाटी के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित को सांस्कृतिक धरोहर माना जाएगा।

स्मारक: इतिहास, कला अथवा विज्ञान की दृष्टि से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाले वास्तुशिल्प, विशाल मूर्तिकला अथवा चित्रकला, संरचनाएं, शिलालेख, गुफाएं अथवा इन सभी तत्वों का मिश्रण।

भवनों का समूह: पृथक एवं सम्बद्ध भवन, जो अपनी वास्तुकला, अपनी एकरूपता अथवा लैंडस्केप में अपने स्थान के कारण इतिहास, कला अथवा विज्ञान की दृष्टि से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य रखते हैं।

स्थल: मानवीय कृत्य अथवा प्रकृति और मानव के संयुक्त कृत्य और पुरातात्विक स्थलों सहित वह क्षेत्र जोकि ऐतिहासिक, सौंदर्य, जैव परिस्थितिकी या मानव जाति विज्ञान की दृष्टि से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं (यूनेस्को, 1972)

लोगों के एक समूह से जुड़ी तथा एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को हस्तारित की गई मान्यताएं, मूल्य, दार्शनिक प्रणालियाँ, ज्ञान, व्यवहार, रीतियाँ, कलाएं, इतिहास, अनुभव, भाषाएं, सामाजिक संबंध, संस्थान और भौतिक वस्तुएं तथा कृतियाँ। लोगों अथवा समाज का यह समुदाय जाति, युग, भाषा , राष्ट्रीय मूल, धर्म अथवा सामाजिक श्रेणियों अथवा समूहों के कारण संबद्ध हो सकता है (गेट्टी, 2010) ।

सांस्कृतिक महत्व: सांस्कृतिक महत्व से अभिप्राय विगत, वर्तमान, अथवा भावी पीढ़ियों के लिए सौंदर्य, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा आध्यात्मिक मूल्य से है। सांस्कृतिक महत्ता उस स्थान विशेष, उसके निर्माण, उसकी व्यवस्था, उसके उपयोग, उसकी संबद्धताओं, उसके अभिप्रायों, उसके अभिलेखों, संबंधित स्थानों और संबंधित वस्तुओं में सन्निहित होती है। विभिन्न व्यक्तियों अथवा समूहों के लिए स्थानों का मूल्य भिन्न-भिन्न हो सकता है। (आईसीओएसओएम ऑस्ट्रेलिया, 2004)।

आपदा: एक समुदाय अथवा एक समाज के काम-काज में चिंताजनक/गंभीर व्यवधान जिसमें व्यापक मानवीय, भौतिक, आर्थिक अथवा पर्यावरणीय हानि और उस पर प्रभाव पड़ना शामिल हों जिसकी क्षतिपूर्ति प्रभावित समुदाय अथवा समाज अपने संसाधनों से करने में अक्षम हो।

आपदा की पहुँच (एक्सपोजर): आपदा क्षेत्रों में मौजूद लोगों, संपत्तियों, आजीविका साधनों, प्रणालियों अथवा अन्य घटकों की संख्या (जोकि संभावित हानि की चपेट में हों) को आपदा की पहुँच (एक्सपोजर) कहा जाता है। (यू एन आई एस डी आर, 2009 बी और आई पी सी सी, 2012)

खतरा: एक खतरनाक घटना, तत्व, मानवीय गतिविधि अथवा स्थिति जिससे जीवन को हानि, दुर्घटना पहुँच सकती हो अथवा जिससे अन्य स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव, संपत्ति हानि, आजीविका एवं सेवाओं की हानि, सामाजिक और आर्थिक विघटन/व्यवधान, अथवा पर्यावरणीय क्षति हो।

आपदाओं के खतरों की सूची

- स्खलन: हिम स्खलन, बर्फ का खिसकना
- शीत लहर: अत्यंत ठंड, निम्न तापमान, ठंडा तापमान
- चक्रवात: झंझावात, उष्णकटिबंधीय तूफान, उष्णकटिबंधीय अवसाद, बवंडर
- सूखा: वर्षा की कमी, बंजर की स्थिति, वर्षा का अत्यंत अभाव
- भूकंप: भूकंपीय (सीस्मिक), इमारत संबंधी (टेक्टोनिक)
- संक्रमण और महामारी: संक्रमण: ब्यूबोर्निक प्लेग, हैजा, गैर-महामारी रोग, टायफॉयड, महामारी: एच1एन1, एचआईवी, चेचक, क्षयरोग
- आग
- बाढ़: जलप्लावन, इसमें अचानक आई बाढ़ शामिल है
- लू (ग्रीष्म लहर): अत्यंत गरम मौसम, अत्याधिक तापमान, उच्च तापमान
- कीट संक्रमण: टिडडी, प्लेग, मधुमक्खियाँ
- भूस्खलन: मलबे का प्रवाह, मिट्टी का बहना, मिट्टी खिसकना, चट्टान गिरना, भूमि का खिसकना, लावा, चट्टान खिसकना अथवा गिरना
- एन बी सी- नाभिकीय, जैविक, रासायनिक: जैव आपदा जोखिम, रासायनिक संदूषण, नाभिकीय विकिरण जोखिम
- भीषण तूफान: तटीय जलप्रवाह, ऊँची लहरें, आंधी
- तूफान, बादल का फटना
- तकनीकी आपदा: रासायनिक स्राव/रिसाव, विस्फोट, विनाश, गैस रिसाव, शहरी आग, तेल रिसाव, तकनीकी विफलता
- आतंकवाद: सशस्त्र संघर्ष और युद्ध
- बवंडर: जलस्तंभ, ट्विस्टर, भंवर
- सुनामी
- ज्वालामुखी: क्रेटर, लावा, शैलभूत, द्रवित सामग्री, पायरोक्लास्टिक प्रवाह, आग्नेय शिला, ज्वालामुखी की राख
- जंगल में आग लगना: झाड़ियों में आग, वन में आग, अनियंत्रित आग, वन्यभूमि में आग

प्रशमन: जोखिमों और संबद्ध आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना अथवा सीमित करना

संग्रहालय: संग्रहालय एक समाज सेवा एवं समाज के विकास हेतु एक गैर लाभकारी, स्थायी संस्थान है, जोकि जनता के लिए खुला है और जो शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन के प्रयोजनों हेतु मानवता की मूर्त और अमूर्त धरोहर को अभिग्रहित करता है, संरक्षित रखता है, उन पर अनुसंधान करता है, संबंधित जानकारी संप्रेषित और प्रदर्शित करता है।

प्राकृतिक आपदा का खतरा: प्राकृतिक प्रक्रिया अथवा घटक जिससे जीवन को हानि, दुर्घटना हो सकती हो अथवा जिससे अन्य स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव, संपत्ति हानि, आजीविका एवं सेवाओं की हानि, सामाजिक और आर्थिक व्यवधान, अथवा पर्यावरणीय हानि हो।

आपदा से निपटने की तैयारी: सरकारों, व्यवसायिक मोचन एवं पुनःबहाली संगठनों, समुदायों और व्यक्तियों द्वारा विकसित जानकारी एवं क्षमता जिससे संभावित, आसन्न और वर्तमान जोखिम अवसरों एवं स्थितियों के प्रभावों को कारगर ढंग से प्रत्याशित किया जा सके, उनका प्रत्युत्तर दिया जा सके और उनसे उबरा जा सके।

रोकथाम: जोखिमों और संबंध आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों को पूरी तरह से टालना ।

जन जागरूकता: आपदा जोखिम के बारे में आम जानकारी की सीमा, आपदा के लिए उत्तरदायी कारणों की जानकारी और जोखिमों के प्रभाव और उसके प्रति संवेदनशीलता के लिए व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से संभव प्रयासों की जानकारी।

पुनर्बहाली: आपदा प्रभावित समुदायों की सुविधाओं, आजीविका साधनों तथा जीवन-यापन की परिस्थितियों को पुनर्स्थापित करना और जहाँ यथोचित हो, उन्हें बेहतर बनाना। इसमें आपदा जोखिम घटकों को कम करने का प्रयास करना भी शामिल है।

पुनर्निर्माण: पुनर्निर्माण का अर्थ है एक स्थान को उसकी ज्ञात पूर्व स्थिति में वापस लाना और वह पुनरूद्धार से भिन्न है क्योंकि इसमें निर्मित संरचना में नई सामग्री का उपयोग होता है। (आई सी ओ एम ओ एस, आस्ट्रेलिया, 2004)

अवशिष्ट (शेष) जोखिम: वह आपदा जोखिम जोकि प्रभावशाली आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों के बावजूद भी कायम रहता है और जिसके लिए आपातकालीन मोचन और पुनर्बहाली क्षमता को अनुरक्षित बनाए रखना आवश्यक है। अवशिष्ट जोखिम की उपस्थिति का तात्पर्य है कि एक समग्र दृष्टिकोण के नाते सुरक्षा प्रणालियों तथा जोखिम हस्तांतरण तंत्रों जैसी सामाजिक आर्थिक नीतियों के साथ आपातकालीन सेवाओं, जोखिमों से निपटने हेतु तैयार रहने, प्रत्युत्तर देने/मोचन और पुनर्बहाली के लिए प्रभावशाली क्षमताओं को विकसित करने और समर्थित करने की निरंतर आवश्यकता है।

पुनरूद्धार: पुनरूद्धार की प्रक्रिया एक अति विशिष्ट अभियान है। इसका लक्ष्य स्मारक के सौंदर्यपरक और ऐतिहासिक मूल्य को संरक्षित रखना और उजागर करना है तथा यह मौलिक सामग्री और प्रामाणिक दस्तावेजों के सम्मान पर आधारित है। यह काम अनुमान पर आधारित नहीं होना चाहिए और इस मामले में अपरिहार्य अतिरिक्त कार्य वास्तुशिल्प संरचनासे भिन्न होना चाहिए और उसमें समकालिक समय की छवि होनी चाहिए। पुनरूद्धार के किसी भी मामले में पुनरूद्धार से पूर्व और उपरांत स्मारक का पुरातात्विक और ऐतिहासिक अध्ययन किया जाना चाहिए (आईसीओएमओएस 1964)

पुनरूद्धार का अर्थ किसी स्थान की संरचना को अतिक्रमण हटाकर अथवा नई सामग्री को सम्मिलित किए बिना मौजूदा घटकों को पुनः एकत्रित करके ज्ञात पूर्ववर्ती स्थिति में लाना है। (आईसीओएमओएस आस्ट्रेलिया, 2004)

जोखिम: किसी घटना के घटित होने की संभावना तथा उसके नकारात्मक परिणामों का संयोजन।

जोखिम मूल्यांकन: संभावित जोखिमों तथा उसके प्रति संवेदनशीलता की मौजूदा परिस्थितियों जिनसे जोखिम की परिधि के भीतर मौजूद लोगों, संपत्ति, सेवाओं, आजीविका साधनों और पर्यावरण की संभावित हानि हो सकती है, का विश्लेषण और मूल्यांकन करके जोखिम की प्रकृति तथा उसकी सीमा का निर्धारण करने की प्रक्रिया।

ठोस विकास: भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमताओं के साथ समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला विकास।

मूल्य: विधानों, नियंत्रण प्राधिकरणों और/अथवा अन्य हितधारकों द्वारा धरोहर स्थलों एवं वस्तुओं को दिया जाने वाला सकारात्मक महत्व। यह महत्व एक स्थल को महत्वपूर्ण बनाता है और इसी कारण समाज एवं प्राधिकरण एक विशिष्ट सांस्कृतिक स्थल अथवा वस्तु में रुचि लेते हैं। आम तौर पर समाज में मौजूद समूह संसाधन को दिए गए मूल्य से लाभ की अपेक्षा रखते हैं। (गेट्टी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट, 2004)

संवेदनशीलता/असुरक्षितता: समुदाय, प्रणाली अथवा परिसंपत्ति की विशेषताएं और परिस्थितियां जोकि उसे खतरे के हानिकारक प्रभाव के प्रति संवेदनशील बनाती हैं।

- 1.1 भारत में संग्रहालय
- 1.2 आपदाएं और संग्रहालयों पर उनका प्रभाव
- 1.3 वर्तमान विधायी कार्यवाहिका-एक विहंगावलोकन
 - 1.3.1 भारत में संग्रहालयों हेतु कार्यवाहिका
 - 1.3.2 भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु कार्यवाहिका
- 1.4 दूरदृष्टि (विजन), दृष्टिकोण एवं उद्देश्य
- 1.5 दिशानिर्देशों का कार्यक्षेत्र
- 1.6 दिशानिर्देशों का प्रयोग कैसे करें
- 1.7 कार्य योजना एवं कार्यान्वयन

1.1 भारत में संग्रहालय

दिनांक 24 अगस्त, 2007 को विएना, ऑस्ट्रिया में 22वीं आम सभा द्वारा संग्रहालयों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद (आईसीओएम) के विधानों के अनुसार:

संग्रहालय समाज सेवा एवं उसके विकास हेतु एक गैर-लाभकारी, स्थायी संस्थान है, जोकि जनता के लिए खुला है और जो शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन के प्रयोजनों हेतु मानवता की मूर्त और अमूर्त धरोहर को अभिग्रहित करता है, संरक्षित रखता है, उन पर अनुसंधान करता है, संबंधित जानकारी संप्रेषित और प्रदर्शित करता है।

संग्रहालय, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक दोनों तरह की विविध धरोहरों का संग्रह रखते हैं और संस्थान के रूप में ये समुदाय के सामाजिक-सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। संग्रहालय उनमें रखी एवं प्रदर्शित वस्तुओं एवं संग्रहों के माध्यम से क्षेत्रीय, राज्यीय एवं राष्ट्रीय पहचान बनाने में योगदान देते हैं। सांस्कृतिक संस्थानों के रूप में, संग्रहालयों का एक लंबा इतिहास है जोकि 200 ई.पू. पुराना है जिसके सबसे प्राचीन उदाहरण यूनानी सभ्यता में देखे जा सकते हैं। शताब्दियों के अंतराल में, संग्रहालयों के कार्यक्षेत्र और स्वरूप में विस्तार हुआ है और यह कलाकृतियों और विलक्षण वस्तुओं के निजी संग्रह के प्रदर्शन से बढ़कर वह संस्थान बन गए हैं जो एकत्रित वस्तुओं के अर्थपूर्ण वर्णन के साथ प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञान संवर्धन करते हैं।

भारत में, संग्रहालय की व्यापक रूप से स्वीकृत संकल्पना एक औपनिवेशिक निर्माण के रूप में शुरू हुई थी। भारतीय संग्रहालयों में संग्रहणों और विषयों की


व्यापक श्रेणी एवं विविधता है। भारत में समकालिक संग्रहालय उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में औपनिवेशिक अवधि के दौरान बने प्रारंभिक प्रारूपों से परिवर्तित हुए हैं। तथापि, संग्रहणों, विलक्षण वस्तुओं, पुरातन वस्तुओं और सौंदर्य मूलक वस्तुओं को प्रदर्शित करने की परंपरा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य से भी पहले से मौजूद है और *चित्रशाला* (चित्रों का कक्ष) अथवा *अजायब घर* (अदभुत वस्तु गृह), जैन *भंडार* और इसी प्रकार के अन्य विविध स्वरूपों में इसकी उपस्थिति थी। कुछ ऐसे संग्रहण थे जोकि प्राथमिक रूप से शाही घरानों, राजसी एवं धार्मिक संस्थानों के निरंतर संरक्षण का परिणाम थे। ब्रिटिश विद्वानों एवं पुराविदों ने अपने स्वयं के संग्रहणों को बनाना आरंभ किया और अंततः इन वस्तुओं को भंडारित करने की आवश्यकता के चलते कोलकाता में एशियाई समाज परिसर में एक अस्थायी व्यवस्था की स्थापना हुई। अंत में, इन संग्रहणों को भारतीय संग्रहालय में रखा गया, जोकि भारत का पहला सरकारी संग्रहालय था जिसे 1814 में खोला गया (थापर, 2014)। केंद्रीय रूप से प्रशासित कई संग्रहालय अभी भी स्थापित पश्चिमी टाइपोग्राफी का अनुसरण करते हैं परंतु वर्तमान प्रवृत्तियों में क्षेत्रीय इतिहास और संस्कृतियों को प्रदर्शित करने के ऐसे अभिनव तरीके सामने आए हैं जोकि विशिष्ट रूप से प्रासांगिक हैं।

हाल के वर्षों में, संग्रहालय प्रबंधन आगंतुकों अथवा दर्शकों की ओर ध्यान केंद्रित करने लगे हैं। व्याख्या एवं संप्रेषण मुख्य विषय वस्तु बन गए हैं और संग्रहालय व्यवसाय में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। भारत में संग्रहालयों की संख्या वर्ष 2009 में 746 से बढ़कर वर्ष 2015 में 833 हो गई है (इनटेक, 2013)। इनमें से 142 संग्रहालय केंद्र सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय (एमओसी) के माध्यम से सीधे अथवा भारतीय पुरातत्व


सर्वेक्षण (एएसआई), अथवा अन्य मंत्रालय के विभागों के माध्यम से प्रशासित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, 300 संग्रहालय राज्य सरकारों द्वारा प्रशासित किए जाते हैं। इसके अलावा, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त सोसाइटी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (एनसीएसएम) पूरे भारत में 48 विज्ञान केंद्रों/संग्रहालयों/तारामंडलों को नियंत्रित करती है।

विषय या संग्रहणों की प्रकृति के आधार पर संग्रहालयों की 54 श्रेणियाँ हैं। इसके अतिरिक्त, संग्रहालय प्रायः एएसआई के अंतर्गत बड़े संस्थानों और धरोहर स्थलों जैसे कि विश्वविद्यालय संग्रहालयों अथवा स्मारक

संग्रहालयों से संबद्ध होते हैं। कतिपय संग्रहालय अन्य मंत्रालयों जैसे कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि द्वारा भी नियंत्रित किए जाते हैं। स्तर, प्रबंधन, विषय वस्तु और भौगोलिक परिस्थितियों में इस विविधता के कारण, संग्रहालयों का प्रबंधन, विशेष रूप से आपदा जोखिम प्रबंधन के पहलू अनन्य चुनौतियों प्रस्तुत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास (इन्टैक) की संग्रहालय निर्देशिका से लिया गया एक उद्धरण प्रबंधन एवं संग्रहणों के प्रकार के आधार पर संग्रहालयों की प्रमुख श्रेणियों को उजागर करता है।



चित्र 1 प्रबंधन के आधार पर संग्रहालयों के प्रकार (स्रोत: इन्टैक, 2013)



चित्र 2 विषय वस्तु के आधार पर संग्रहालयों के प्रकार (स्रोत: इन्टैक, 2013)

ये सात प्रकार के संग्रहालय कुल मिलाकर देश के सभी संग्रहालयों के लगभग 80 प्रतिशत का लेखा प्रस्तुत करते हैं।

देश में संग्रहालयों के भौगोलिक वितरण में भी काफी विविधता है। जहाँ उत्तर प्रदेश में 88 संग्रहालय हैं, वहीं नागालैंड में केवल 2 संग्रहालय मौजूद हैं।

1.2 आपदाएं और संग्रहालयों पर उनका प्रभाव

हाल के वर्षों में आपदाओं की आवृत्ति और जनजीवन, संपत्ति और आजीविका पर इसके प्रभाव में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है (यूएनआईएसडीआर, 2009)। तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ते समाज, बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन आदि से देशों की, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों की, संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है।

प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि हाल ही में वर्ष 2016 में पेरिस में आई बाढ़ से प्रतिष्ठित संग्रहालय लूव्र तथा म्यूजी द आर्स को बड़े खतरे का सामना करना पड़ा। गोरखा भूकंप जिसने वर्ष 2015 में नेपाल को तहस-नहस कर दिया था, के कारण, छाउनी राष्ट्रीय संग्रहालय के भवन तथा संग्रहणों को काफी नुकसान पहुँचा था। विगत कुछ वर्षों में, भारत में संग्रहालयों पर इन आपदाओं का अत्यंत दुष्प्रभाव पड़ा है। श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में भी प्रताप सिंह संग्रहालय का भवन एवं संग्रहण वर्ष 2014 की बाढ़ में बुरी तरह से तहस-नहस हो गए। राजकोट और जूनागढ़ में पुरालेख संबंधित इमारतों तथा भुज में संग्रहालय और पुस्तकालय भवनों को, वर्ष 2001 में भुज में आए भूकंप ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया।

तथापि, सभी आपदाएं प्राकृतिक कारणों से नहीं होतीं। सीरिया, मिस्र, तुर्की और माली में सशस्त्र संघर्ष की स्थिति कुछ ऐसे उदाहरणों में से एक है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय पहचान को हानि पहुंचाने के


कृत्य के रूप में प्रायः संग्रहालयों जैसे सांस्कृतिक संस्थानों को हानि पहुंचाने के अलाभकारी प्रयास किए जाते रहे हैं।

26 अप्रैल 2016 को, नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री) में लगी भीषण आग ने केवल इसके भवन को ही हानि नहीं पहुंचाई अपितु संग्रहालय में संग्रहित वस्तुओं और पुस्तकालय के एक बड़े खंड जिसमें कई अत्यंत दुर्लभ कलाकृतियाँ भी शामिल थीं, को भी नष्ट कर दिया। आग और बाढ़ देश भर में संग्रहालयों को हानि पहुंचाने का एक प्रमुख कारण हैं। दुर्भाग्यवश, ये घटनाएं मानव-जनित आपदाओं की एक लंबी सूची में से केवल कुछ आपदाओं के कारण हुई हैं जिनसे विश्व के संग्रहालयों को व्यापक और प्रायः अपूरणीय क्षति पहुंची है।

प्राकृतिक अथवा मानव-जनित आपदा के मामले में इन घटनाओं की स्थिति में संग्रहालयों को अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अन्य सार्वजनिक संस्थानों के विपरीत, संग्रहालय में संसाधनों अथवा जागरूकता के अभाव अथवा प्राथमिकता देने की कमी के कारण संग्रहालयों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों की उपेक्षा की जाती है। **संग्रहालयों में आपदा जोखिम प्रबंधन संबंधी कुछ विशिष्ट चुनौतियों को संक्षेप में यहाँ सूचीबद्ध किया गया है:**

1. संग्रहालयों में विविध व्यक्तिगत वस्तुएं एवं संग्रहण शामिल होते हैं जिनमें पुरातात्विक खोज से प्राप्त वस्तुओं से लेकर जैविक पदार्थ तक शामिल होते हैं जिनकी संवेदनशीलता का जायज़ा मानकीकृत दृष्टिकोणों से लगाना कठिन है।
2. आपदा के घटने के बाद, मानव जीवन को बचाने, अवसंरचना और निवास स्थानों की पुनर्बहाली और समुदायों के पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, अतः संग्रहालय जैसी सांस्कृतिक धरोहर पर इनके बाद ध्यान जाता है।

3. संग्रहालयों में संग्रहित वस्तुओं के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर विशेष योजना की आवश्यकता होती है जिसमें जोखिम को समझना, उसे कम करना (अथवा प्रशमन) से लेकर अंततः आपदा-पश्चात इसका इलाज भी शामिल है।
4. संग्रहालय प्रायः ऐतिहासिक भवनों में बनाए जाते हैं, जहाँ संरचना और उसका आवरण स्वयं ही अत्यंत मूल्यवान होता है परंतु संभवतः वे संरचनात्मक रूप से अधिक संवेदनशील होते हैं। कुछ संग्रहालय खुली जगह में बनाए जाते हैं, अथवा दुर्गम क्षेत्रों और स्थलों पर बनाए जाते हैं जिससे उनकी संवेदनशीलता और बढ़ जाती है।
5. आम तौर पर, संग्रहालय प्रबंधन एवं स्टाफ आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किए जाने वाले मूलभूत उपायों और आपातकालीन समय में तैयार रहने तथा मोचन देने संबंधी उपायों से अवगत नहीं होते और उनकी समस्त क्षमता सीमित स्तर की होती है।
6. संग्रहालयों पर मानव-प्रेरित जोखिमों जैसे कि आगजनी, चोरी, आतंकवाद का संकट मंडराता रहता है क्योंकि संग्रहालय प्रायः क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय पहचान/अस्मिता से जुड़े होते हैं।
7. आपदा-पश्चात परिदृश्यों में, विशिष्ट उपकरण और कर्मियों के अभाव से बचाव एवं पुनर्बहाली कार्य में वस्तुओं और संग्रहणों को और अधिक क्षति पहुंच सकती है। अस्थायी भंडारण हेतु विनिर्दिष्ट क्षेत्रों का अभाव भी आपदा-पश्चात हानि में बढ़ोतरी का कारण हो सकता है।
8. आपदा-पश्चात पुनर्बहाली योजनाओं जिनमें जिला और राज्य स्तरीय संग्रहालय शामिल हैं, के अभाव में संग्रहालयों को पुनर्निमाण अथवा पुनर्वास हेतु निधि अथवा संसाधन आबंटित नहीं किए जाते।



चित्र 3 संग्रहालयों पर आपदाओं का प्रभाव

तथापि, अद्यतन अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दिया है जिसमें सांस्कृतिक धरोहर के बचाव के विषय को आपदा जोखिम प्रबंधन के तहत शामिल किया गया है। वर्ष 2005 में, हयोगो-फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (यूएनआईएसडीआर, 2005) में 'पारंपरिक और स्थानीय ज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर' की संभावित भूमिका और आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रियाओं में संस्कृति विषय को शामिल करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। एक दशक पश्चात, आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेन्डाई फ्रेमवर्क¹ (यूएनआईएसडीआर, 2015) इस क्षेत्र में हुई प्रगति को प्रदर्शित करता है। यह प्राथमिकता क्षेत्र 1 और 3 में धरोहर की भूमिका को अभिज्ञात करता है और विशेष रूप से **“सांस्कृतिक और संग्रहण संस्थानों तथा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर एवं धार्मिक रूचि के अन्य स्थलों को संरक्षित करने या उन्हें सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को उजागर करता है;”**(प्राथमिकता 3, कार्रवाई (घ))

इसके अतिरिक्त, ठोस विकास हेतु सम्पूर्ण कार्यसूची में सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक संस्थानों की भूमिका को महत्व देना अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र कार्यसूची 2030 में **“विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित और सुरक्षित करने हेतु प्रयासों को सुदृढ़ करना की आवश्यकता को सुनिश्चित रूप से स्वीकार किया गया है”** (लक्ष्य 11- शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, समुत्थानशील और विकासपरक बनाया जाए ।

1. सेन्डाई फ्रेमवर्क एक 15 वर्षीय स्वेचिऊक, गैर-बाध्यकारी समझौता है जोकि इस बात को मान्यता देता है कि जोखिम को कम करना सरकार की प्राथमिक भूमिका का हिस्सा है परंतु यह जिम्मेदारी स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र सहित अन्य हितधारकों द्वारा भी साझा की जानी चाहिए । सेन्डाई फ्रेमवर्क हयोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन (एचएफए) 2005-2015 बिल्डिंग द रेसीलिएंस ऑफ नेशंस एंड कम्युनिटीस टू डिजास्टर्स(यूएनआईएसडीआर) का अनुवर्ती दस्तावेज है ।

हमारे राष्ट्रीय नीति कार्यवाहों में भी इस बदले हुए दृष्टिकोण को आत्मसात किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (2009) में आपदा जोखिमों में कमी के लिए स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों द्वारा निभाई गई भूमिका के साथ-साथ धरोहर स्थलों हेतु जोखिम न्यूनीकरण पर बल देने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2016) में भी संग्रहालयों सहित सांस्कृतिक संस्थाओं की भूमिका को स्वीकार किया गया है।

1.3. मौजूदा विधायी कार्यवाहों- एक पुनरावलोकन

1.3.1 भारत में संग्रहालयों हेतु कार्यवाहों

भारत के किसी राज्य क्षेत्र अथवा उसके भूभाग में निवास करने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को, अपनी अलग भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार है - भारत के संविधान की धारा 29,

‘हमारी सम्मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व देना और उसे सुरक्षित रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा’- भारत के संविधान की धारा 51 क (ख)

भारत के संविधान में संस्कृति के विभिन्न मूर्त और अमूर्त पहलुओं का अभिज्ञान करने, उसे महत्व देने और उसे संरक्षित करने हेतु प्राथमिक कार्यवाहों निर्धारित है। इस कार्यवाहों के कार्यान्वायन हेतु शीर्ष निकाय संस्कृति मंत्रालय है, जोकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार और अपने समस्त अधिकार क्षेत्र के अधीन स्वायत्त निकायों, जिनमें सात राष्ट्रीय संग्रहालय और अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं, के माध्यम से कार्य करता है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, पुरातात्विक अनुसंधानों और राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु एक अग्रणी

संगठन है। प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों तथा राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों का अनुरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य है। इसके अतिरिक्त, यह प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के उपबंधों के अनुसार देश में सभी पुरातात्विक कार्यकलापों को विनियमित करता है। यह पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 को भी विनियमित करता है।

भारत में सांस्कृतिक धरोहर पर लागू राष्ट्रीय विधान/ अधिनियम निम्नलिखित हैं:-

राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्वाधान में:

- प्राचीन संस्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958 (राजपत्रित अधिसूचना 2010)
- पुरावशेष तथा प्राचीन संस्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 और प्राचीन संस्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष नियम 1959
- पुराविशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 और पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति नियमावली, 1973

अधिकांश राज्यों में राज्य विधान/अधिनियम भी है जो राज्य के पुरातात्विक स्मारकों और स्थलों पर लागू होते हैं (अनुबंध में इसकी एक विस्तृत सूची संलग्न है)। इसमें से कुछ संग्रहालयों हेतु नीतियां तथा अधिनियम निर्धारित करते हैं, जबकि अन्य केवल स्थलों के प्रबंधन से संबंधित हैं।

किसी एक समय पर, देश भर में संग्रहालयों पर कोई एक विशेष विधायी कार्यवाही लागू नहीं होता। सरकारी संग्रहालय, संग्रहालय के प्रकार के अनुसार विभिन्न केंद्रीय अथवा राज्य मंत्रालयों के जरिए प्रशासित किए जा सकते

हैं। निजी संग्रहालय धर्मार्थ न्यासों, विश्वविद्यालयों आदि के अंतर्गत संस्थानों के रूप में चलाए जाते हैं।

1.3.2. भारत में आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु कार्यवाही

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) को देश भर में विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों द्वारा आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने हेतु अधिदेशित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु संस्थागत विधायी, वित्तीय और समन्वय तंत्रों को निर्धारित करता है।

इसी अधिदेश के अनुसार, एनडीएमए ने इन दिशानिर्देशों को तैयार किया है। भारत सरकार के प्रत्येक विभाग/मंत्रालय को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार आपदा जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करनी होती है। अतः संस्कृति मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालय जो संग्रहालयों को नियंत्रित करते हैं, को अपनी आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाएं तैयार करनी होती हैं और यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके तत्वावधान में कार्य कर रहे संगठन भी अपनी अलग आपदा जोखिम चिंताओं के समाधान हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएं। ये दिशानिर्देश नमूने (टेम्पलेट) के तौर पर मंत्रालयों और संस्थानों को अपनी योजनाएं विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं। इन दिशानिर्देशों के आधार पर विकसित योजनाओं को एनडीएमए से अनुमोदन और समीक्षा की आवश्यकता होती है (एनडीएमए, 2009)। तदनुसार, प्रत्येक संग्रहालय को अपनी आपदा जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करनी अपेक्षित होती है।

मई 2016 में, एनडीएमए ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) बनाई जिसमें प्राथमिकता आधार पर लघु- आवधिक, मध्यम-आवधिक और दीर्घ-आवधिक समयावधियों में विभाजित करते हुए निरंतर कार्रवाई के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर आपदा समुत्थानशीलता को बढ़ाने के उपाय निर्धारित किए गए हैं। एनडीएमपी आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेन्डाई फ्रेमवर्क, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश है, के तहत कार्य करती है और यह आपदा जोखिम प्रबंधन चक्र के सभी चरणों के लिए सरकारी एजेंसियों को कार्यवाही और निर्देश प्रदान करती है।

यह नोट किया जाए कि एनडीएमए सांस्कृतिक धरोहर स्थलों संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देश बनाने हेतु प्रक्रियारत जोकि वर्ष 2017 तक पूरी हो जाएगी। इनका उपयोग संग्रहालयों हेतु दिशानिर्देशों के साथ संदर्भ के अंतर्गत किया जाए, विशेष रूप से उन संग्रहालयों और संग्रहणों के लिए जोकि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में महत्वपूर्ण भवनों या स्थलों में उपलब्ध हैं।

1.4 दूरदृष्टि (विजन), दृष्टिकोण एवं उद्देश्य

संग्रहालयों हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश भारत के सभी संग्रहालयों, चाहे वे केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित हों अथवा गैर सरकारी बोर्डों अथवा निजी व्यक्तियों और संस्थानों के अधीन हों, पर लागू होगा। 'हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व देने और सुरक्षित रखने' के संवैधानिक अधिकार के नाते और भारत की विशिष्ट धरोहर को सभी के साथ साझा करने के लिए संग्रहालयों संबंधी एएसआई नीति के अधिदेश के रूप में, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि:-

संग्रहालय उन व्यक्तियों, जोकि उससे संबद्ध है तथा उन संग्रहणों जोकि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मूल्यवान

योगदान हैं और स्थानीय, क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय पहचान के द्योतक हैं, आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु किए गए ठोस प्रयासों के माध्यम से समुत्थानशीलता के माध्यम से संरक्षित और सुरक्षित स्थान होने चाहिए।

इन दिशानिर्देशों को संग्रहालय से संबद्ध व्यावसायिकों के लिए जोखिम आकलन, जोखिम न्यूनीकरण, आपातकालीन मोचन और आपदा - पश्चात पुनर्बहाली के लिए अपनी आपदा जोखिम योजनाएं एवं कार्यनीतियां विकसित करने हेतु एक नमूने के रूप में देखा जा सकता है। इनका उद्देश्य निषेधात्मक नहीं अपितु संग्रहालयों को उनके समग्र कार्यप्रचालन के भीतर आपदा जोखिम प्रबंधन को समावेशित करने में सक्षम बनाना है। इस दस्तावेज में आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रत्येक स्तर का चरणबद्ध वर्णन किया गया है।

दशानिर्देशों के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:-

- बहु-खतरा और अंतर-विषयक दृष्टि कोण के जरिए संग्रहालय की सुरक्षा का समाधान करना ।
- भवन की दीवारों की संरचनात्मक सुरक्षा और अवसंरचना विशिष्टतः महत्वपूर्ण अवसंरचना का कार्यप्रचालन सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि संग्रहित वस्तुओं के प्रबंधन, भवन और अवसंरचना प्रबंधन तथा आगंतुक प्रबंधन सहित संग्रहालय के प्रबंधन में शामिल सभी पेशेवर व्यक्ति आपदा से निपटने के लिए तैयार हों।
- यह सुनिश्चित करना कि देश में संग्रहालय अपनी आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाएं विकसित करने हेतु व्यवस्थित हों।

1.5 दिशानिर्देशों का कार्यक्षेत्र

भारत में संग्रहालय केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक न्यासों तथा बोर्डों के माध्यम से प्रशासित किए जाते हैं। इन दिशानिर्देशों में निर्धारित उपबंध सरकारी क्षेत्र और उसके समकक्ष निजी स्वामित्व के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अधीन सभी संग्रहालयों पर लागू होते हैं। ये दिशानिर्देश आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाओं का विकल्प नहीं हैं, अपितु संग्रहालयों में विशेष आपदा जोखिमों की पहचान और समाधान हेतु एक शुरुआत मात्र हैं।

1.6 दिशानिर्देशों का प्रयोग कैसे करें

ये दिशानिर्देश संग्रहालयों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न मंत्रालयों के साथ साथ व्यक्तिगत संग्रहालयों को आपदा जोखिम प्रबंधन योजना से परिचित करने हेतु एक मूलभूतकार्यकांचा निर्धारित करते हैं। ये दिशानिर्देश योजना का विकल्प नहीं है और केवल उन दो-भौतिक और संस्थागत अपेक्षाओं को निर्धारित करते हैं जिन्हें आपदा जोखिमों को कम करने हेतु संग्रहालयों द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है। खंड 2, 3, 4, 5 और 6 के साथ संकेतात्मक सूची दी गई है जोकि आपदा जोखिम प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर निष्पादित किए जाने वाले मूलभूत

कार्यों को निर्धारित करती है। संदर्भ सूची और संसाधन खण्ड में नियमावलियों और संदर्भ सामग्री की सूची दी गई है, जोकि संग्रहालय व्यावसायिकों को उनकी योजना विकसित करने संबंधी प्रयासों में सहायता के लिए है। खण्ड 7 जागरूकता सृजन और क्षमता निर्माण से संबंधित है और इसका उपयोग संग्रहालय स्तर के साथ साथ संस्थागत स्तर पर अभ्यास संचालन के लिए किया जाना चाहिए।

1.7 कार्य योजना एवं कार्यान्वयन

इन दिशानिर्देशों में वर्णित संग्रहालय सुरक्षा और संग्रहण प्रबंधन हेतु कुछ उपबंधों पर तुरंत कार्रवाई अपेक्षित होती है जबकि दीर्घकालीन कार्यनीतियों और परिवर्तनों के कार्यान्वयन में समय और संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है। इन कार्रवाईयों को प्राथमिकता आधार पर लघु-आवधिक (0-1 वर्ष), मध्यम-आवधिक (1-5 वर्ष) और दीर्घ-आवधिक (5-10 वर्ष) में बांटा गया है।

ये कार्रवाईयां विभिन्न एजेसियों द्वारा उनके संबंधित स्तरों पर उत्तरदायित्व निभाते हुए कई स्तरों पर निष्पादित करने की आवश्यकता होती है।

स्तर	कार्रवाई	उत्तरदायी एजेंसी
राष्ट्रीय	संग्रहालय की वर्तमान तैयारी और संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन करने हेतु एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण	गैर सरकारी संस्थानों और अन्य सांस्कृतिक संस्थानों तथा नेटवर्कों के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय
	अपने तत्वावधान के अंतर्गत आने वाले सभी संग्रहालयों हेतु एक सुनियोजित आपदा जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करना	संस्कृति मंत्रालय
	संस्थागत क्षमता का निर्माण करना, संग्रहालयों में व्यावसायिकों हेतु राष्ट्रीय रूप से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में	राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान तथा अन्य राष्ट्रीय संग्रहालय विज्ञान के कार्यक्रमों के

राज्य	आपदा जोखिम प्रबंधन को शामिल करना	जरिए संस्कृति मंत्रालय
	संग्रहालयों में आपातकालीन स्थितियों से निपटने हेतु राष्ट्रीय मोचन दलों के मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम	एनआईडीएम, सीआईएसएफ, एनडीआरएफ
	सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों पर एक नियमावली विकसित करना और भारतीय परिप्रेक्ष्य में विस्तृत दिशानिर्देश बनाना। इंटरैक्टिव ऐप पर आधारित टूल्स भी विकसित किए जा सकते हैं।	यथावश्यक होने पर एनडीएमए
	आपातकालीन स्थिति के दौरान ऐसे प्रशिक्षित व्यावसायिकों जिन्हें संगठित किया जा सकता है, का डेटाबेस सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर संग्रहालयों और संग्रहालय व्यावसायिकों का नेटवर्क और डायरेक्टरी तैयार करना	राज्य के पुरातत्व विभाग/राज्य संग्रहालय कदम उठाएं
	राज्य आपदा प्रबंधन योजनाओं में संग्रहालयों हेतु समन्वित कार्यनीतियों बनाना तथा उनसे संग्रहालयों को सुनियोजित करना	राज्य स्तरीय संग्रहालय और अन्य बड़े संग्रहालय
जिला	छोटे संग्रहालयों सहित सभी संग्रहालयों को अभिज्ञात करना और समग्र आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाओं में उनकी चिंताओं का उचित समाधान खोजना तथा जिला स्तरीय क्षमता निर्माण करना	जिला संग्रहालय, डीडीएमए
संग्रहालय	आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाओं को विकसित करना और जिला/राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर प्रचालित बड़े आपदा जोखिम कार्यवाहियों से उन्हें संबद्ध करना	संग्रहालय
	यथालागू सामान्य राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा स्थानीय डेटाबेस में संग्रहणों को डिजिटल करना, प्राथमिकता देना और सुनियोजित करना।	संग्रहालय
	संस्थागत स्तर पर क्षमता निर्माण करने वाली प्रशिक्षण गतिविधियों और अभ्यास कार्यक्रमों का रोस्टर बनाना	संग्रहालय
	नियमित अंतरालों पर लेखा परीक्षा और अनुरक्षण कार्यकलाप	संग्रहालय

चित्र 4 कार्यान्वयन कार्यवाहियों का

खण्ड 2 प्रचालनात्मक कार्यढांचा और कार्यान्वयन

- 2.1 विरासत मूल्यपरक वस्तुओं, संग्रहणों और स्थलों पर विशेष ध्यान
- 2.2 कार्रवाई योग्य कार्यनीतियों को प्राथमिकता देना।

2.1 विरासत मूल्यपरक वस्तुओं, संग्रहणों और स्थलों पर विशेष ध्यान

किसी भी आपदा की स्थिति में मानव जीवन की सुरक्षा को अन्य सभी घटकों से ऊपर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अतः यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि सभी संग्रहालय को मौजूदा जोखिम और प्राकृतिक और मानव जनित दोनों का सामना करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए और भंडारण तथा संग्रहण के प्रदर्शन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वर्तमान संग्रहालयों का संभावित आपदा जोखिमों हेतु मूल्यांकन किया जाना चाहिए और स्थल तथा आस-पड़ोस और भवन एवं अवसंरचना को संरचना की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपग्रेड करना चाहिए। आगंतुकों और कर्मिकों की सुरक्षित निकासी हेतु स्पष्ट आपदा मोचन कार्य नीतियों की व्यवस्था होनी चाहिए।

तथापि, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्यात्मक रूप से मूल्यवान ऐतिहासिक भवनों और संग्रहणों के संबंध में सांस्कृतिक महत्व अथवा मूल्य की हानि के बिना उसे अपग्रेड करना संभव नहीं होगा। संग्रहालय में आपदा जोखिम प्रबंधन की योजना बनाते समय ऐतिहासिक भवन, स्थल अथवा संग्रहण में निहित मूल्य एक अहम घटक है। इस कारण से, दोनों घटकों, मूल्य तथा


संभावित जोखिमों का मूल्यांकन करना और उन्हें प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। संग्रहणों और निर्मित धरोहर के संबंध में, उसकी प्रामाणिकता और मूल्य को अनुरक्षित रखने के लिए एक कतिपय सीमा तक जोखिम को 'स्वीकार्य' माना जा सकता है। यह जोखिम मौजूदा सांस्कृतिक, तकनीकी और पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर स्वीकार्य अथवा सराहनीय हो सकता है।

वर्ष 2005 में अपनाई गई क्योटो उद्घोषणा² में उल्लिखित है कि :

आपदा बचाव उपायों से योजना प्रक्रिया और कार्यक्रमों के जरिये, तथा विभिन्न सांस्कृतिक संस्थानों, शहरी योजना एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय से, एकाकी तौर पर नहीं, अपितु व्यापक रूप से सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा की जानी चाहिए। आपदा प्रशमन करते समय सांस्कृतिक धरोहर प्रबंधन हेतु एक समन्वित बहु - एजेंसी दृष्टिकोण जिसमें प्रभावी साझेदारी और उपयुक्त वित्तपोषण के जरिए जोखिम से बचाव की तैयारी हेतु उपायों को एकीकृत किया जाता है, को अपनाना आवश्यक है।

रेट्रोफिटिंग संरचनाओं के लिए मानकीकृत अवधारणाएँ, प्रवेश और निकास द्वारों को बनाना, जटिल अवसंरचना को सुविधाजनक बनाने हेतु अतिरिक्त व्यवस्थाएं करना, भवन और संग्रहणों पर किसी तरह नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं; यह समझना अहम है।

2. आपदाओं में हानि से सांस्कृतिक संपत्तियों, ऐतिहासिक क्षेत्रों और उनकी स्थापनाओं की सुरक्षा संबंधी क्योटो उद्घोषणा 2005 (16 जनवरी, 2005 को क्योटो काइकौन में आयोजित "आपदा से सांस्कृतिक संपत्तियों और ऐतिहासिक/शहरी क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु" क्योटो अंतरराष्ट्रीय सिंजियम 2005 में अपनाए गए)



चित्र 5 आपदा जोखिम प्रबंधन चक्र (स्रोत : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016)

2.2 कार्रवाई योग्य कार्यनीतियों को प्राथमिकता देना

ये दिशानिर्देश आपदा जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के अलग अलग स्तरों को देखते हुए बनाए गए हैं, जिसमें आपदा जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर हेतु दिशानिर्देश दिए गए हैं। आपदा जोखिम प्रबंधन को एक ऐसे निरंतर चक्र के रूप में अपनाना महत्वपूर्ण है जो कि एक संस्थान के समग्र प्रबंधन के भीतर इसे एकीकृत करे और संग्रहालय के कार्यकलापों में इन कार्रवाइयों को सुनियोजित करे।

यही क्रम संग्रहालय के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन योजना विकसित करने हेतु उपयोग किया जा सकता है।

दिशानिर्देशों के लक्ष्य एवं उद्देश्य:

आपदा जोखिम का मूल्यांकन

- लोगों, आगंतुकों कार्मिकों और प्रबंधन को पहुँचने वाले जोखिम के साथ समग्रमूल्य को संभावित जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करना।
- संग्रहालय के घटक, जो उसके समग्र सांस्कृतिक मूल्य में योगदान देते हैं, की पहचान और मूल्यांकन करना।
- स्थल तक पहुँच, जटिल अवसंरचना की उपस्थिति आदि जैसे घटकों सहित भवन के अलावा आपदा जोखिम, स्थल और उसके विषय तथा आसपास के परिसर की पहचान और मूल्यांकन करना।

आपदा जोखिम रोकथाम और कटौती / प्रशमन

- स्वीकार्य जोखिम और सांस्कृतिक मूल्य के साथ साथ आर्थिक मूल्य के बोध के आधार पर कार्रवाई को प्राथमिकता के अनुसार लघु -आवधिक, मध्यम-आवधिक, दीर्घावधिक में वर्गीकृत करना। जहां मानवजीवन की सुरक्षा हेतु उच्च मानकों को अनुरक्षित किया जाता है वहां जहां तक संभव हो न्यूनतम हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाए।
- संग्रहालय के संग्रहणों के लिए सर्वाधिक महत्व वाली वस्तुओं से शुरू करते हुए निम्न महत्व की वस्तुओं तक की पहचान करते हुए एक सूची बनाई जाए और स्टाफ को उपलब्ध कराई जाए। यह उन्हें जोखिम से बचाव और कटौती के साथ साथ आपातकालीन मोचन उपायों को अपनाने में सहायक होगी।
- इसी प्रकार “निम्न” महत्व के रूप में अभिज्ञात वस्तुओं को त्याज्य न माना जाए। समस्त संग्रहणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रत्येक प्रयास किया जाए।
- आपदा की स्थिति में संग्रहणों की न्यूनतम हानि सुनिश्चित करने के लिए स्थल और संग्रहणों को सुरक्षित करने हेतु विशेष प्रयास किए जाएँ।

आपातकालीन तैयारी और मोचन की योजना

आपदा पश्चात पुनर्बहाली और पुनर्वास

- पुनर्बहाली योजना को प्राथमिकता देने के लिए आपदा - पश्चात मूल्यांकन के समय आपदा से पूर्व वस्तु के दर्ज महत्व पर विचार किया जाए।
- संग्रहालयों के पुनर्वास कार्य की अनदेखी न की जाए क्योंकि समुदाय की पहचान/ अस्मिता में इनका महत्वपूर्ण योगदान है।

चित्र 6 आपदा जोखिम प्रबंधन योजना, संरचना एवं क्रम

- 3.1 भारत में संग्रहालयों के प्रकार (टाइपोलॉजीस) और कार्यप्रणाली को समझना
 - 3.1.1 संग्रहालय की स्थानिक व्यवस्था
 - 3.1.2 वस्तुएं एवं संग्रहण: प्राथमिकता प्रदान करने हेतु मूल्यांकन
- 3.2 जोखिम मूल्यांकन हेतु दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली
- 3.3 जोखिम की पहचान करना
 - 3.3.1 प्राकृतिक खतरे
 - 3.3.2 मानव-प्रेरित खतरे
- 3.4 संवेदनशीलता की पहचान करना
 - 3.4.1 भवन, अवसंरचना एवं आस-पास का परिसर
 - 3.4.2 सुरक्षा एवं प्रबंधन
 - 3.4.3 संग्रहण, प्रदर्शन प्रणालियाँ, भंडारण और संरक्षण प्रयोगशाला
- 3.5 आपदाओं के परिमाण और आपदा जोखिम
- 3.6 जोखिम का मूल्यांकन और संभावित प्रभाव

3.1 भारत में संग्रहालयों के प्रकार और कार्यप्रणाली को समझना

संग्रहालय स्तर पर जोखिम की पहचान और मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है:

1. सभी संग्रहणों, प्रदर्शित किए गए और भंडार, संरक्षण प्रयोगशाला में रखे गए, की एक विस्तृत सूची बनाई जाए और उसे अद्यतन किया जाए। यह अत्यंत मूल्यवान संग्रहणों को प्राथमिकता देने और उनकी वर्तमान स्थिति का रिकॉर्ड रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

2. संग्रहालय भवन और स्थल, उससे संलग्न परिसर और आस-पास के स्थान का एक विस्तृत दस्तावेज तैयार रखना। भारत में संग्रहालयों का एक विस्तृत डेटाबेस तैयार करने में एक उपयोगी अभ्यास हो सकता है जिन्हें वर्तमान में उपलब्ध तथा भविष्य में उपलब्ध होने वाले खतरा मानचित्रण में शामिल किया जा सकता है।

3. संग्रहालय जटिल संस्थान है जिसमें कुछ क्षेत्रों में विशेष योजना बनाने की आवश्यकता है। व्यापक रूप से संग्रहालयों में सार्वजनिक प्रदर्शन स्थान होते हैं जोकि सभी के लिए सुलभ होते हैं, भंडारण स्थान होते हैं जहाँ आंतरिक पर्यावरण की निरंतर निगरानी और नियंत्रण की आवश्यकता होती है, तथा प्रशासनिक स्थान से संग्रहालय के दैनिक प्रबंधन को नियंत्रित किया जाता है। तथापि, प्रत्येक संग्रहालय का परिमाण, स्थानिक ले-आउट और पहुंच जैसे सभी पहलू अनूठे होते हैं।

3.1.1 संग्रहालय की स्थानिक व्यवस्था

संग्रहालय की स्थानिक व्यवस्था को सार्वजनिक, आंशिक रूप से सार्वजनिक, निजी और सेवा क्षेत्रों में बांटा जाता है। व्यापक तौर पर, प्रत्येक क्षेत्र अथवा जोन के कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:-

- i) सार्वजनिक और आम क्षेत्र (कॉमन एरियाज)
 - आगमन क्षेत्र, प्रवेश लॉबी

- टिकट काउंटर और/अथवा सुरक्षा जांच
- स्वागत/सूचना डेस्क
- कैफेटेरिया, म्यूजियम शॉप, अन्य विक्रय स्थान

ii) प्रदर्शन क्षेत्र

- प्रदर्शन स्थल
- पुस्तकालय और अभिलेखागार
- सभागार और सेमीनार हॉल

iii) कार्यालय और प्रशासन

- सुरक्षा और नियंत्रण कक्ष
- निदेशक, क्यूरेटर, प्रबंधक, स्टाफ कार्यालय
- भोजन कक्ष, बैठक कक्ष

iv) संरक्षण एवं भंडारण

- संरक्षण लैब तथा कार्य क्षेत्र
- संग्रहणों के खुले भंडारण क्षेत्र
- संग्रहणों के सुरक्षित भंडारण क्षेत्र

3.1.2 वस्तुएं और संग्रहण: प्राथमिकता निर्धारण के लिए मूल्यांकन करना

संग्रहालय में संग्रहित वस्तुओं में सभी वस्तुओं का समान विरासती मूल्य नहीं होता। यह वस्तुएं संग्रहण की प्रकृति के अनुसार ऐतिहासिक, पुरातात्विक, कलात्मक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक आदि दृष्टि से मूल्यवान हो सकती हैं। संग्रहणों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए अलग-अलग वस्तुओं और लघु संग्रहणों का मूल्यांकन करके उनके मूल्य के हिसाब से एक विस्तृत सूची बनाई जानी चाहिए।

मूल्य निर्धारित करते समय वस्तु की प्रामाणिकता और अनोखेपन का भी ध्यान रखा जाए। संग्रहणों का मूल्यांकन करते समय सूची के रूप में एक विस्तृत

दस्तावेज अनिवार्य है जिसमें वस्तु का उत्पत्ति स्थान, मौलिक वर्णन और अवस्थिति की जानकारी होनी चाहिए। वस्तुओं को उनकी वस्तुगत बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया जाना चाहिए। मोटे तौर पर ये हैं:-

- जैविक पदार्थ:** इसका सबसे अच्छा वर्णन ऐसी सामग्री के रूप में किया जा सकता है जो किसी समय जीवित थी जैसे कि काष्ठ, कागज आदि।
- अजैविक पदार्थ:** खनिज से बनाए गए पदार्थ जैसे कि कांच, धातुएं आदि।

अधिकांश वस्तुएं जैविक और अजैविक सामग्री के मिश्रण से बनी होती हैं और अतः स्वाभाविक रूप से कई खतरों के प्रति संवेदनशील/असुरक्षित होती हैं।


कुछ विशिष्ट जैविक सामग्री:

- काष्ठ/लकड़ी
- कागज
- वस्त्र
- पशु उत्पाद
- प्लास्टिक
- पादप अर्क

कुछ विशिष्ट अजैविक सामग्री:

- पत्थर
- धातु
- कांच
- चीनीमिट्टी

मोटे तौर पर आपदा जोखिम मूल्यांकन में निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाया जाता है:



चित्र 7 जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया

3.2 जोखिम मूल्यांकन हेतु दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली

यू एन आई एस डी आर के अनुसार,

जोखिम मूल्यांकन: संभावित खतरों और संवेदनशीलता की मौजूदा परिस्थितियों का विश्लेषण करके जोखिम की प्रकृति और सीमा का निर्धारण करने की कार्यप्रणाली, ये परिस्थितियां संबद्ध लोगों, संपत्ति, सेवाओं, जीवनयापन के साधनों और पर्यावरण को खतरनाक हानि पहुंचा सकती हैं जिस पर वे निर्भर करते हैं।

टिप्पणी: जोखिम मूल्यांकन (और संबद्ध जोखिम चित्रण) में शामिल हैं: खतरों के तकनीकी पहलू जैसे कि उनकी अवस्थिति, तीव्रता, आवृत्ति और संभावना, भौतिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, आर्थिक और पर्यावरणीय आयामों सहित जोखिम की पहुंच और उसके प्रति संवेदनशीलता का विश्लेषण, संभावित जोखिम परिदृश्यों के संबंध में मौजूदा और वैकल्पिक बचाव क्षमताओं की असर-क्षमता का मूल्यांकन। इन कार्यकलापों की श्रृंखला को कई बार जोखिम विश्लेषण के नाम से जाना जाता है।

सांस्कृतिक संस्थानों के लिए जोखिमों की पहचान में प्राकृतिक और मानव-प्रेरित खतरों, जिनका संभवतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, को सूचीबद्ध करना शामिल हो सकता है। इसके अतिरिक्त, संग्रहालय, उसके भवन, संग्रहणों, अवसंरचना और प्रबंधन की संवेदनशीलताओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। खतरा और संवेदनशीलता के बीच संबंध की समझ से संग्रहालय के जोखिम स्पष्ट होंगे।

जोखिम मूल्यांकन के लिए पहला कदम संग्रहालय पर लागू सभी खतरों (प्राकृतिक के साथ मानव-जनित) और उनके प्रति संवेदनशीलताओं की पहचान करना है। खतरे और उनके प्रति संवेदनशीलता, दोनों जोखिम का सही चित्रण करते हैं।

3.3 खतरों की पहचान करना

एक खतरनाक घटना, पदार्थ, मानवीय कार्यकलाप अथवा स्थिति जिससे जीवन की हानि, चोट अथवा अन्य स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभाव, संपत्ति हानि, जीवनयापन के साधनों और सेवाओं की हानि, सामाजिक और आर्थिक विघटन अथवा पर्यावरण की क्षति।

संग्रहालय के खतरों की पहचान निम्नलिखित स्रोतों से की जा सकती है:

1. क्षेत्र में विगत आपदाओं का इतिहास और उनके प्रभाव की तीव्रता और पुनरावृत्ति।
2. एनडीएमए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए), जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) और अन्य स्रोत जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), राज्य और शहरी स्तर के मास्टर प्लान आदि के माध्यम से उपलब्ध भूकंप क्षेत्र चित्रण, चक्रवात और तूफान संबंधी नक्शे, भूस्खलन मैपिंग, बाढ़ क्षेत्र

आदि जैसे खतरा चित्रण नक्शे।

3. संग्रहालय के अभिलेखागार अथवा स्टाफ तथा प्रबंधन के पास संग्रहालय में उपलब्ध या स्थानीय प्राधिकरणों जैसे कि पुलिस और अग्नि शमन विभाग के पास उपलब्ध पूर्ववर्ती आपात स्थितियों के विवरणों का इतिहास

4. अधिकांश प्राथमिक खतरे द्वितीयक खतरों में बदल सकते हैं; इन दोनों के संक्षिप्त विहंगावलोकन को यहाँ व्याख्यायित किया गया है।

कृपया नोट करें कि यह विहंगावलोकन संकेतात्मक है, सम्पूर्ण नहीं।

3.3.1 प्राकृतिक खतरे

एनडीएमए द्वारा अभिज्ञात प्राकृतिक जोखिमों की एक संकेतात्मक सूची नीचे दी गई है। एनडीएमए द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में विशिष्ट जोखिमों जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा आदि के लिए तैयार किए गए दिशानिर्देश मौजूद हैं।

वर्ग	मुख्य खतरा	द्वितीयक खतरा	प्रभावित भारतीय राज्य/क्षेत्र
भू-भौतिकीय	भूकंप	भूस्खलन, अग्नि, द्रवीकरण, सतह विस्थापन, सूनामी	58.6 प्रतिशत भूभाग साधारण से उच्च तीव्रता के भूकंप के प्रति प्रवण है।
	ज्वालामुखी	सतह, विस्थापन, राख गिरना, लहर पाइरोक्लॉस्टिक प्रवाह, भू-स्खलन, आग, सूनामी तटीय बाढ़	अंडमान द्वीपों में बंजर द्वीप ही केवल निश्चित सक्रिय ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है।
जल विज्ञान संबंधी	बाढ़ भूस्खलन प्रचंड लहरों का बनना	हिमस्खलन, तटीय अपरदन मलबे का बहना, कीचड़ का बहना, चट्टान गिरना, आकस्मिक बाढ़, जल विज्ञान संबंधी खतरा, प्रचंड लहरों का बनना	40 मिलियन हैक्टेयर (12 प्रतिशत भूमि) बाढ़ और नदी से अपरदन के प्रति प्रवण है।

मौसम विज्ञान संबंधी	थोड़े समयांतराल में सूक्ष्म पैमाने से मध्यम पैमाने की कठोर मौसमी और वातावरण परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न जोखिम जोकि मिनिटों से दिनों तक बना रह सकता है	चक्रवात, तूफान का बढ़ना, बवंडर, घना होता जाने वाला तूफान, अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान, आंधी, शीत लहर, चरम तापमान, धुंध, पाला, शीत लहर, ओलावृष्टि, लू(गरम हवाएं), बिजली गिरना, भारी वर्षा, धूल की आंधी, रेत का तूफान, बर्फ, हिमपात सर्दियों का तूफान, बर्फानी तूफान, बादल का फटना	7516 कि. मी. की लंबी तटीय सीमा में से लगभग 5700 कि.मी. चक्रवात और सूनामी की चपेट में है।
जलवायु विज्ञान संबंधी		सूखा, कड़ी ग्रीष्म/शीत परिस्थिति, वन्य/जंगल की आग, बर्फ की झील का प्रकोप, अवतलन (चट्टान का झुकना)	भारत में 5,11,300 वर्ग कि.मी. का भू-भाग सूखे की चपेट में है। भारत के 50 प्रतिशत जंगल जंगली आग संभावित क्षेत्र हैं। हिमालय के सभी सीमावर्ती राज्यों में हिम से झील के प्रकोप की संभावना है।
जैविक		महामारी, वायरल, बैक्टीरियल, परजीवी, फफूंदीय, प्रिओन संक्रमण, कीट संक्रमण, पशुओं की भगदड़	लगभग सारा देश विभिन्न महामारियों की चपेट में है। जुलाई 2016 में, भारत में मलेरिया के 11,26, 661 मामले, 99,913 मामले डेंगू के, 27,553 मामले चिकनगुनिया के और स्वाइन फ्लू के 42,592 मामले सामने आए।

चित्र 8 भारत में प्राकृतिक जोखिम (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना, 2016 और भारत के लिए वर्तमान जोखिम नक्शों, एनडीएमए से संकलित)

3.3.2 मानव – प्रेरित खतरे

आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना के अनुसार, अभिज्ञात उच्च जोखिम क्षेत्रों के भीतर शहरीकरण और उद्योगीकरण के बढ़ते स्तरों से आपदाओं के प्रति समग्र संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है। मानव-प्रेरित कुछ प्रमुख खतरों जिनके कारण आपदाएं हो सकती हैं, वे हैं:

1. रासायनिक, जैविक, विकिरणीय और परमाणु जोखिम (सीबीआरएन)
2. आतंकवाद, हिंसा, संघर्ष
3. आग

- 2) अन्य जोखिमों में दुर्घटनाएं, खराब योजना और निर्माण, अधिक आबादी या अत्यधिक भीड़, चोरी और उपद्रव, पर्यावरणीय असंवेदनशील प्रथाएं आदि शामिल हैं।

मानव-प्रेरित खतरों को निम्नलिखित दृष्टिकोणों से भी अभिज्ञात किया जा सकता है:

- स्थानीय आपात मोचनकर्ताओं जैसे कि अग्नि-शमन विभाग, पुलिस विभाग, स्थानीय अस्पताल और चिकित्सा सुविधाओं में दर्ज रिकॉर्ड और मानव हस्तक्षेप के कारण पूर्ववर्ती घटनाओं से संबंधित स्थल और आस-पड़ोस के

परिसर के रिकॉर्ड ।

- समीपस्थ उद्योगों, नाभकीय संयंत्रों, संदूषण के सशक्त स्रोतों, प्रदूषण के स्रोतों और ज्वलन स्रोतों आदि को स्पष्ट करते हुए स्थानीय क्षेत्र के नक्शे
- सामाजिक -आर्थिक मैपिंग और रूचि रखने वाले विभिन्न समूहों में विवाद के किसी सशक्त स्रोत अथवा संभावित उपद्रव-पूर्ण स्थिति का पता लगाने हेतु क्षेत्र की जनसांख्यिकीय सूचना

संग्रहालयों के परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक और मानव प्रेरित जोखिम वस्तुओं और संग्रहणों हेतु क्षय के निम्नलिखित घटकों को जन्म दे सकते हैं (सीसीआईओरआईसीसीआरओएम 2016)

1. भौतिक/बाहरी ताकतें
2. अग्नि
3. जल
4. बढ़ता घटता तापमान और आर्द्रता
5. प्रदूषक तत्व, प्रकाश और विकिरण से प्रभावित होना
6. कीट और क्षय के जैविक वाहक
7. चोरी, उपद्रव आदि

ये हानि उत्प्रेरक घटक सूचीबद्ध जोखिम के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिणाम हो सकते हैं परंतु ये बिना किसी बड़ी घटना के भी उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरणतः संग्रहालय के समीप एक मामूली विस्फोट से स्थानीय कंपनी उत्पन्न हो सकता है जिससे वस्तुएं गिरकर क्षतिग्रस्त हो सकती हैं अथवा संग्रहालय के जलनिकासी तंत्र के खराब होने से स्थानीय बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

3.4 संवेदनशीलता की पहचान करना

संवेदनशीलताएं भौतिक स्थिति, उसके आस पड़ोस और अवसंरचना, संग्रहणों और उनके भंडारण की स्थिति भवन के परिसंचरण और प्रबंधन में निहित हो सकती है। क्षमतापूर्ण संवेदनशीलता से नए संग्रहालय को डिजाइन करते समय और उसकी योजना बनाते समय बचा जा सकता है और मौजूदा संग्रहालय भवनों और स्थलों को अभिज्ञात संवेदनशीलता के आधार पर अपग्रेड किया जा सकता है।

3.4.1 भवन, अवसंरचना और आस पड़ोस

संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक घटकों सहित भवन की दरों-दीवारें, उसकी मूलभूत अवसंरचना की हालत, अवस्थिति और रख-रखाव जैसे कि जलनिकासी, विद्युत और जलापूर्ति, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार आदि सभी संग्रहालय की संवेदनशीलता में योगदान देते हैं। भवन की अवस्थिति और योजना भी इसके घटक हो सकते हैं। मौजूदा संवेदनशीलताओं की पहचान करने हेतु की जाने वाली कुछ कार्रवाई नीचे सूचीबद्ध की गई है:

1. सभी नए भवनों, मौजूदा भवन में जोड़े गए अतिरिक्त ब्लॉकों की योजना और आस पड़ोस के परिसर और निकटस्थ स्थानों तक पहुंच का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
2. मौजूदा भवन के मामले में, भवन के संरचनात्मक रूप से संवेदनशील हिस्सों की पहचान के लिए एक विशेषज्ञ द्वारा संरचनात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। भवन की आयु, उसकी संरचनात्मक व्यवस्था और गैर संरचनात्मक घटकों की स्पष्टतः जानकारी होनी चाहिए। 50 वर्षों से अधिक पुराने भवनों की नियमित संरचनात्मक जांच होनी चाहिए। संरचनात्मक तत्व (एसई) समय

- के साथ क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और संभव है कि ये बीआईएस मानकों को पूरा न करते हुए संग्रहालय की संवेदनशीलता में काफी इजाफा करें।
3. भवन की सामग्री और संरचना का दस्तावेज न एवं मूल्यांकन होना चाहिए। भवन को पहुंची केवल सतही क्षति भी आपदा की स्थिति में खतरनाक हो सकती है। प्रोजेक्शन, फिक्सचर और फिटिंग, केबिनेट, स्टोरेज बॉक्स आदि जैसे गैर-संरचनात्मक तत्व भी संग्रहालय की संवर्धित संवेदनशीलता में और वृद्धि कर सकते हैं।
 4. भवन के आसपास के परिसर, जोकि आपदा के समय भवन, उस तक पहुंच और उसकी अवसंरचना को प्रभावित कर सकता है, की असुरक्षितता/संवेदनशीलता का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उदाहरणतः व्यापक आपदा के दौरान ऐतिहासिक परिसर के मध्य में स्थित संग्रहालय तक पहुंच में कठिनाई आ सकती है। संग्रहालय की अवस्थिति के कारण आपातकालीन वाहन संग्रहालय तक पहुंचने में अक्षम हो सकते हैं।
 5. स्थानीय स्थल परिस्थितियां जैसे कि बड़े पेड़ों, ट्रांसफार्मरों की मौजूदगी, पर्याप्त पार्किंग क्षेत्रों, आपात वाहनों के लिए चौड़ी सड़कों की अनुपलब्धता से जोखिम बढ़ सकता है।
 6. जलनिकासी और आपूर्ति संबंधी मुद्दों का अभिज्ञान लिया जाना चाहिए और बिजली के तारों, ट्रांसफार्मरों आदि जैसी अवसंरचना की हालत का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।
 7. संग्रहालय के कार्यालय समय के दौरान और संग्रहालय के बंद होने के समय पर भवन में पहुँच, परिसंचरण और संबंधित योजना।

8. संग्रहालयों में सामान्यतः भंडारण क्षेत्र होते हैं जहाँ उन संग्रहणों को भंडारित किया जाता है जिनका प्रदर्शन नहीं किया गया है। ये स्थान संग्रहालय परिसर में उनकी अवस्थिति और आपात स्थिति के दौरान उनकी सुगम्यता के कारण कुछ खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। चूंकि इन क्षेत्रों में सामान्यतः नियमित रूप से आवाजाही नहीं होती, इनकी निगरानी और उपयोग के अभाव के कारण इनमें जोखिमपूर्ण घटक उत्पन्न हो सकते हैं।

3.4.2 सुरक्षा और प्रबंधन

संग्रहालय की योजना, प्रबंधन और स्टाफ योजना से जुड़े मुद्दे भी संवेदनशीलता घटक में इजाफा कर सकते हैं। सुरक्षा तंत्रों और आगंतुक प्रबंधन में संवेदनशीलता का मूल्यांकन करने हेतु कुछ प्रमुख पहलु निम्नालिखित हैं:

1. सार्वजनिक क्षेत्रों, सुरक्षा और आगंतुकों की सहायता विशेषतः अशक्त व्यक्तियों, बच्चों और वृद्धों की सहायता हेतु उपलब्ध संग्रहालय स्टाफ की संख्या।
2. भवन, संग्रहणों के साथ साथ आपातकालीन प्रक्रियाओं से परिचित प्रशिक्षित स्टाफ की संख्या। आपात प्रक्रियाओं में न केवल सुरक्षित निकासी पथों, प्राथमिक उपचार और आपात मोचन से अवगत होना शामिल है अपितु इनमें संग्रहणों की सुरक्षा और उनके मूल्य का बोध होना भी शामिल है।
3. आगंतुकों की निगरानी, व्यस्ततम अवधि के दौरान आगंतुकों की इष्टतम संख्या और आगंतुकों के प्रवेश पर नियंत्रण संबंधित समझ।
4. स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों की पृष्ठभूमि का सत्यापन।

5. गैलरी स्टाफ, क्यूरेटर्स और सुरक्षा स्टाफ के बीच समन्वय ।
6. संग्रहालय के प्रवेश तथा निकासी द्वारों की सुरक्षा, मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक, दोनों रूप में। उच्च मूल्य वाली वस्तुओं और उनके प्रदर्शन की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
7. संग्रहालय का रखरखाव और अनुरक्षण, भवन और संग्रहणों के भौतिक और अवसंरचना संबंधी मुद्दों का कितनी बार मूल्यांकन किया जाता है, कितनी बार गहन अवसंरचना आदि की स्थापना की जाती है।
8. पुलिस, अग्नि-शमन विभाग और स्थानीय अस्पतालों जैसे आपात मोचनकर्ताओं के साथ नियमित संपर्क और बातचीत।
9. प्रायः आपदा के दौरान संग्रहालय और इसके आस-पास के परिसर का आपसी संबंध टूट जाता है। अतः संग्रहालय की सुरक्षित निकासी हेतु तैयारी और आस-पास के परिसर और शहरी क्षेत्र में बड़े कार्यवाहों के आपातकालीन मोचन का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।
10. संग्रहालयों का निरंतर उन्नयन (अपग्रेडेशन) हो रहा है। इसके प्रदर्शन और नई वस्तुओं और संग्रहणों आदि में बदलाव आ रहा है। संग्रहालय की इस दैनिक कार्यकलाप व्यावस्था में परिवर्तन से इसकी संवेदनशीलता में वृद्धि हो सकती है। संरचनात्मक अथवा गैर संरचनात्मक घटकों में परिवर्तन, भवन में अतिरिक्त निर्माण और परिवर्तन, प्रदर्शन फार्मेटों में परिवर्तन, अवसंरचना में अतिरिक्त व्यवस्था अथवा परिवर्तन से संग्रहालय और उसके संग्रहण अतिरिक्त जोखिमों की चपेट में आ सकते हैं।

3.4.3 संग्रहण, प्रदर्शन प्रणाली, भंडारण और संरक्षण प्रयोगशालाएं

संग्रहण के पूरे स्वरूप और प्रकृति के साथ-साथ प्रदर्शन और भंडारण के सिस्टम को समझना जोखिम का अभिज्ञान करने और उसे प्राथमिकता देने की ओर पहला कदम है। अधिकांश वस्तुएं कई सामग्रियों के मिश्रण से बनी होती हैं जिससे वे विभिन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील होती हैं। संग्रहण उनकी आयु अथवा भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विषयगत रूप से भी प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे आपदा की स्थिति में उनकी प्रकृति का पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। संग्रहण में संवेदनशीलताओं को अभिज्ञान करने हेतु प्रथम उपाय निम्नलिखित हैं:-

1. प्रदर्शित, भंडारित और संरक्षण के अधीन सभी वस्तुओं की अद्यतन सूची। सूची के साथ विस्तृत परिग्रहण रजिस्टर और कैटालॉग भी संलग्न होना चाहिए। यह अस्थायी प्रदर्शनियों पर भी लागू होता है जोकि भागीदार संग्रहालयों अथवा संस्थानों से ऋण आधार पर प्राप्त की जाती हैं।
2. कैटालॉग में सामग्री, भौतिक स्थिति के विवरण के साथ साथ पूर्ववर्ती उपचार/संरक्षण प्रयासों का रिकॉर्ड भी होना चाहिए।
3. सभी वस्तुओं के आकार और सामग्री के अनुसार उनकी अवस्थिति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उदाहरणतः, अत्यन्त भारी वस्तु को ऊंचाई पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उसके गिरने का जोखिम रहता है। अतः संवेदनशीलताओं के मूल्यांकन तथा सशक्त जोखिमों के आकलन हेतु वस्तुओं की अवस्थिति प्रदर्शित करते हुए एक फ्लोर-प्लान उपलब्ध होना चाहिए।

4. सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों, आर्द्रता और तापमान के उतार चढ़ाव, कीट और जैविक एजेंटों की गतिविधि को प्रलेखित किया जाना चाहिए क्योंकि ये संग्रहण की अखण्डता को प्रभावित करते हैं।
5. प्रदर्शन और भंडारण की प्रणाली वस्तु पर आपदा के जोखिम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है और इसकी संरचनात्मक/यांत्रिक क्षति, अग्नि अथवा जल संबंधी क्षति आदि संबंधी संवेदनशीलता का दस्तावेज न और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अनुचित रूप से भंडारित वस्तुओं के कारण भूकंपीय संवेदनशीलता और प्रदर्शित की गई वस्तुओं को अच्छी तरह टांगे न जाने के कारण महत्वपूर्ण हानि पहुँच सकती है। इसी प्रकार, अपर्याप्त अग्नि सुरक्षा तंत्रों वाले क्षेत्रों में भंडारित ज्वलनशील वस्तुओं को ऊष्मा और धूम संसूचकों (स्मोक सेंसर), अग्निकालीन निकास द्वारों (फायर डोर्स), आदि के अभाव में जोखिम हो सकता है।
6. भवन के बाकी स्थानों के संबंध में संग्रहणों की अवस्थिति भी समग्र संवेदनशीलता को बढ़ाने में भूमिका निभाती है।
7. संरक्षणाधीन वस्तुओं पर हवा अथवा नमी, रसायनों की समीपता आदि के प्रभाव से उनकी संवेदनशीलता में होनी वाली वृद्धि का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
8. संरक्षण प्रयोगशालाएं, विशेषतः संभावित जोखिमपूर्ण रसायनों और ज्वलनशील सामग्री से संबद्ध प्रयोगशालाओं का रसायन और अग्नि संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

उदाहरणतः

एक क्षेत्र की कला और शिल्प को प्रदर्शित करते संग्रहण में वस्त्र, धातु, काष्ठ, कागज आदि जैसी विभिन्न प्रकार की दैनिक रूप से उपयोगी वस्तुएं और अलंकृत सजावटी वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। इनमें से प्रत्येक वस्तु विभिन्न एजेंटों के प्रति संवेदनशील होगी। उदाहरण के लिए, कागज, काष्ठ और वस्त्र से बनी वस्तुएं धातु से बनी वस्तुओं की तुलना में आग और पानी/लंबे समय तक आर्द्रता के प्रति संवेदनशील हो सकती हैं। इस संग्रहण की अवस्थिति भी इसकी संवेदनशीलता में भूमिका निभाएगी। विद्युत आपूर्ति के समीप स्थित ज्वलनशील पदार्थ अथवा प्रवेश या निकास द्वारों के समीप स्थित भारी वस्तुएं आपदा/आपात स्थिति के दौरान संग्रहालय के भीतर जोखिम को संभवतः अधिक बढ़ाएंगी।

जोखिम मूल्यांकन हेतु एक संदर्भ सूची अनुबंध में देखी जा सकती है।

3.5 आपदाओं के स्तर और आपदा जोखिम

आपदाओं के स्तर, उनसे निपटने की तैयारी की सीमा और सांस्कृतिक धरोहर स्थल/क्षेत्र की संवेदनशीलता का मूल्यांकन करने हेतु एक महत्वपूर्ण घटक है। आपदा प्रबंधन संबंधी उच्च अधिकारप्राप्त समिति ने वर्ष 2001 की अपनी रिपोर्ट में आपदा स्थितियों को तीन स्तरों : एल 1, एल 2 और एल 3 में वर्गीकृत किया था। सामान्य परिस्थिति की अवधि, एल 0, को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए।

स्तर एल 1: आपदा का वह स्तर जिसे जिला स्तर पर मौजूद क्षमताओं और संसाधनों से प्रबंधित किया जा सकता हो। तथापि राज्य प्राधिकरण आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करते हेतु तत्पर रहेंगे।

स्तर एल 2: इस स्तर पर वे आपदा स्थितियाँ आती हैं जिनके लिए राज्य स्तर की सहायता और संसाधनों के जुटाए जाने तथा आपदा प्रबंधन संबंधी राज्य स्तरीय एजेंसियों को तैनात करने की आवश्यकता होती है। केंद्रीय एजेंसियों को राज्य द्वारा आवश्यकता पड़ने पर तुरंत तैनाती हेतु सतर्क रहना चाहिए।

स्तर एल 3: यह स्तर लगभग विपत्तिपूर्ण अथवा बहुत बड़े पैमाने पर आई आपदा का घोटक है जोकि राज्य और आपदा प्राधिकरणों के काबू से बाहर होती है।

सांस्कृतिक स्थलों और क्षेत्रों के संबंध में, एक स्थानीय खतरा भी आपात की स्थिति का कारण हो सकता है जिसका निपटान अभिज्ञात निपटान क्षमता से न किया जा सके। इन खतरों में आग, जन हिंसा, आदि जैसे मानव-जनित खतरे शामिल हो सकते हैं। एल1, एल2 और एल3 के मामले में, आपातकालीन अवसंरचना और मोचन प्रक्रिया गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है और इस स्थिति में धरोहर स्थल या क्षेत्र की मोचन दर में कमी आ सकती है। अतः स्थल अथवा क्षेत्र के भीतर भवन की क्षमता आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु एक महत्वपूर्ण घटक है।

संग्रहालय के संभावित जोखिमों के अभिज्ञान और मूल्यांकन के बाद, उनकी आवृत्ति की संभावना और संभावित प्रभाव क्षमता के अनुसार उनका स्तर निर्धारण करना महत्वपूर्ण है। (सोडरलुंद, 2000)। सशक्त जोखिम और उसके प्रभाव की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए घटना के पैमाने, विशेषतः संग्रहालय के संबंध में, को समझना आवश्यक है।

उदाहरणतः

संग्रहालय के 100 कि. मी. दायरे के भीतर 6 अथवा उससे अधिक तीव्रता का भूकंप न केवल संग्रहालय को भारी हानि पहुँचाएगा अपितु उसकी मूलभूत अवसंरचना

के साथ साथ उसकी गहन अवसंरचना को बुरी तरह पंगु बना देगा, और पहुंच को बाधित करेगा, संग्रहालय के आगंतुकों के बचाव और राहत कार्यकलापों को बाधित करेगा। दूसरी ओर, संग्रहालय में दुर्घटना के कारण लगी बड़ी आग जोकि संग्रहालय के लिए विनाशकारी होगी परंतु इसका निपटान अधिक दक्षतापूर्ण रूप से किया जा सकेगा क्योंकि घटना छोटे क्षेत्र को प्रभावित करेगी। प्रभाव के अनुसार, दोनों घटनाएं समान हो सकती हैं, परंतु मोचन और पुनर्बहाली प्रक्रिया की समयावधि भिन्न हो सकती है।

उन घटनाओं की योजना, जिनकी आवृत्ति की उच्च संभावना है और संभावित प्रभाव का स्तर अधिक है, को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन जोखिमों, जोकि मानव जीवन के लिए हानिकारक हैं, को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। संग्रहालय, संग्रहणों उसके पुरालेखों, भंडारण और अवसंरचना के प्रभाव को इनमें से प्रत्येक के मूल्य का अभिज्ञान करते हुए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जोखिम के बोध और प्राथमिकता के आधार पर, जोखिम न्यूनीकरण उपायों को प्रस्तावित किया जा सकता है।

3.6 जोखिम का मूल्यांकन और संभावित प्रभाव

संग्रहालय और उसके आस-पास के परिसर में प्राकृतिक और मानव-जनित खतरों के विस्तृत संज्ञान के आधार पर, जीवन और संग्रहणों पर संभावित प्रभाव को समझने के लिए आपदा स्थिति को परिकल्पित किया जा सकता है। आवृत्ति की संभावना के आधार पर, जोखिम प्रभावों के परिमाण के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई की प्राथमिकता निर्धारित की जा सकती है।

नए संग्रहालय को स्थापित करते समय अथवा संग्रहालय के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन योजना को बनाते समय आपदा जोखिम विशेषज्ञ द्वारा एक विस्तृत जोखिम मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

विशेषज्ञ के पास भवन संबंधी जोखिमों के साथ-साथ संग्रहणों और प्रदर्शन संबंधी जोखिमों का विश्लेषण करने की योग्यता होनी चाहिए।

उदाहरणतः

बाढ़ संभावित क्षेत्र में स्थित संग्रहालय को बाढ़ की स्थिति के समय परिणामस्वरूप भवन के भीतर होने वाले शार्ट-सर्किट और स्पार्किंग तथा नियंत्रण कक्ष के समीप आग की स्थिति से निपटने की तैयारी कर लेनी चाहिए। इस परिदृश्य में एक साथ कई खतरे हो सकते हैं और जोखिम न्यूनीकरण अथवा प्रशमन कार्यनीति में इन बहुसंख्यक जोखिमों के दक्षतापूर्ण निपटान की आवश्यकता होगी। परिदृश्य निर्माण करने से पेशेवरों को सशक्त जोखिमों की कल्पना करने और जोखिम प्रशमित करके अथवा जोखिम को दूर करके अथवा सशक्त प्रभाव को कम करने की तैयारी करके विशिष्ट जोखिमों के निपटान हेतु तैयार रहने में मदद मिलती है।

खण्ड 4 आपदा जोखिम की रोकथाम, न्यूनीकरण और प्रशमन

- 4.1 संदर्भ, स्थल, भवन और अवसंरचना
- 4.2 सुरक्षा एवं प्रबंधन
- 4.3 संग्रहण, प्रदर्शन और भंडारण प्रबंधन

खण्ड 4 आपदा जोखिम की रोकथाम, न्यूनीकरण और प्रशमन

संग्रहालय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपनाई जाने वाली अवधारणाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **जोखिम को खत्म करना अथवा जोखिम की रोकथाम:** जोखिम के स्रोत को योजना और कार्रवाई से हटाया जाता है। उदाहरणतः यदि जोखिम चोरी अथवा उपद्रव से है, तो जोखिम को संग्रहालय की सुरक्षा और निगरानी बढ़ाकर उसे कम किया जा सकता है। भूकंप, भारी वर्षा आदि जैसे प्राकृतिक जोखिमों से इस ढंग से बचाव संभव नहीं है।
- **जोखिम के प्रभाव का प्रशमन:** यद्यपि कई खतरों को रोका नहीं जा सकता है लेकिन भवन को सुदृढ़ बनाकर, पहुंच और सुरक्षा को बेहतर बनाकर, महत्वपूर्ण अवसंरचना की स्थापना करके इनके समग्र प्रभाव को कम किया जा सकता है। यह कार्य भवन, प्रदर्शन और भंडारण प्रणालियों की संवेदनशीलता को कम करके तथा इन तक पहुंच और आवाजाही के पैटर्न को सुव्यवस्थित बनाकर किया जा सकता है।
- **कार्रवाई को प्राथमिकता देना:** संग्रहणों और धरोहर भवन के सांस्कृतिक महत्व (यदि लागू हो) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और कार्यान्वयन से पूर्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किसी हस्तक्षेप के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। धरोहर होने के मामले

में, चाहे वे संग्रहण हों अथवा भवन, न्यूनतम हस्तक्षेप का तरीका अपनाना चाहिए। इसका अभिप्राय संग्रहालय की निरंतर मॉनीटरिंग और समीक्षा के लिए अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना है।

अधोलिखित उपखंड उन घटकों की संकेतात्मक सूची प्रस्तुत करते हैं जिन पर जोखिम न्यूनीकरण और जोखिम प्रशमन की योजना बनाते समय विचार किया जाना चाहिए। इनका कार्यक्षेत्र व्यापक है और अलग-अलग संग्रहालयों को विशेषज्ञ से प्राप्त निविष्टियों के साथ विस्तृत जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं को करना चाहिए।

4.1 संदर्भ, स्थल, भवन और अवसंरचना:

स्थल और भवन संग्रहालय वस्तुओं और संग्रहणों का बाहरी आवरण है और इन्हें जोखिम प्रशमन और न्यूनीकरण के उच्चतम मानकों को पूरा करना चाहिए। ये मानव सुरक्षा के लिए भी अहम हैं जिन्हें सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अतः स्थल, भवन और अवसंरचना में जोखिम को दूर करने और कम करने हेतु कड़े उपाय किए जाने चाहिए।

1. नए संग्रहालय भवनों की योजना ऐसे क्षेत्रों में बनाई जानी चाहिए जहाँ सुगम पहुंच और संपर्कता के साथ साथ महत्वपूर्ण अवसंरचना तक पर्याप्त पहुंच हो। स्थल के भीतर, न केवल आपातस्थिति में आगंतुकों के आश्रय स्थान निर्दिष्ट होने चाहिए परंतु आपातस्थिति

में वस्तुओं और संग्रहणों के अस्थायी भंडारण हेतु स्थान निर्दिष्ट होने चाहिए। स्थल का नक्शा बनाते समय आपात स्थिति में पर्याप्त पहुंच मार्ग और पार्किंग सुविधा तथा बचाव वाहनों को शामिल किया जाना चाहिए।

2. नए भवनों में निम्नलिखित मौजूदा नियमों और उप नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए जोकि समग्र परिधि में आपदा जोखिम प्रबंधन को समाहित करते हैं। एक संकेतात्मक सूची नीचे दी गई है:

i) भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड, 2016 और 2005 विशेषतः संस्थागत और विरासत संस्मारकों संबंधी उप-खंड

ii) शहरी स्थानीयनिकायों द्वारा जारी उप नियम

iii) स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा जारी विकास नियंत्रक उपाय

अन्य संदर्भों में शामिल हैं:-

iv) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल बिल्डिंग उप नियम, 2016

v) एनडीएमए द्वारा जारी भवनों और अवसंरचना का आपदा समुत्थानशील निर्माण सुनिश्चित करने संबंधी एनडीएमए के दिशानिर्देशों के साथ साथ संग्रहालय की स्थिति के आधार पर विशिष्ट खतरों के लिए जारी अन्य दिशा निर्देश

3. मौजूदा भवनों में पुनः मरम्मत (रेट्रोफिटिंग) के संबंध में, यदि भवन को धरोहर भवन नहीं माना गया है तो नए भवनों पर लागू विधायी कार्यवाही ही लागू होगा।

4. एसआई अथवा राज्य पुरातात्विक विभागों द्वारा निर्दिष्ट अथवा शहर के मास्टर प्लान, जिला प्लान

आदि की परिधि के तहत अभिजात धरोहर भवनों के संबंध में, प्रायः मानक प्रथाओं के अनुसार रेट्रोफिटिंग संभव या उचित न हो। ऐसी स्थिति में, प्राचीन संस्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 2010 या राज्य अधिनियम लागू किए जा सकते हैं। इसके बावजूद, ऐतिहासिक भवनों में एक योग्यताप्राप्त विशेषज्ञ द्वारा संरचनात्मक लेखापरीक्षा की जानी चाहिए।

5. वर्तमान में संग्रहालयों के रूप में प्रयुक्त निर्दिष्ट धरोहर भवनों हेतु विशिष्ट विचार-बिंदु :

i. भवन अच्छी भौतिक स्थिति में होना चाहिए और आधारढांचा अद्यतन होना चाहिए।

ii. प्रवेश और निकास द्वारों की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और उनका आवश्यकतानुसार अपग्रेड/विस्तार कार्य किया जाना चाहिए। जहाँ निकास द्वारों का आकार इष्टतम से छोटा हो, वहाँ अन्य समाधानों की तलाश करनी चाहिए।

iii. संरचनात्मक अखण्डता और सुरक्षा के लिए गैर संरचनात्मक घटकों की भी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए।

6. प्रवेश और निकास द्वारों के लिए न केवल औसत आगंतुक आगमन अपितु सर्वाधिक आगंतुक आगमन स्थिति को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए। आगंतुकों के साथ वस्तुओं और संग्रहणों के संचलन के लिए लंबवत परिसंचरण (वर्टिकल मूवमेंट) पर विचार किया जाना चाहिए।

7. वितरण बॉक्स, लाइनों और पॉवर बैक-अप सिस्टम सहित इलेक्ट्रिकल सिस्टमों के लिए किए गए सुरक्षा और उपचारात्मक उपायों, यदि आवश्यक हों, का आकलन किया जाना चाहिए।

सभी स्पलाईस ज्वाइंटों (जोड़ों) को कनेक्टरों से बदला जाना चाहिए। सभी खराब और खुली तारों को बदलना चाहिए और एक सुरक्षित तंत्र को संस्थापित किया जाना चाहिए। विद्युतीय सेवाएं नियोजित कार्यसूची के अनुसार अद्यतन और मानीटर की जानी चाहिए। अवसंरचना को बीआईएस मानकों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए और आगंतुकों और सार्वजनिक पहुंच से दूर रखना चाहिए।

8. जलापूर्ति, जल-निकासी और सीवेरेज सिस्टम की लीकेज जोखिम के लिए जांच की जानी चाहिए और आवश्यकतानुसार उपचारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। जहाँ पानी के स्रोत विद्युतीय आपूर्ति स्रोतों के पास स्थित हों, उनकी स्थिति में बदलाव करना चाहिए अथवा दीर्घकालिक समाधान मिलने तक उन्हें स्थायी रूप से सुरक्षित बनाना चाहिए। छतों, फर्श और पत्थर के फर्शों के साथ साथ बाह्य सतहों की वाटर प्रूफिंग ध्यानपूर्वक की जानी चाहिए और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित संग्रहालयों का संबंधित आवृत्ति के साथ नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए।

9. यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई खतरनाक/संभाव्य रूप से खतरनाक/ज्वलनशील सामग्री किसी अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो अथवा ऐसे क्षेत्र में भंडारित न की जाए जहाँ उससे आपातस्थिति में अथवा छेड़-छाड़ किए जाने पर आगंतुकों और स्टाफ को क्षति पहुंचे। यह विशेषतः वहां महत्वपूर्ण है जहाँ संरक्षण प्रयोगशालाएं, जिनमें वस्तुओं को भंडारित किया जाता है, स्थित हैं। रसोईघर और पैंट्री जैसे क्षेत्रों को भी सुरक्षित किया जाना चाहिए।

10. प्रमाणित पेशेवरों द्वारा अग्नि सुरक्षा जांच कराना और सिफारिशों को कार्यान्वित करना। यह अभ्यास नियमित आधार पर और विशेषतः संग्रहालय की संरचना और ले-आउट में किसी परिवर्तन के आने पर किया जाना चाहिए।

11. भवन के आस पास के परिसर में उन संवेदनशीलताओं की भी जांच की जानी चाहिए जाकि आपदा के दौरान भवन, उसकी पहुंच अथवा उसकी अवसंरचना को प्रभावित कर सकती हैं। सशक्त बाधाएं जैसे कि बड़े पेड़, अतिक्रमण, अनौपचारिक अतिरिक्त निर्माण और परिवर्तनों को हटाया जाना चाहिए।

12. संग्रहालय के लिए अनुरक्षण और निगरानी कार्रवाई का एक विस्तृत रोस्टर अनुरक्षित किया जाना चाहिए और प्रशासन द्वारा उसकी नियमित जांच की जानी चाहिए।

13. लाइटिंग रॉड, वायरलैस संचार उपकरण और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली को संस्थापित किया जाना चाहिए। प्रमुख क्षेत्रों में लाइटिंग का बैक-अप होना चाहिए जोकि बैटरी द्वारा संचालित हो सके।

4.2 सुरक्षा और प्रबंधन

सुरक्षा और आगंतुक प्रबंधन और संग्रहालय का दैनिक प्रचालन प्रमुख रूप से संग्रहालय में जोखिम न्यूनीकरण में योगदान देता है। कुछ जोखिम प्रशमन और न्यूनीकरण उपाय अधोलिखित हैं:-

1. सभी संग्रहालयों में हर प्रकार के आगंतुक को प्रवेश देने का प्रयास किया जाना चाहिए। इससे अभिप्राय अशक्त व्यक्तियों और वृद्धों तथा युवाओं के रूप में आने वाले आगंतुकों को भवन और संग्रहालय सुविधाएं प्रदान करने से हैं।

2. सभी संग्रहालयों में इमरजेंसी वाहनों, अस्थायी आश्रय स्थानों आदि के लिए निर्दिष्ट स्थान होना चाहिए।
3. सभी आपातकालीन मार्गों और आश्रय क्षेत्रों को आपातकालीन योजना में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए और आगंतुकों को इसकी जानकारी उपलब्ध कराने के साथ सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। संग्रहालय व्यावसायिकों और स्टाफ सदस्यों को आपातकालीन योजना की जानकारी होनी चाहिए। आई एस मानकों के अनुसार साइनबोर्डों को संग्रहालय के सभी क्षेत्रों में सुरक्षित पथों, सुरक्षित निकासी प्रक्रिया आदि को स्पष्ट करते हुए लगाया जाना चाहिए।
4. समस्त जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति और बैक-अप स्थानों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया जाना चाहिए और प्रशासन तथा सुरक्षा दलों को आवश्यकता पड़ने पर इसे बंद करने की जानकारी होनी चाहिए। आपातस्थिति के लिए एक जलापूर्ति स्रोत अनुरक्षित किया जाना चाहिए।
5. सुरक्षा तंत्रों और जोखिम प्रबंधन की आंतरिक अथवा बाह्य विशेषज्ञ द्वारा सुरक्षा ऑडिट कराना। प्रवेश द्वारों, निकास द्वारों पहुंच में संवेदनशीलता, उन क्षेत्रों जिनकी विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है, का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए और सिफारिशों को प्राथमिकता देकर कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
6. सुरक्षा लेखापरीक्षा और मौजूदा संसाधनों के आधार पर, एकसरे स्कैनर, सीसीटीवी मॉनीटर, आटोमेटेड दरवाजे और बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल जैसे अतिरिक्त उपाय किए जाने

चाहिए। यह संग्रहालय के आकार, अवस्थिति और संग्रहणों के प्रकार पर निर्भर करता है।

7. विशेष सुरक्षा तंत्रों जैसे कि युद्ध परिस्थिति, आतंकवाद और विवाद की स्थिति के लिए सुरक्षा स्टाफ को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां बड़े पैमाने पर हिंसा के खतरे की आशंका हो।
8. संग्रहालय स्टाफ और सुरक्षा दलों की जागरूकता और ज्ञान का निरंतर अपग्रेडेशन किया जाना चाहिए।
9. स्वयंसेवी दलों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उनकी संपर्क जानकारी आपातस्थिति में सरलता से उपलब्ध होनी चाहिए। ये क्षेत्रीय नेटवर्क हो सकते हैं जिनमें संग्रहालय के कार्य प्रचालन से अवगत लोग शामिल हों। संग्रहालयों के बीच नेटवर्क को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए ताकि प्रशिक्षित पेशेवर व्यक्तियों को आपदा अथवा इमरजेंसी की स्थिति में सहायता हेतु अनुरोध किया जा सके।

4.3 संग्रहण, प्रदर्शन और भंडारण प्रबंधन

1. सभी संग्रहणों के परिग्रहण कोडों, संदर्भ चित्रों, सामग्री विवरण और अवस्थिति को डिजिटल फार्मेट में ऑफ साइट बैक-अप के साथ प्रलेखित किया जाना चाहिए। इन-हाउस संग्रहणों के साथ साथ ऋण के रूप में मौजूद और अस्थायी प्रदर्शनियों का विस्तृत कैटालॉग और सूचियाँ अनुरक्षित की जानी चाहिए।
2. सभी सशक्त, भौतिक रूप से खतरनाक, ज्वलनशील, रासायनिक रूप से खतरनाक सामग्री को संग्रहणों विशेषतः संवेदनशील

- वस्तुओं और संग्रहणों से दूर भंडारित किया जाना चाहिए।
3. भारी वस्तुओं, टूटने वाली वस्तुओं को उस वस्तु के साथ साथ लोगों की सुरक्षा के लिए अच्छी तरह बांधकर/टांगकर रखा जाना चाहिए। उन्हें उचित ऊंचाई और दूरी पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। गिरने अथवा यांत्रिक प्रभाव से जोखिम की स्थिति उत्पन्न करने वाली सभी वस्तुओं की एंकरिंग की जानी चाहिए और उनके लिए आधार से अलग स्थान (बेस आइसोलेशन) रखा जाना चाहिए। आघात अवशोषण जैसे अन्य भूकंप प्रशमन उपायों को न केवल प्रदर्शन क्षेत्र में अपितु संरक्षण प्रयोगशालाओं और भंडारण क्षेत्रों में लागू किया जाना चाहिए।
 4. संग्रहालय के संग्रहणों के भीतर, अधिकतम महत्व वाली वस्तुओं से लेकर निम्न महत्व वाली वस्तुओं की एक सूची तैयार की जानी चाहिए ताकि कार्रवाई की प्राथमिकता का निर्धारण किया जा सके।
 5. पानी से क्षति प्रवण वस्तुओं को बाढ़ से होने वाली हानि से बचाने के लिए उच्च तलों पर प्रदर्शित और भंडारित किया जाना चाहिए। वस्तुओं के केस (कवर डिब्बे आदि) जलरोधी, नमीरोधी होने चाहिए और उनसे वातावरण नियंत्रित रहना चाहिए।
 6. प्रदर्शन तंत्र (डिस्प्ले सिस्टम) में संरचनात्मक क्षति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, विशेष रूप से भारी और नाजुक वस्तुओं को भंडारित करने वाले तंत्रों का। उनकी अन्य संवेदनशीलताओं की भी जांच की जानी चाहिए। यह काम नियमित रूप से किया जाए।
 7. सूक्ष्म जलवायु परिस्थितियों, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश और विकिरण के उतार-चढ़ाव, कीट और जैविक एजेंटों के आक्रमण आदि संबंधी जानकारी को प्रलेखित किया जाना चाहिए क्योंकि इससे संग्रहण की अखंडता प्रभावित होती है।
 8. ज्वलनशील वस्तुओं को अग्निरोधी केस में, ऊष्मा और धूम स्तरों की लगातार मॉनीटरिंग के साथ, प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

खण्ड 5 आपातकालीन तैयारी और मोचन हेतु योजना

- 5.1 आपातकालीन मोचन हेतु योजना के दृष्टिकोण
- 5.2 मॉनीटरिंग और अलार्म प्रणाली
- 5.3 आपातकालीन मोचनकर्ताओं के साथ आपदा स्थल से निकासी तथा समन्वय हेतु योजना
- 5.4 आपातकालीन मोचन प्रणाली
- 5.5 आपातकालीन कार्य दल का सृजन
- 5.6 आपातकालीन कार्य दल की भूमिका और उत्तरदायित्व
- 5.7 आपातकालीन आपूर्तियां एवं उपकरण

खण्ड 5

आपातकालीन तैयारी और मोचन हेतु योजना

5.1 आपातकालीन मोचन हेतु योजना के दृष्टिकोण

आपात स्थिति से मोचन हेतु योजना बनाना आपदा जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है। इससे समाज-समुदाय को आपदा के दौरान प्रभावशाली और दक्षतापूर्ण मोचन के लिए उपकरणों सहित तैयार

रहने और जान और माल की हानि को कम करने में आपातकालीन मोचनकर्ताओं के साथ समन्वय करने में मदद मिलती है। आपातस्थिति से निपटने की तैयारी में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं:



चित्र 9 आपातकालीन दल की भूमिका और उत्तरदायित्व की संरचना

- आपातकालीन मोचन दल को गठित करना और प्रशिक्षित करना तथा बाह्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना ।
- सुरक्षित निकासी मार्गों और आपातकालीन साइन बोर्ड तैयार करना।
- विभिन्न आपात स्थितियों और आपदाओं के आधार पर निकासी हेतु प्रोटोकॉल बनाना।
- संग्रहणों के बचाव, अस्थायी स्थायित्व और प्राथमिकता निर्धारण हेतु योजना बनाना।
- आपातकालीन उपकरणों की पहचान करना और उन्हें खरीदना
- हुई हानि का तुरंत निरीक्षण करना और सुरक्षा कार्यनीतियां बनाना

5.2 मॉनीटरिंग और अलार्म प्रणाली

समय पर आपातकालीन मोचन के लिए निरंतर मॉनीटरिंग और सुचारू रूप से कार्यरत अलार्म प्रणाली का होना पहला कदम है। संग्रहालय में निम्नलिखित उपकरण मौजूद होने चाहिए:

1. आग का पता लगाने के लिए ऊष्मा/धूम संसूचक (स्मोक डिटेक्टर)
2. संग्रहण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव का पता लगाने के लिए आर्द्रता/आंतरिक वातावरण संसूचक (सेंसर्स)
3. एंटी थैफ्ट और एंटी टैपरिंग अलार्म सहित सुरक्षा प्रणालियां, विशेषतः मूल्यवान संग्रहणों और संग्रहालय के प्रमुख क्षेत्रों के लिए
4. मैनुअल रूप से संचालित अलार्म और सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली
5. उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के साथ साथ संग्रहालय के संग्रहणों और निजी क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए शारीरिक बाधाएं (फिजिकल बैरियर्स) और यांत्रिक बाधाएं

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संग्रहालय में एक मूलभूत सुरक्षा दल आवश्यक है जिसका आकार और विशेषज्ञता संग्रहालय के संग्रहणों के आकार और स्थिति तथा प्रकृति पर निर्भर करेगा। सुरक्षा दल संग्रहालय के कार्य घंटों के दौरान आगंतुकों और स्टाफ की सुरक्षा तथा सार्वजनिक रूप से बंद संग्रहालय में संग्रहणों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। सुरक्षा उपायों में निम्नलिखित भी शामिल हो सकते हैं:

- एक्स रे स्कैनर, मेटल डिटेक्टर
- हस्तचालित (हैंडहेल्ड) स्कैनर, वाहनों के लिए अंडर-बैली मिरर और स्कैनर
- क्लोज सर्किट टेलिविजन (सीसीटीवी) मॉनीटरिंग
- स्वचालित अवरोधक दरवाजे
- बायोमीट्रिक एक्सेस कंट्रोल

प्रत्येक संग्रहालय के सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ भंडारण एवं पुरालेख क्षेत्रों में प्रवेश और निकास द्वारों तथा लॉकिंग सिस्टम पर मूलभूत शारीरिक बाधाएं

(फिजिकल बैरियर्स) मौजूद होनी चाहिए। इनकी नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए।

5.3 आपातकालीन मोचनकर्ताओं के साथ आपदा स्थल से निकासी और समन्वय हेतु योजना

प्रत्येक संग्रहालय में आपातकालीन स्थिति के दौरान लोगों की सुरक्षित निकासी हेतु निम्नलिखित सहित एक स्पष्ट योजना अवश्य होनी चाहिए:

1. स्पष्ट रूप से चिह्नित निकासी मार्ग जिसके आपातकालीन साइन बोर्ड सभी को सरलता से समझ आ सकें। निकासी के समय प्राथमिक मार्ग और/अथवा दूसरा मार्ग उपयोग किया जा सकता है। निकासी मार्ग एनबीसी संहिता एवं मानकों के अनुसार होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए तथा वे बिजली जाने के समय पर भी नजर आते रहने चाहिए। सभी निकासी संबंधी नक्शे प्रमुख स्थानों विशेषतः संग्रहालय के सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रदर्शित किए जाने चाहिए।
2. आग लगने के दौरान निकास द्वार, आग लगने के दौरान प्रयुक्त सीढ़ियां और फायर टावर स्पष्ट चिह्नित किए जाने चाहिए और हर समय बिना किसी बाधा के इन तक पहुंच संभव होनी चाहिए।
3. स्थल पर अथवा आस-पड़ोस के परिसर में मौजूद लोगों के लिए एकत्र होने/आश्रय लेने का स्थान
4. बाह्य सहायता की व्यवस्था में कठिनाई आने पर विशिष्ट आपातस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण। इस से अभिप्राय यह है कि बड़े पैमाने पर आई आपदा के समय मौजूदा आपातकालीन अवसंरचना और संसाधनों को अनुपलब्ध मूलभूत सेवाओं के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

निकासी मार्गों का ड्रिल अभ्यासों तथा प्रशिक्षण अभ्यासों के माध्यम से परीक्षण किया जाना चाहिए तथा वे सभी के लिए सुलभ तथा स्पष्ट रूप से उनके बारे में बोर्ड लगे होने चाहिए। संग्रहालय स्टाफ निकासी योजना से

परिचित होना चाहिए तथा उन्हें विकलांग/दिव्यांग व्यक्तियों, वृद्धों और बच्चों आदि की विशेष सहायता वाली आवश्यकताओं के साथ आगंतुकों को संग्रहालय से बाहर लाने की प्रक्रियाओं की जानकारी होनी चाहिए। स्थानीय आपातकालीन मोचनकर्ताओं जैसे कि अग्नि-शमन विभाग और स्थानीय पुलिस के साथ निकासी योजना की चर्चा एवं समन्वय किया जाना चाहिए ताकि वास्तविक आपात-स्थिति में इन निकासी मार्गों की जानकारी सुरक्षित बाहर निकाले जाने वाले व्यक्तियों और आपातकालीन मोचनकर्ताओं को स्पष्ट रूप से दी जा सके।

5.4 आपातकालीन मोचन प्रणाली

प्रत्येक संग्रहालय में निम्नलिखित सुविधाएं मौजूद होनी चाहिए:

1. अग्नि शमन प्रणाली जोकि संग्रहालय की विशिष्ट जरूरतों को पूरा कर सके। मानक स्प्रिंकलर सिस्टम अथवा जल आधारित प्रणाली प्रायः संग्रहालय के लिए उतनी प्रभावशाली न हो और आग के समय संग्रहणों को अपेक्षाकृत अधिक हानि पहुंचाएं। झाग (फोम) आधारित प्रणाली प्रायः संग्रहणों पर अवशेष छोड़े जिससे संग्रहणों को क्षति पहुंच सकती है। अतः अग्नि शमन प्रणाली की संस्थापना से पूर्व संग्रहणों की प्रकृति और सशक्त ज्वलन स्रोतों को समझना आवश्यक है। सभी स्टाफ कर्मियों

और प्रबंधन को इन प्रणालियों का उपयोग करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ये उपकरण सुलभ, नियमित रूप से ठीक किए गए और आवश्यकता पड़ने पर बदले जाने चाहिए।

2. सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली और टेलीफोन नेटवर्क तथा दूरसंचार के क्षतिग्रस्त होने पर वायरलेस संचार का प्रावधान। इसमें वाँकी-टॉकी, हैंड-हेल्ड रेडियो और इंटरकॉम सिस्टम शामिल हो सकता है।
3. स्वचालित सुरक्षा प्रोटोकॉल की उपलब्धता जैसे ऑटोमेटिड डोर-लॉकिंग, एलीवेटर सिस्टम और भवन के भीतर सशक्त खतरनाक क्षेत्रों तक पहुंचने के रास्ते का बंद होना, विद्युत आपूर्ति और जलापूर्ति सिस्टम का बंद होना

5.5 आपातकालीन कार्य दल का सृजन

आपातकालीन कार्य दल का पदानुक्रम और उनके उत्तरदायित्व का बंटवारा स्पष्ट होना चाहिए और इसे संग्रहालय के सभी स्टाफ सदस्यों को बताया जाना चाहिए। चूंकि संग्रहालय में स्टाफ कर्मियों की संख्या भिन्न-भिन्न हो सकती है, इस दल का आकार भी भिन्न होगा। स्टाफ की संख्या के आधार पर एक व्यक्ति/दल को कई उत्तरदायित्व सौंपे जाने की आवश्यकता हो सकती है। इन-हाउस आपातकालीन दल को स्थानीय और शहरी/ग्रामीण स्तरीय आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय में सक्षम होना चाहिए।

मूलभूत कार्यसंरचना का वर्णन अधोलिखित है:



चित्र 10 आपातकालीन दल की भूमिका और उत्तरदायित्वों की कार्य संरचना

5.6 आपातकालीन कार्य दल की भूमिका और उत्तरदायित्व

एक स्पष्ट आपातकालीन मोचन प्रोटोकॉल को स्थापित किया जाना चाहिए ताकि संप्रेषण-प्रवाह स्पष्टतः परिभाषित हो। दल की भूमिका और उत्तरदायित्व संग्रहालय के पैमाने और प्रकार के अनुसार निर्धारित

होंगे। दल की क्षमता और तैयारी तथा समयांतराल में किए गए क्षमता निर्माण के परीक्षण हेतु नियमित ड्रिल अभ्यास आवश्यक है। अलग-अलग दलों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का एक संक्षिप्त संकेतात्मक सारांश अधोलिखित है:

दल सदस्य	आपदा -पूर्व	आपदा के दौरान	आपदा -पश्चात
आपातकालीन दल नेता	आपातकालीन मोचन योजना, निकासी पथ बनाना दल के बाकी सदस्यों को उत्तरदायित्व सौंपना योजना को कार्यान्वित करने हेतु बजट की व्यवस्था करना नियमित रूप से ड्रिल अभ्यास और कार्यशालाएं आयोजित करना	आपातकालीन मोचनकर्ताओं को सूचित करना, निकासी प्रक्रिया आरंभ करना इन-हाउस टीम और आपात मोचनकर्ताओं से नियमित अंतरालों पर अपडेट लेते रहना	इन हाउस टीम और अन्य हितधारकों के साथ आपदा पश्चात कार्यनीतियों पर चर्चा करना प्रारंभिक मूल्यांकन हेतु संसाधन आबंटित करना वित्त जुटाने की कार्यनीति यदि आवश्यक है, के साथ दीर्घकालिक पुनर्बहाली योजना बनाने हेतु मूल्यांकन का उपयोग करना
बाह्य समन्वयकर्ता	एक प्रशिक्षित स्वयंसेवी दल बनाने के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों को अवसर के रूप में प्रयोग करना स्वयंसेवकों का विवरण डेटाबेस में दर्ज करना	आपात दल के अध्यक्ष के साथ बाह्य सहायता की आवश्यकता का आकलन करना स्वयंसेवकों की टीम बनाना और उन्हें वांछित प्रत्युत्तर की प्राप्ति के लिए पर्याप्त ब्रीफिंग सत्र प्रदान करना	संग्रहालय कार्यकलापों में स्वयंसेवक दल की सहायता लेना और सहायता की अत्यधिक आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना
सुरक्षा और संरक्षा दल	सुनिश्चित करना कि सुरक्षा और प्रबंधन स्टाफ के सभी सदस्य प्रशिक्षण और ड्रिल अभ्यास में नियमित रूप से भागीदारी करें सभी सुरक्षा कर्मियों को विभिन्न प्रकार की आपात	सुनिश्चित करना कि निकासी और आपात मोचन प्रोटोकॉल आरंभ हो। अशक्त व्यक्तियों, वृद्धों, बच्चों और महिलाओं को सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करना कि कोई आगंतुक अप्राधिकृत अथवा	सुनिश्चित करना कि भवन तक पहुंच नियंत्रित हो और संग्रहणों का भंडारण पर्यवेक्षण के अधीन हो ताकि चोरी और उपद्रव की स्थिति से बचा जा सके

	<p>स्थितियों में विभिन्न मोचन प्रक्रियाओं और मौलिक सीपीआर तथा प्राथमिक चिकित्सा से भली भांति परिचित होना चाहिए</p> <p>सुरक्षा सदस्यों को मूल्यवान संग्रहणों की अवस्थिति, सुरक्षा प्रणालियों और उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्थाओं से परिचित होना चाहिए</p>	<p>जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश न करे। संग्रहणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना</p> <p>स्थानीय अग्निशमन/पुलिस विभाग के सहयोग से भवन में पहुंच की घेराबंदी करना</p>	
भवन और सुविधा प्रदाता दल	<p>सुनिश्चित करना कि भवन सेवाएं और भवन परिसर वार्षिक, मासिक और दैनिक समयांतरालों पर अनुरक्षित किए जाएं</p> <p>भवन सेवाओं और आपातकालीन सेवाओं की नियमित जांच की जानी चाहिए</p> <p>सभी खराब सेवाओं को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाना चाहिए</p>		<p>पर्यावरण में बदलाव (स्थायित्व) लाना (नम सामग्री को हटाना, खिड़कियाँ और पंखे खोलना)</p> <p>आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी भंडारण की व्यवस्था करना</p>
प्रशासक दल	<p>सुनिश्चित करना कि पुरालेख और रिकॉर्ड सुरक्षित हैं और एक वैकल्पिक स्थान पर इनकी एक प्रति उपलब्ध है</p>		<p>संग्रहण दल और भवन निर्माण दल को सभी प्रशासनिक समर्थन प्रदान करना और समन्वय एजेंसी की भूमिका का निर्वहन करना</p>
संग्रहण दल	<p>सुनिश्चित करना कि सभी संग्रहणों का रिकॉर्ड रखा जाए और सभी वस्तुओं की अवस्थिति और परिग्रहण संबंधी विवरण का रिकॉर्ड तथा डिजिटल फार्मेट में बैक-अप रखा जाए</p> <p>संग्रहण स्टाफ संग्रहणों के</p>	<p>संग्रहणों का बचाव केवल तब किया जाए जब मानव जीवन या सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है और आपातकालीन मोचनकर्ताओं से स्पष्ट निर्देशों की प्राप्ति हुई हो</p>	<p>सुनिश्चित करना कि सभी हानियों को रिकार्ड में दर्ज किया गया है और फोटोग्राफ रखे गए हैं</p> <p>पुनर्बहाली हेतु आवश्यक घटकों का निर्धारण-स्वयंसेवक, सामग्री और</p>

	बीच मौजूद प्राथमिकता प्राप्त संग्रहणों से परिचित होने के साथ साथ वस्तुओं को अस्थाई रूप से हटाने संबंधी प्रोटोकॉल की जानकारी रखते हों।		उपकरण, बाह्य विशेषज्ञ सलाह, स्थान, विशेष भंडारण अथवा उपचारात्मक सुविधाएं
मीडिया और जनसंपर्क दल	दल को संग्रहालय के प्रचालन और संग्रहणों की अवस्थिति और संख्या की जानकारी होनी चाहिए	प्रमुख जानकारी के सत्यापन और संग्रहालय निदेशक/ आपातकालीन दल के अध्यक्ष के प्राधिकृत करने पर मीडिया के लिए एक संक्षिप्त जानकारी तैयार करना	हानि की सीमा, पुनर्बहाली हेतु संसाधनों की आवश्यकता, यदि है, के बारे में मीडिया को जानकारी देना

चित्र 11 आपातकालीन दल की भूमिका का विवरण

5.7 आपातकालीन आपूर्तियां एवं उपकरण

प्रत्येक संग्रहालय में लोगों की सरलता से सुरक्षित निकासी और वस्तुओं और संग्रहणों के बचाव के लिए आपातकालीन आपूर्तियां और उपकरण तुरंत उपलब्ध होने चाहिए। यह सूची संग्रहालय की आवश्यकताओं की विस्तृत जांच के बाद संकलित की जानी चाहिए। एक संकेतात्मक सूची नीचे दी गई है:

1. लोगों की सुरक्षित निकासी के लिए
 - इमरजेंसी लाइट, फ्लैश लाइट
 - प्राथमिक उपचार किटें
 - मास्क
 - आवश्यकतानुसार व्हील चेयर और स्ट्रेचर,
2. वस्तुओं के गिरने से बचाव हेतु
 - सख्त टोपी अथवा हेलमेट
 - सुरक्षा चश्मे
 - मास्क
 - फ्लैश लाइट और इमरजेंसी लैंप
 - मिश्रित दस्ताने जिनमें मानक रबर के दस्ताने और एसिड रोधी दस्ताने, उष्मा-रोधी दस्ताने अथवा मिट्स शामिल हों

- लेखन सामग्री सहित मूल्यांकन फार्म और क्लिपबोर्ड
- अतिरिक्त बैटरी और मेमोरी कार्ड सहित कैमरे
- सतर्कता(कॉशन) टेप
- लेबल और स्टिक ऑन टैग्स
- डक्ट टेप
- रस्सी और तार
- सामान्य (बेसिक) टूलबॉक्स
- सामान्य भंडारण बॉक्स और पैकिंग सामग्री

खण्ड 6

आपदा पश्चात मूल्यांकन पुनर्बहाली और पुनर्वास


- 6.1 आपदा पश्चात मूल्यांकन
- 6.2 प्रलेखन की मूलभूत प्रक्रिया और आपदा पश्चात हानि का मूल्यांकन
- 6.3 आपातकालीन स्थायित्व की बहाली और अस्थायी भंडारण
- 6.4 वित्तपोषण, साझेदारी और व्यवसाय संबंधी योजना
- 6.5 पुनर्बहाली को जोखिम न्यूनीकरण से जोड़ना

खण्ड 6

आपदा पश्चात मूल्यांकन पुनर्बहाली और पुनर्वास

आपदा मोचन का चरण सफलतापूर्वक पूरा होने और संग्रहालय के सुरक्षित और व्यवस्थित हो जाने के बाद,

मूल्यांकन, पुनर्बहाली और पुनर्वास के अगले चरण की शुरुआत की जाती है।



चित्र 12 आपदा-पश्चात मूल्यांकन, पुनर्बहाली और पुनर्वास की प्रक्रिया

6.1 आपदा-पश्चात् मूल्यांकन

आपदा मोचन का चरण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद, स्थिति का जायजा लेना और पुनर्बहाली चरण को आरंभ करने के लिए आपदा के प्रभाव का प्राथमिक मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्षेत्र प्रवेश हेतु और बचाव तथा पुनर्बहाली प्रचालनों हेतु सुरक्षित है, सर्वप्रथम संग्रहालय और स्थल का मूल्यांकन करना आवश्यक है। यह मूल्यांकन एक योग्यताप्राप्त पेशेवर द्वारा किया जाना चाहिए यदि भवन या अनिवार्य सेवाओं पर संरचनात्मक प्रभाव पड़ा है।

संग्रहणों के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित घटकों पर विचार करना चाहिए:-

- प्राथमिक मूल्यांकन और हानि के विस्तृत मूल्यांकन हेतु **समय-सीमा**: आपदा की प्रकृति और पैमाने के आधार पर, मूल्यांकन का कार्य स्वरूप भिन्न होगा। इससे निर्धारित होगा कि छोटे पैमाने पर अभ्यास आवश्यक है अथवा विस्तृत सूची।
- हानि मूल्यांकन करने हेतु **प्रक्रियाएं और पद्धतियाँ**: सामान्य दृष्टिकोण मूलभूत दृश्यात्मक मूल्यांकन से शुरू होता है और इसके बाद विस्तृत विश्लेषण के बाद सर्वेक्षण।
- **प्रलेखन का फॉर्मेट और हानि का मूल्यांकन**: प्रलेखन के फॉर्मेट और हानि के मूल्यांकन में कुछ मूलभूत सिद्धांतों को अपनाया जाता है और भिन्न अवसरों के अनुसार इसे स्वरूप दिया जा सकता है।
- **आपदा-पश्चात पुनर्बहाली कार्रवाई प्रक्रिया की सूचना हेतु आंकड़ों का संकलन और सार्थक निष्कर्ष**: एकत्रित आंकड़े संभवतः निधि जुटाने और अन्य संसाधनों के सृजन हेतु आवश्यक हो सकते हैं और उन्हें सरल और प्रभावशाली ढंग से संकलित किया जाना चाहिए।

6.2 आपदा-पश्चात हानि के दस्तावेज और मूल्यांकन हेतु मूलभूत प्रक्रियाएं

प्राथमिक मूल्यांकन संग्रहालय स्टाफ, प्रशिक्षित स्वयंसेवकों और संबद्ध पेशेवरों द्वारा किया जा सकता है। तथापि, एक विस्तृत हानि मूल्यांकन हेतु इस क्षेत्र के विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, जैसे कि संरचनात्मक हानि का आकलन योग्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर/आर्किटेक्ट द्वारा किया जाना चाहिए, जबकि संग्रहणों का मूल्यांकन संरक्षक अथवा प्रशिक्षित क्यूरेटर द्वारा किया जाना चाहिए। दस्तावेज और मूल्यांकन को निम्नलिखित के आधार पर प्राथमिकता देनी चाहिए (मूर 2004):

1. सर्वाधिक जोखिम आकर्षित करने वाली वस्तुएं और संग्रहण
2. सुगम्य वस्तुएं और संग्रहण
3. संग्रहणों की प्राथमिकता सूची में शामिल वस्तुएं
4. सर्वाधिक संवेदनशील वस्तुएं
5. सर्वाधिक प्रभावित वस्तुएं
6. सबसे कम प्रभावित और अपेक्षाकृत स्थित वस्तुएं

आपदा-पश्चात् मूल्यांकन में शामिल मूलभूत प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं (आईसीसीआरओएम):

1. **परिसर का मूल्यांकन** : यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि भवन और आस पास का क्षेत्र प्रवेश तथा कार्य करने हेतु सुरक्षित हों और संग्रहालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।
2. **प्रारंभिक मूल्यांकन का जायजा लेना** : स्थल हानि का सम्पूर्ण मूल्यांकन मोचन दल को तत्काल आवश्यकताओं और संसाधनों की सूची बनाने, अनुमोदन और सहायता प्राप्त करने,

बचाव प्रक्रियाओं हेतु मापदंड निर्धारित करने और शुरूआती योजना बनाने में सहायक होता है।

3. **संग्रहालय और संग्रहणों को सुरक्षित और व्यवस्थित करना** : आपदा के पैमाने के आधार पर, किसी भी बचाव प्रचालन से पूर्व भवन को सुरक्षित करना सर्वप्रथम आवश्यक है। कुछ संग्रहणों को तत्काल स्थानांतरित करना प्रायः संभव न हो और उन्हें तत्स्थाने (इन-सीटू) स्थापित करने की आवश्यकता हो। स्थिति को इंगित करते हुए संग्रहालय भवन का नक्शा सुलभ होना चाहिए विशेषतः यदि भवन धरोहर भवन हो। स्थल और अधिक सुरक्षा खतरों जैसे उपद्रव अथवा चोरी के प्रति संवेदनशील हो सकता है, अतः अतिरिक्त सुरक्षा की आवश्यकता हो सकती है।
4. **प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर संग्रहणों का बचाव अथवा स्थानांतरण**: संग्रहालय के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करते समय अस्थायी भंडारण और आश्रय के स्थानों की पहचान की जानी चाहिए तथा स्टाफ और प्रबंधन को इनकी जानकारी दी जानी चाहिए। प्रारंभिक मूल्यांकन के आधार पर, कई वस्तुओं को उस स्थान से स्थानांतरित करना तथा अधिक सुरक्षित अस्थायी स्थान पर ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यह केवल तभी किया जाना चाहिए जब संग्रहालय को असुरक्षित माना जाए और पर्याप्त संसाधनों तथा सुरक्षा प्रावधानों सहित अधिक सुरक्षित स्थान उपलब्ध हो।
5. **संग्रहणों का विस्तृत मूल्यांकन**: यह कार्य योग्यताप्राप्त और प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा किया जाना चाहिए। विस्तृत मूल्यांकन विस्तृत दस्तावेज न के साथ होना चाहिए जोकि दृश्यात्मक के साथ साथ वर्णानात्मक हो,

जिससे किसी भी प्रकार के उपचार से पूर्व वस्तु स्थिति का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जा सके।

6. हानि के मूल्यांकन संबंधी फार्म में निम्नलिखित सूचना शामिल होनी चाहिए:

- वस्तु की पहचान या परिग्रहण संख्या
- वस्तु का विवरण, विशेषतः सामग्री, आकार और अन्य कोई विशेष गुण
- वस्तु की अवस्थिति
- मूलभूत स्थिति-अक्षुण्ण/टूटा हुआ, पानी से क्षतिग्रस्त, आग से क्षतिग्रस्त, जैविक रूप से क्षतिग्रस्त आदि
- एक नोट जोकि यह स्पष्ट करे कि क्या यदि वस्तु अभी भी जोखिम के अधीन है। उदाहरणतः पानी से हानि पहुंचने पर वस्तु जैविक रूप से भी क्षतिग्रस्त हो सकती है यदि तुरंत उपचार न किया जाए। इससे उपचारात्मक कार्रवाई को प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी।
- यदि वस्तु के कई टुकड़े हुए हैं, तो सामान्य स्केल या ग्रिड का प्रयोग करते हुए उसके फोटो सहित रिकॉर्ड दर्ज किया जाना चाहिए।

6.3 आपातकालीन स्थायित्व की बहाली और अस्थायी भंडारण

आपदा-पश्चात मूल्यांकन के आधार पर, वस्तुओं के आपातकालीन स्थायित्व के साथ बचाव और अस्थायी भंडारण सुविधा हेतु चिह्नित किया जाए। बचाव प्रक्रिया में टुकड़ों की पहचान कर मलबे में से वस्तु को छांटने और अधिक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता हो सकती है।

स्थायित्व प्रक्रिया को यदि अपनाया जाता है, तो उसका

सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए और उपचार से पूर्व और उपरांत वस्तु की स्थिति का दृश्यात्मक तथा वर्णनात्मक दस्तावेज न किया जाना चाहिए।

अस्थायी भंडारण :

निकासी और बचाव दोनों प्रक्रियाओं में अस्थायी भंडारण की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ सकती है क्योंकि वास्तविक स्थान असुरक्षित हो सकता है। इस प्रकार के स्थान की स्थापना में वस्तुओं को स्थापित करने के लिए एक प्रलेखन (डॉक्यूमेंटेशन) योजना और उपयुक्त सहायक वस्तुओं और फर्नीचर की आवश्यकता हो सकती है जिससे भावी जोखिम को कम किया जा सके। यह विशेषतः तब महत्वपूर्ण होता है जब पुनर्बहाली की समय-सीमा अस्पष्ट होती है।

6.4 वित्तपोषण, भागीदारी और व्यावसायिक योजना

मूल्यांकन स्तर के आधार पर, संग्रहालय के लिए एक पुनर्बहाली योजना बनाई जा सकती है। पुनर्बहाली योजना और आपातकालीन स्थायित्व प्रक्रियाओं को बनाने का क्रम आपदा की हद, हानि की सीमा और संसाधनों की उपलब्धता पर प्रमुखतः निर्भर करता है। आपदा के प्रभाव के आधार पर, संग्रहालय को वित्तीय संसाधन जुटाने के साथ साथ भवन, प्रदर्शन प्रणाली और संग्रहणों की मरम्मत के लिए बाह्य एजेंसियों को तैनात करने की आवश्यकता हो सकती है। निम्नलिखित घटकों के आधार पर कार्रवाई को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है:

- **व्यवसाय की पुनर्बहाली और निरंतरता योजना:** इस योजना में संग्रहालय यथाशीघ्र प्रचालन में लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि राजस्व अर्जन हो और आगुंतक और हितधारकों की रुचि बनी रहे। इसमें उन भागों पर पुनर्बहाली प्रयास करना जिन्हें सबसे कम हानि हुई है, शामिल होता है ताकि निवेश पर अधिकतम आय अर्जन हो सके। इसके

विपरीत, पुनर्बहाली योजना का ध्यान केंद्र (फोकस) वे संग्रहालय हो सकते हैं जिनका महत्व सर्वाधिक है ताकि अधिकतम मूल्य वाली वस्तुओं को भविष्य हेतु अनुरक्षित रखा जा सके। संसाधनों को आबंटित करने की प्राथमिकता प्रमुखतः व्यवसाय की पुनर्बहाली योजना के लक्ष्यों पर निर्भर करेगी, अतः इस प्रक्रिया में हितधारकों को शामिल करना महत्वपूर्ण है।

- **वित्तपोषण और संसाधन:** वित्तपोषण सरकार की अनुदान स्कीमों बीमा योजनाओं, अनुदानदाता संगठनों, प्राइवेट व्यक्तियों आदि से उपलब्ध हो सकता है। निर्धारित समय-सीमा और लक्ष्यों के साथ एक स्पष्ट योजना से संग्रहालय को पुनर्बहाली हेतु आवश्यक निधि जुटाने में सहायता मिलेगी। वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, संग्रहालय को बाह्य विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता भी हो सकती है, अतः संग्रहालय के लिए प्रशिक्षित तथा अप्रशिक्षित, दोनों प्रकार के स्वयंसेवकों का एक समूह बनाकर रखना चाहिए।

6.5 पुनर्बहाली को न्यूनीकरण से जोड़ना

पुनर्बहाली प्रक्रिया को संग्रहालय में भावी जोखिमों की न्यूनीकरण के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाना चाहिए। अक्सर, आपदा-पश्चात पुनर्बहाली प्रक्रिया जोखिम और आपात प्रबंधनों के लिए मूल्यवान सीख प्रदान करती है। आपदा इस बात को भी उजागर करती है कि योजना बनाते समय कुछ जोखिमों का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया; इन्हें योजना को अद्यतन करते समय शामिल किया जा सकता है। विभिन्न पद्धतियों, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के साथ साथ हितधारकों को शामिल करना वे घटक हैं जिससे भावी योजना और आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु की जाने वाली पहलें बेहतर बनेंगी।

खण्ड 7 जागरूकता लाना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

- 7.1 स्टाफ एवं प्रबंधन प्रशिक्षण
- 7.2 आगंतुकों में जागरूकता लाना
- 7.3 आपदा प्रबंधन से जुड़े पेशेवर व्यक्तियों को प्रशिक्षण, आपदा मोचन बल
- 7.4 अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं आदान-प्रदान

खण्ड 7 जागरूकता लाना, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आपदा जोखिम प्रबंधन का एक अहम हिस्सा है। समस्त संग्रहालय स्टाफ और प्रबंधन को आपदा मोचन उपायों में पर्याप्त रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया बार-बार की जाने वाली होनी चाहिए ताकि मोचन प्रोटोकॉल की निरंतरता बनी रहे। स्वयंसेवकों को भी इस प्रकार के अभ्यास में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बड़े पैमाने पर जागरूकता लाई जा सके। आपदा जोखिम प्रबंधन से जुड़े संस्थानों जैसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एनआईडीएम) को संग्रहालय और संरक्षण अध्ययन से जुड़े संस्थानों जैसे नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट को अपने पाठ्यक्रम में आपदा जोखिम प्रबंधन के विशिष्ट घटकों से संबंधित माड्यूल समावेशित करने चाहिए।

कवायदों अथवा दीर्घकालिक कार्यक्रमों के रूप में प्रशिक्षण देने से पूर्व निम्नलिखित कार्यकलाप निष्पादित किए जाने चाहिए:

7.1 स्टाफ एवं प्रबंधन प्रशिक्षण

1. जोखिम विश्लेषण और जोखिम कार्यों को

प्राथमिकता देना तथा स्टाफ कर्मियों और प्रबंधन की मौजूदा क्षमता का मूल्यांकन करना।

2. स्टाफ के प्रत्येक जटिल कार्यकलाप का अभिज्ञान करना और आपातकालीन दल और संरचना का डिजाइन तैयार करना।
3. तैयारी और मोचन हेतु मानक तथा प्रोटोकॉल बनाना।
4. विशेष ड्रिल और अभ्यास निष्पादित करने हेतु आवश्यक बाह्य स्रोतों और साझेदारियों का अभिज्ञान करना।
5. प्रारूप आपदा योजना तैयार करना और उसका ड्रिल और अभ्यासों के परीक्षण के लिए उपयोग करना तथा मोचन के आधार पर योजना को अद्यतन करना।
6. इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण और जागरूकता लाने वाले कार्यकलाप विशिष्ट खतरों के प्रकारों के आधार पर तथा संग्रहालय के समक्ष आने वाले विशिष्ट जोखिमों के आधार पर किए जाने चाहिए।

प्रशिक्षण निम्नलिखित फॉर्मेटों से दिया जा सकता है

कार्यक्रम	विवरण	आवृत्ति	भागीदार सदस्य
आपदा जोखिम प्रबंधन योजना बनाना	प्रशिक्षण में आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता का बोध होना चाहिए। भागीदारी करने वाले सदस्य जोखिम मूल्यांकन करने, आपदा जोखिम न्यूनीकरण की ओर लक्षित उपायों को समावेशित करने, आपदा का प्रत्युत्तर देने और उनसे उबरने में सक्षम होने चाहिए। भागीदार सदस्य आपदा जोखिम प्रबंधन योजनाओं को कार्यान्वित, मॉनीटर और अद्यतन करने में	आपदा जोखिम प्रबंधन योजना स्तर से पूर्व / उसके दौरान, जिसके बाद अनुवर्ती कार्यशालाएं की जाएं	संग्रहालय के प्रमुख प्रशासक (निदेशक)

	सक्षम होने चाहिए तथा स्थानीय समुदायों और अन्य हितधारकों के साथ आपदा जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर सहयोग करने में सक्षम होने चाहिए		
जोखिम मूल्यांकन प्रशिक्षण	भागीदार सदस्य भवन, अवसंरचना, प्रबंधन और संग्रहणों का जोखिम मूल्यांकन करने में सक्षम होने चाहिए	वार्षिक	प्रमुख प्रशासक तथा समस्त संग्रहालय स्टाफ एवं क्यूरेटर
मूलभूत सुरक्षा प्रोटोकॉल को पूरा करना	जटिल अवसंरचना, सुरक्षा और मानक प्रत्युत्तर के संबंध में मूलभूत प्रशिक्षण	माह में एक बार	सुरक्षा स्टाफ
टेबल टॉप अभ्यास	टेबल टॉप अभ्यास आपदा जोखिम प्रबंधन संगठनात्मक योजना में सम्मिलित कार्यकलापों के प्रचालन और संप्रेषण संबंधों को प्रदर्शित करने हेतु एक दस्तावेजी अभ्यास होता है।	3 माह में एक बार	प्रमुख रूप से उन प्रशासकों, प्रबंधकों और कार्मिकों के लिए उद्दिष्ट जिन्हें आपदा जोखिम प्रबंधन योजना के सक्रिय होने पर अधिकारी स्तर पर तैनात करने पर विचार किया जा सकता हो।
संग्रहालय स्तर पर आपातकालीन अभ्यास या कार्यशाला	एक अभ्यास जोकि संग्रहालय के समस्त स्टाफ और प्रबंधन को संभावित आपदा परिदृश्यों और उचित मोचन के लिए तैयार करता है। आदर्श रूप से, जागरूकता लाने के लिए तथा स्टाफ और प्रबंधन को वास्तविक स्थिति का जायजा देने के लिए आगंतुकों को भी इस अभ्यास में शामिल करना चाहिए।	6 माह में एक बार	संग्रहालय स्टाफ और प्रबंधन
जिला स्तर पर आपातकालीन अभ्यास या कार्यशाला	ये अभ्यास जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं(डीडीएमपी) के अंतर्गत बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाएंगे।	डीडीएमपी के अनुसार	संग्रहालय स्टाफ, प्रबंधन और आगंतुक
आपदा-पश्चात मूल्यांकन और पुनर्बहाली हेतु मूलभूत प्रशिक्षण	यह विशेष प्रशिक्षण आपदा की घटना में आपदा पश्चात पुनर्बहाली, क्षतिपूर्ति और मूल्यांकन प्रक्रियाओं हेतु क्यूरेटरों और गैलरी स्टाफ को प्रशिक्षित करने हेतु है।	वर्ष में एक अथवा दो वर्षों में एक बार	क्यूरेटर, गैलरी स्टाफ संरक्षक

आपदा-पश्चात मूल्यांकन और प्रशिक्षण हेतु विशेष प्रशिक्षण	संग्रहालय व्यावसायिकों में राष्ट्रीय स्तर पर विशेष क्षमता निर्माण की ओर लक्षित प्रशिक्षण	एक वर्ष अथवा दो वर्षों के डिग्री कार्यक्रम में छोटे मॉड्यूलों के रूप में शामिल	संरक्षक, शिक्षाविद्, संस्थान
---	--	--	------------------------------

चित्र 13 क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम

7.2 आगंतुकों के बीच जागरूकता लाना

संग्रहालय में आने वाले अधिकांश आगंतुक आपातकालीन प्रोटोकॉल से अनभिज्ञ होते हैं। स्पष्ट दिशानिर्देश, निकास पथ और आपातकालीन निकासी योजना, जोकि सरलता से समझ में आने वाली हो, की जानकारी प्रत्येक आगंतुक को दी जानी चाहिए। जागरूकता लाने के लिए अभ्यासों और आपदा जोखिम उपरांत अनुकरणीय अभ्यासों में भागीदारी करने के लिए आगंतुकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। संग्रहालय समुदायों, विशेषतः बच्चों और युवा वर्ग की भागीदारी का संस्थान है और संग्रहालय अपने आगंतुकों को अभिनव तरीकों से आपदा जोखिम प्रबंधन पर चर्चा का एक अद्वितीय मंच प्रदान करते हैं।

7.3 आपदा प्रबंधन व्यवसायिकों, आपदा मोचन बलों को प्रशिक्षण

अग्निशामकों, पुलिस, एनडीआरएफ आदि जैसे आपातकालीन मोचनकर्ता इस समय विरासत मूल्यपरक स्थलों/वस्तुओं और संग्रहणों को प्रभावित करने वाली आपदाओं से प्रभावशाली ढंग से निपटने, जिसके लिए एक विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है, हेतु पूरी तरह तैयार नहीं है। संग्रहालय का सुरक्षा स्टाफ आपात की स्थिति में सबसे पहले मोचनकर्ता होते हैं और अतः उन्हें आपातकालीन मोचन के समय सही दृष्टिकोण को समझने के साथ साथ वस्तुओं और संग्रहणों को आश्रय प्रदान करने और उन्हें सुव्यवस्थित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसे दीर्घावधि में

आपातकालीन मोचनकर्ताओं हेतु क्षमता निर्माण पहलों में शामिल किया जाना चाहिए।

उदाहरणतः, यदि संग्रहालय में आग लगती है, तो मानकीकृत स्पिंकलर सिस्टम अथवा यहां तक कि पाउडर आधारित अग्नि शामक वस्तुतः वस्तुओं को आग और धुएं से भी अधिक हानि पहुंचा सकते हैं। अतः यह महत्वपूर्ण है कि संग्रहणों के संबंध में आपातकालीन मोचनकर्ता उपयुक्त मोचन प्रक्रिया से अवगत हों, जिसके लिए उन्हें नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

7.4 अंतरराष्ट्रीय सहयोग और आदान-प्रदान

अंतरराष्ट्रीय सहयोग, देशों के बीच विशेष रूप से सार्क नेटवर्क के बीच नेटवर्क विकसित करना संग्रहालयों के आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु क्षमता निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है।

यूनेस्को, आईसीओएम, आईसीसीआरओएम, आईसीओएमओएस आदि जैसे संस्थान इस क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यकलापों, जागरूकता बढ़ाने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु योगदान प्रदान कर सकते हैं। नवंबर 2015 में, यूनेस्को ने संग्रहालयों और संग्रहणों के संरक्षण और संवर्धन, उनकी विविधता और समाज में उनकी भूमिका पर एक पाठ को अपनाया। विशेष रूप से, अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रचलित सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों से ज्ञान अर्जित कर भारत के संग्रहालय लाभान्वित होंगे।

संदर्भ ग्रंथ सूची और स्रोत

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (2009)। प्राचीन संस्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष। नई दिल्ली : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जे पॉल गेट्टी ट्रस्ट, यू.एस.ए., ब्रिटिश म्यूजियम, यूके और राष्ट्रीय संस्कृति कोष (2013)। भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण संग्रहालयों हेतु दिशानिर्देश । भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ।

डाईस, के(1998)। संरक्षण मूल्यांकन: संग्रहालय के पर्यावरण संबंधी प्रबंधन आवश्यकताओं हेतु एक प्रस्तावित मॉडल । गेट्टी कंजरवेशन इंस्टीट्यूट, लॉस एंजेलिस ।

फॉक्स, एल एल, और पटकस, बी। (1998)। डिज़ास्टर प्रेपयर्डनेस वर्कबुक फॉर यू. एस नेवी लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स। यू. एस नेवल वॉर कॉलेज लाइब्रेरी ।

गल्ला , ए(2003, नवम्बर). रीथिंकिंग इमरजेंसी प्रेपयर्डनेस फॉर म्युज़ियम्स। सांस्कृतिक आपदा हेतु तैयारी और प्रतिक्रिया संबंधी अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी, हैदराबाद की कार्यवाही में, भारत (पृ 15-19)

भारत सरकार(2010)। प्राचीन संस्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन और सत्यापन) अधिनियम, 2010 ।

आईसीओएमओएस (1964)। स्मारकों और साइटों के संरक्षण और बहाली के लिए राष्ट्रीय चार्टर। ऐतिहासिक स्मारकों के आर्किटेक्ट्स और तकनीशियनों की दूसरी अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में।

आईसीओएमओएस ऑस्ट्रेलिया (2004/2013) । बुरा चार्टर: सांस्कृतिक महत्व के स्थानों हेतु ऑस्ट्रेलिया आईसीओएमओएस चार्टर ।

कन्नन, आर। (2003, नवंबर) सरकारी संग्रहालय, चेन्नई में आपदा प्रबंधन योजना । सांस्कृतिक धरोहर आपदा तैयारी और मोचन की अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यवाही, सलार जंग संग्रहालय, हैदराबाद, भारत (पृ 23-27)।

लुईस, जी। (2004)। संग्रहालयों की भूमिका और नैतिकता के व्यावसायिक कोड । रनिंग अ म्यूजियम : अ प्रैक्टिकल हैंडबुक, आईसीओएम-अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय परिषद।

मेनेगाज़ी, सी। (2008)।म्युज़ियम्स इमरजेंसी प्रोग्राम- ओरिजिन , पास्ट इवेंट्स एंड फ्यूचर डेवलप्मेंट। कल्चरल हेरिटेज डिज़ास्टर।

पीटरसन, के. एम. (2006)।डिज़ास्टर प्रिप्रेयर्डनेस एंड रिकवरी फॉर म्युज़ियम्स: अ बिजिनेस रिकवरी मॉडल।

रेड्डी. एस. (2003, नवंबर), सलार जंग संग्रहालय में अभ्यास व्यायाम। सांस्कृतिक धरोहर आपदा तैयारी और मोचन की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यवाही, हैदराबाद, भारत (पृष्ठ 149-153)।

स्मिथ, के। (2013)। एनवायरमेंटल हैज़ार्डस : असेसिंग रिस्क एंड रेडूसिंग डिज़ास्टर. रूटलेज।

सोडरलुंड कंसेल्टिंग (फर्म) (2000)। बी प्रिपेयर्ड : गाइडलाइन्स फॉर स्माल म्युज़ियम्स फॉर राइटिंग अ डिज़ास्टर प्रिप्रेयर्डनेस प्लान। कॉमनवेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन्स, इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द आर्ट्स ।

थापर, आर (2014, जनवरी), भारतीय संग्रहालय, कोलकाता, के बीसेंटेनियल में दिया गया टॉक, जनवरी 2014 । http://www.india-seminar.com/2014/659/659_romila_thapar.htmसे लिया गया ।

टंडन, ए (2003, नवंबर)। जम्मू-कश्मीर में सांस्कृतिक विरासत संबंधी आपातकाल को समाप्त करने और उसका जवाब देने में सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता। सांस्कृतिक विरासत आपदा तैयारी और मोचन की अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हैदराबाद, भारत की कार्यवाही में, (पृष्ठ -155-158)

यूएनआईएसडीआर (2005, मार्च)। 2005-2015 की कार्रवाई के लिए हयोगो कार्य ढांचा: आपदाओं के लिए राष्ट्रों और समुदायों में तनयकता का निर्माण। आपदा न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन की अंतिम रिपोर्ट से उद्धरित (ए / कॉन्फ. 206/6) (वॉल्यूम 380)

यूएनआईएसडीआर, एम (2009)। आपदा जोखिम में कमी के लिए यूएनआईएसडीआर टर्मिनोलॉजी । आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय कार्यनीति (यूएनआईएसडीआर) जिनेवा, स्विट्जरलैंड ।

वालर, आर (1994). कंजर्वेशन रिस्क असेसमेंट : अ स्ट्रेटजी फॉर मेनेजिंग रेसोर्सेस फॉर प्रिवेंटिव कंजर्वेशन स्टडीस इन कंजर्वेशन, 39 (अनु 2), 12-16

वालर, आर (1996)। बड़े और विविध संग्रहणों के लिए निवारक संरक्षण योजना। संग्रह का संरक्षण: आंकलन, मूल्यांकन और न्यूनीकरण रणनीतियां, प्रीजर्वेशन ऑफ कलेक्शंस :असेसमेंट, इवेलुएशन अंड मिटिगेशन स्ट्रेटजी ,1-9।

यूएनआईएसडीआर (2015) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सैंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030 ।

आपातकालीन योजना बनाना: संग्रहालयों और अन्य सांस्कृतिक संस्थानों के लिए एक गाइड। गेटी प्रकाशन, 2000।

स्टोवेल, एच (1998)। जोखिम के प्रति तैयारी: विश्व सांस्कृतिक विरासत के लिए एक प्रबंधन नियम पुस्तिका।

देस्वाल्ले, ए, और मेरीस, एफ (एड्स।)। (2010)। की कौन्सेप्ट्स ऑफ म्यूजियोलोजी. आर्मंड कॉलिन।

बारबरा ओ रॉबर्ट्स, जे.के. (2009)। संग्रहालयों के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन। ताशकंद: यूनेस्को।

संस्कृति विभाग (1997, 9 जनवरी)। सार्वजनिक रिकॉर्ड नियम 1997. नई दिल्ली: भारत सरकार।

हेक्कमैन, डब्ल्यू। (2010)। हैंडबुक ऑन एमरजेंसी प्रोसिजर्स. । नीदरलैंड: आईसीएमएस और आईसीओएम

आईसीओएम, आईसीएमएस (एन.डी.) संग्रहालयों में आपदा तैयारी के लिए दिशानिर्देश। संग्रहालय सुरक्षा और संरक्षण में।

आईसीओएमओ (2005, 16 जनवरी)। क्योटो घोषणा 2005 सांस्कृतिक सम्पत्तियों, ऐतिहासिक क्षेत्रों के संरक्षण और आपदाओं में हानि के उपरांत उनकी सेटिंग्स पर क्योटो उद्घोषणा : क्योटो आईसीओएमओएस

माजा एकोसारी, एस. जे (2015) संग्रहालय के संग्रहणों की प्रबंधन नीति के लिए एक चेकलिस्ट नेशनल एंटीक्यूटीस बोर्ड।

शिक्षा और युवा सेवाएं मंत्रालय । (1977, 28 फरवरी), भारतीय संग्रहालय उप-कानून। नई दिल्ली: भारत सरकार।

कानून और न्याय मंत्रालय। (2010, 23 जनवरी)। प्राचीन संस्मारक और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष (संशोधन और सत्यापन) अध्यादेश, 2010. नई दिल्ली: भारत सरकार ।

मूर, बी . (2004, फरवरी)। आपदा साइट पर संग्रह के नुकसान का दस्तावेज़ीकरण ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। (2009, 22 अक्टूबर) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति, दिल्ली :राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। (2010, सितंबर)। बैंकों और अन्य ऋण डाटा संस्थानों के माध्यम से वित्तपोषित आपदा स्थिति में तन्यक भवनों और अवसरचना का निर्माण सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिशा निर्देश, नई दिल्ली: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (2016, मई)। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। नई दिल्ली : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (2016, फरवरी)। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दिशानिर्देश,- स्कूल सुरक्षा नीति। नई दिल्ली : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति ।

राष्ट्रीय संग्रहालय, उत्तरी आयरलैंड। (2015, 20 मार्च) कलेक्शन केयर एंड कंजर्वेशन पौलिसी।

ओ कौनर, डीवी (2000), आपातकालीन योजना। संग्रहालय हैंडबुक (पृष्ठ 10: 1-10: 57)

रित्सुमेकन विश्वविद्यालय, (2016), सांस्कृतिक विरासत के आपदा जोखिम प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (आईटीसी) । सांस्कृतिक विरासत और जोखिम प्रबंधन पर यूनेस्को चेयर कार्यक्रम, क्योटो: शहरी सांस्कृतिक विरासत के लिए आपदा निवारण संस्थान, रित्सुमेकन विश्वविद्यालय ।

स्टीव फ्लोरे, टीके (2003), संग्रहालय संग्रह का दायरा। संग्रहालय हैंडबुक में (पृष्ठ 2:1-2: 29) ।

यूनेस्को (2010, जून)। विश्व विरासत के लिए आपदा जोखिम प्रबंधन। पेरिस, फ्रांस: यूनेस्को।

यूनेस्को, आईसीसीआरओएम और स्मिथसोनियन विश्वविद्यालय (एन.डी.)। क्राइसिस के समय सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित प्राथमिक उपचार ।

अनुबंध

1. संग्रहालयों की राज्य-वार सूची
2. संग्रहालय के प्रकार और संग्रहालय के संग्रहणों का परिचय
3. संग्रहालयों और जोखिमों की राज्य-वार रूपरेखा
4. राष्ट्रीय और राज्य पुरातात्विक कृत्यों की सूची
5. जोखिम मूल्यांकन हेतु मूलभूत जांच-सूची
 - 5.1 जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया
 - 5.2 खतरों का अभिज्ञान
 - 5.3 संवेदनशीलता की पहचान करना- एक परिचायक जांच-सूची
6. आपातकालीन स्थिति में तैयार रहने और मोचन हेतु जांच-सूची
 - 6.1 आपातकाल स्थिति में प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहने हेतु जांच-सूची
 - 6.2 निकासी हेतु परिचायक जांच सूची
 - 6.3 भवनों और अवसंरचना के मूल्यांकन हेतु जांच-सूची
 - 6.4 संग्रहणों हेतु जांच-सूची
7. नेशनल बिल्डिंग कोड से संदर्भ

अनुबंध

1. संग्रहालयों की राज्य-वार सूची

राज्य	संग्रहालय के नियंत्रक निकाय											
	भारतीय पुरातात्व सर्वेक्षण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	निजी/ सार्वजनिक निकाय	बोर्ड	निजी	विश्व विद्यालय / कालेज	पंजीकृत संस्था	नगर निगम	केन्द्र सरकार के स्वायत्त/ वित्त निकाय	स्वायत्त	गांधी स्मृति न्यास
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह		2								1		
आंध्र प्रदेश	4	4	28	4	1	1			1	2		
अरुणाचल प्रदेश			13				9					
असम	1	1	14	1		1		2		1		
बिहार	4	6	15			2	1	2				
चंडीगढ़		1	1				4					
छत्तीसगढ़		1	1				1					
दिल्ली	5	19		7		2	1	3		3		
गोवा	1	2	1	5		4		2		1		
गुजरात	2	3	13	17		2	7		4	1		3
हरियाणा	1	1	2	1	1	1		1		1		
हिमाचल प्रदेश	1	2	3	1		3	2			1		
जम्मू एंड कश्मीर		2	2	1		2	1	4				
झारखंड		2	3				1	1				

कर्नाटक	6	11	9	3		2	13	2		2		
केरल	1	3	13	1		9	1	2		1		
मध्य प्रदेश	4	12	24	3		4	4	3	1	1		
महाराष्ट्र		8	12	8		7	2	3	3	2		
मणिपुर			10	1		11	2	4				
मेघालय		2	4					2				
मिजोरम			4					1				
नागालैंड			1					1				
ओडिशा	2	3	18	1		4	2			3		
पुदुचेरी			2									
पंजाब	1	1	10			1	3			1		
राजस्थान	2	6	23	12		4		3				
तमिलनाडु	1	6	35	8		5	10	6		1	2	
त्रिपुरा			2			1						
उत्तर प्रदेश	4	16	22	5		3	31	6		3	1	1
उत्तराखंड	1	14	2			1	6	3		2		
पश्चिम बंगाल	3	14	14	9		14	8	5		10	4	1

2. संग्रहालयों के प्रकार और संग्रहालय संग्रहणों का परिचय

संग्रहालयों का प्रकार-कुछ उदाहरण

विषय-वस्तु के आधार पर

- पुरातात्विक
- ललित कला
- कला और शिल्प
- वस्त्र
- सिक्के
- प्राकृतिक
- शस्त्र एवं हथियार
- आभूषण

सामग्री के आधार पर

- काष्ठ/लकड़ी
- कागज
- वस्त्र
- धातु
- चीनी मिट्टी
- पत्थर
- कांच टेराकोटा
- अस्थि (हड्डी)/चर्म (खाल)

3. संग्रहालयों और खतरों की राज्य-वार रूपरेखा

राज्य का नाम	संग्रहालयों की संख्या	खतरे						
		भूकंप	बाढ़	तेज हवा संबंधी खतरे	सुनामी	चक्रवात	भूस्खलन	
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह		जोन- V				उच्च प्रति संवेदनशीलता (भारतीय सूनामी 2004)	उच्च प्रति संवेदनशीलता (चक्रवात हुदहुद 2014)	
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	40	जोन-III मध्य एवं दक्षिण और II (उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम)				उच्च प्रति संवेदनशीलता (भारतीय सूनामी 2004)	उच्च प्रति संवेदनशीलता (चक्रवात हुदहुद 2014)	
अरुणाचल प्रदेश	13	जोन-V	ब्रह्मपुत्र नदी के कारण राज्य के कुछ भूभागों में वार्षिक बाढ़			लागू नहीं	लागू नहीं	उच्च संवेदनशीलता
असम	30	जोन-V	मानसून के समय वार्षिक बाढ़			लागू नहीं	लागू नहीं	
बिहार	26	जोन-V(उत्तर मध्य) IV (दक्षिण), (उत्तर) और III (दक्षिण)	कोशी नदी के कारण वार्षिक बाढ़			लागू नहीं	लागू नहीं	
चंडीगढ़		जोन-IV				लागू नहीं	लागू नहीं	
छत्तीसगढ़		जोन- III और II				लागू नहीं	संवेदनशीलता (चक्रवात हुदहुद 2014)	
दिल्ली	35	जोन-IV	यमुना नदी के समीप के क्षेत्रों में मानसून के समय बाढ़			लागू नहीं	लागू नहीं	
गोवा	15	जोन- III					तटीय सीमा के कारण संवेदनशील	संवेदनशील

गुजरात	50	जोन-V(उत्तर एवं उत्तर पश्चिम) जोन-IV (मध्य), जोन III (दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम)				संवेदनशील (चक्रवात येमयिन, 2007)	संवेदनशील
हरियाणा		जोन-IV (उत्तर-पूर्व और दक्षिण- पूर्व), जोन-III (पश्चिम)			लागू नहीं	लागू नहीं	
हिमाचल प्रदेश	12	जोन-V(पश्चिम), बाकी राज्य जोन-IV के अंतर्गत आता है			लागू नहीं	लागू नहीं	संवेदनशील
जम्मू एवं कश्मीर	12	जोन-V(उत्तर-पश्चिम), बाकी राज्य जोन-IV के अंतर्गत आता है			लागू नहीं	लागू नहीं	संवेदनशील
झारखंड		जोन- III- II			लागू नहीं	लागू नहीं	
कर्नाटक	42	जोन- III- II				संवेदनशील (चक्रवात फायन, 2009)	संवेदनशील
केरल	30	जोन- III			उच्च प्रति संवेदनशीलता (भारतीय सूनामी 2004 और 2012 में)	संवेदनशील (श्रीलंका चक्रवात, 2000)	
मध्य प्रदेश	51	जोन- III- II			लागू नहीं	संवेदनशील (चक्रवात हुदहुद 2014)	
महाराष्ट्र	45	जोन-IV,III और II				संवेदनशील (चक्रवात फायन, 2009)	संवेदनशील
मणिपुर	29	जोन- V			लागू नहीं	लागू नहीं	संवेदनशील
मेघालय		जोन- V			लागू नहीं	लागू नहीं	संवेदनशील
मिजोरम		जोन- V			लागू नहीं	लागू नहीं	संवेदनशील
नागालैंड		जोन- V			लागू नहीं	लागू नहीं	संवेदनशील
ओडिशा	30	जोन- III-II			उच्च संवेदनशीलता (सूनामी 1999 और 2004 में)	उच्च संवेदनशीलता (चक्रवात हुदहुद 2014)	

पुदुचेरी		जोन-II			उच्च संवेदनशीलता (भारतीय सूनामी 2004)	संवेदनशील (चक्रवात हुदहुद 2014)	
पंजाब	16	जोन-IV (उत्तर),जोन-III (दक्षिण)			लागू नहीं	लागू नहीं	
राजस्थान	48	जोन-IV (पश्चिम), जोन			लागू नहीं	लागू नहीं	
तमिलनाडू	72	जोन- III-II			उच्च प्रति संवेदनशीलता (भारतीय सुनामी 2004)	उच्च प्रतिसंवेदनशील (चक्रवात मडी,2013)	
त्रिपुरा		जोन-V			लागू नहीं	लागू नहीं	संवेदनशील
उत्तर प्रदेश	88	जोन-IV (उत्तर-पूर्व एवं उत्तर पश्चिम), जोन-III(मध्य) जोन-II जोन-I (दक्षिण)			लागू नहीं	संवेदनशील (चक्रवात हुदहुद 2014)	
उत्तराखंड	28	जोन-V (पूर्व) जोन-IV (पश्चिम)			लागू नहीं	लागू नहीं	
पश्चिम बंगाल	77	जोन-IV, III और II			तटीय सीमा के कारण संवेदनशील.	संवेदनशील (चक्रवात ऐला, 2009)	

संग्रहालय का नाम		खतरे											
		प्राकृतिक खतरे						मानव जनित खतरे					
		भूकंप	भूस्खलन	नदी की बाढ़	आकस्मिक बाढ़	तेज हवा संबंधी खतरे	उपद्रव	भगदड़	आग	नाभिकीय खतरा	स्थापना वर्ष	कुल क्षेत्र	आगंतुकों की संख्या
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय	नई दिल्ली	जोन-IV	लागू नहीं			अत्याधिक क्षतिपूर्ण जोखिम क्षेत्र (वेग=50मी./से.)	संवेदनशील		संवेदनशील	लागू नहीं	1936		
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय	मुंबई	जोन-III	लागू नहीं			उच्च क्षतिपूर्ण जोखिम क्षेत्र (वेग=47 मी./से.)	संवेदनशील			बी एआर सी न्यूक्लियर पावर प्लांट की उपस्थिती के कारण संवेदनशील			
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय	बंगलौर	जोन-III	लागू नहीं			कम जोखिम भरा क्षेत्र (वेग=33 मी./से.)	संवेदनशील			लागू नहीं		3.5 एकड़	
सलारजंग संग्रहालय	हैदराबाद	जोन-II	लागू नहीं			उच्च क्षतिपूर्ण जोखिम क्षेत्र (वेग=47 मी./से.)	संवेदनशील		संवेदनशील (आग नवम्बर 3, 2006)	लागू नहीं		10 एकड़	
विक्टोरिया मेमोरियल	कोलकाता	जोन- IV	लागू नहीं			अत्याधिक क्षतिपूर्ण जोखिम क्षेत्र (वेग=50 मी./से.)	संवेदनशील			लागू नहीं	1921	5.7	2013-14 में 20 लाख
इलाहाबाद संग्रहालय	इलाहाबाद	जोन-III	लागू नहीं			उच्च क्षतिपूर्ण जोखिम क्षेत्र)वेग 47=मी.(से./	संवेदनशील			लागू नहीं	1931		
सांस्कृतिक संपत्ति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय शोध प्रयोगशाला	लखनऊ	जोन-III	लागू नहीं			उच्च जोखिम क्षेत्र (वेग=47 मी./से.)	संवेदनशील			लागू नहीं	1976		
राष्ट्रीय संग्रहालय	नई दिल्ली	जोन- IV	लागू नहीं			उच्च क्षतिपूर्ण जोखिम क्षेत्र)वेग 47=मी.(से./	संवेदनशील			लागू नहीं	1949		
इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संबंधी राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान	नई दिल्ली	जोन- IV	लागू नहीं			उच्च क्षतिपूर्ण जोखिम क्षेत्र (वेग=47 मी./से.)	संवेदनशील			लागू नहीं	1989		
भारतीय संग्रहालय	कोलकाता	जोन- IV	लागू नहीं			अत्याधिक क्षतिपूर्ण जोखिम क्षेत्र (वेग=50 मी./से.)	संवेदनशील			लागू नहीं	1814		

4. राष्ट्रीय और राज्य पुरातात्विक अधिनियमों की सूची

राष्ट्रीय पुरातात्विक अधिनियम

- ट्रेजर ट्रॉव अधिनियम, 1878
- प्राचीन संस्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904
- प्राचीन संस्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958
- प्राचीन संस्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष नियम, 1959
- पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972
- पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति नियम, 1972
- पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति नियम, 1973
- प्राचीन संस्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन एवं मान्यता अधिनियम, 2010)

राज्य पुरातात्विक अधिनियम

- आंध्र प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960-2001 में संशोधन
- अरुणाचल प्रदेश प्राचीन संस्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष संरक्षण अधिनियम, 1990
- असम प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1959
- बिहार प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम और कला खजाना, 1976
- प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 2004
- गोवा, दमन और दीव प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1978
- गुजरात प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1965
- हिमाचल प्रदेश पुरातात्विक संस्मारक स्थल अधिनियम, 1976
- जम्मू और कश्मीर प्राचीन संस्मारक संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2010
- कर्नाटक पुरातत्व संस्मारक स्थल अधिनियम, 1961
- कर्नाटक ट्रेजर ट्रॉव अधिनियम, 1963
- केरल प्राचीन संस्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1968
- मध्य प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1964
- महाराष्ट्र प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1960
- मेघालय हेरिटेज अधिनियम, 2012
- मैसूर प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल नियम, 1965
- ओडिशा प्राचीन संस्मारक संरक्षण अधिनियम, 1956

- पंजाब प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1964
- राजस्थान संस्मारक, पुरातात्विक स्थल और पुरावशेष अधिनियम, 1961
- तमिलनाडु प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1966
- तेलंगाना हेरिटेज (बचाव, संरक्षण, सुरक्षा और अनुरक्षण) अधिनियम, 2017
- त्रिपुरा प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1997
- उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक, पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1956
- पश्चिम बंगाल ऐतिहासिक संस्मारकों तथा वस्तुओं का संरक्षण और पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन अधिनियम, 1957

5 जोखिम मूल्यांकन हेतु मूलभूत जांच-सूची

5.1 जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया

कार्रवाई	करने का समय
मौसम विज्ञान, जलविज्ञान और भू-विज्ञान आधार पर सभी प्राकृतिक जोखिमों की पहचान करना	आपदा प्रबंधन योजना स्तर पर
क्षेत्र में पूर्ववर्ती आपदाएं और उनके प्रभाव की सूची	
प्रतिस्वेदनशीलता की पहचान करते हुए भवन तथा मूलभूत अवसंरचना का मूल्यांकन	आपदा प्रबंधन योजना स्तर पर और उसके बाद वार्षिक आधार पर
संग्रहणों के मूल्यों और जोखिम की प्राथमिकता के आधार पर विस्तृत सूची	
प्रबंधन और स्टाफ संबंधी मुद्दों का मूल्यांकन	
संभावना और प्रभाव के आधार पर जोखिमों की सूची तैयार करना	

5.2 खतरों की पहचान करना

प्राकृतिक खतरे

नाम	राष्ट्रीय जोन	सूक्ष्म क्षेत्र	क्षेत्र में पूर्ववर्ती घटना	संभावित प्रभाव
भूकंप				
सुनामी				
चक्रवात				
नदी से उत्पन्न बाढ़				
आकस्मिक आई बाढ़				
उष्णकटिबंधीय तूफान				
धूल भरी आंधी				
वन्य क्षेत्र में आग/जंगली आग				
महामारी/कीट आक्रमण				
अन्य (कृपया स्पष्ट करें)				

मानव जनित खतरे				
नाम	संबंधित घटक	संभावना	क्षेत्र में पूर्ववर्ती घटना	संभावित प्रभाव
आगजनी				
विवाद				
आतंकवाद				
उपद्रव				
रासायनिक दुर्घटना				
औद्योगिक दुर्घटना				
आग से दुर्घटना				
अन्य (कृपया स्पष्ट करें)				
अन्य (कृपया स्पष्ट करें)				

5.3 संवेदनशीलता की पहचान करना- एक संकेतात्मक जांच-सूची

भवन, आस-पास का परिसर और अवसंरचना

- भवन में संरचनात्मक संकट जैसे कि दरारें, सेटलमेंटस आदि जैसे लक्षण दिखते हैं।
- भवन की बनावट के कारण सभी क्षेत्रों तक पहुंचना सरल नहीं है।
- भवन की बनावट के कारण सभी क्षेत्रों को मॉनीटर करना कठिन है।
- भवन उच्च जोखिम क्षेत्र में स्थित है जहां आपातकालीन सेवाओं की पहुंच कठिन है।
- भवन आस-पड़ोस के परिसर के मुकाबले निम्न तल पर स्थित है और आस-पास जलनिकासी सुविधाएं अपर्याप्त हैं।
- बिजली के तार पुराने, बेकार, खुले हैं और विद्युत्तीय तंत्र पर अत्यधिक दबाव है।
- विद्युत वितरण तंत्र या तो खुला पड़ा है अथवा संस्थापना अनुचित है।
- छत और छप्परो से जल निकासी सुविधा पर्याप्त नहीं है अथवा खराब है।
- बरसाती क्षेत्रों में जल निकासी सुविधा पर्याप्त नहीं है अथवा खराब है।
- सीवेज प्रणाली पुरानी, अपर्याप्त अथवा खराब है।
- प्राकृतिक तरीके से भवन में वायु संचलन अपर्याप्त है।
- यांत्रिक ढंग से वायु संचलन अपर्याप्त है।
- संग्रहालय में, विशेषतः जहां संग्रहणों को प्रदर्शित और भंडारित किया गया है, आर्द्रता और तापमान में अत्यधिक उतार-चढ़ाव है।
- आर्द्रता और तापमान की मॉनीटरिंग नहीं की जाती अथवा अपर्याप्त है।
- कीट नियंत्रक प्रक्रिया अपर्याप्त हैं।

- प्रकाश व्यवस्था अपर्याप्त है और आपातकालीन स्थिति हेतु वैकल्पिक व्यवस्था (बैक-अप) उपलब्ध नहीं है।
- आगुंतकों के लिए निर्देश बोर्ड अपर्याप्त हैं।
- प्रवेश और निकास द्वारों के निर्धारण में नियमों का पालन नहीं किया गया।
- प्रवेश और निकास द्वार या तो अवरूद्ध हैं और दुर्गम हैं।
- संग्रहालय में विशेषतः प्रतिबंधित क्षेत्रों में पहुंच से खिलवाड़/छेड़-छाड़ संभव है।

आगुंतक प्रबंधन और सुरक्षा प्रणाली

- अपर्याप्त सुरक्षा कार्मिक।
- अपर्याप्त प्रबंधन कार्मिक।
- अपर्याप्त ढंग से प्रशिक्षित सुरक्षा कार्मिक।
- अपर्याप्त आटोमेटिड सुरक्षा प्रणाली अथवा उसका प्रभाव।
- संग्रहालय को बंद करने और खोलने हेतु स्पष्ट दिशानिर्देशों का अभाव।
- आपातकालीन स्थिति में मैनुअल बैक-अप की कमी।
- आपातकालीन स्थिति में प्रोटोकॉल की व्यवस्था नहीं है।
- आपातकालीन स्थिति में संपर्क हेतु कोई सूची नहीं है।
- सभी स्टाफ सदस्यों की पृष्ठभूमि की जांच।

संग्रहण प्रबंधन

- संग्रहणों को प्रलेखित नहीं किया गया है अथवा आंशिक रूप से प्रलेखित किया गया है।
- सभी वस्तुओं की अवस्थिति ज्ञात नहीं है।
- संग्रहालय में भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित होने पर भी शेल्विंग सिस्टम भूकंप मानकों के अनुरूप नहीं है।
- अलमारियों पुरानी, अधिक भरी हुई, अनुचित रूप से भरी गई हैं।
- पुरालेख संग्रहणों को नमी-रोधी बॉक्सों में नहीं रखा गया है।
- संग्रहणों को फर्श पर अथवा फर्श के समीप भंडारित किया गया है।
- मूल्यवान संग्रहणों को खिड़कियों, रोशनदानों, नालियों अथवा ज्वलनशील सामग्री के पास रखा गया है।
- जलवायु नियंत्रण हेतु कोई यंत्र मौजूद नहीं है।
- भवन निर्धारित समय से अधिक बंद रखा जाता है।
- कीट नियंत्रण अथवा जैविक नियंत्रण की व्यवस्था नहीं है।
- दीमक, कीट, काई, फफूंदी लगने के संकेत दिखाई देते हैं।

- संग्रहणों को भू-तल के नीचे भंडारित किया गया है।
- संग्रहणों को अटारी में भंडारित किया गया है।

जटिल अवसंरचना

- संग्रहालय में आग का पता लगाने हेतु कोई सिस्टम नहीं हैं।
- भवन में अग्नि हार्डिडेंट, अग्नि शामकों, स्प्रिंकलरों आदि जैसे अग्नि नियंत्रक साधन मौजूद नहीं है।
- संग्रहालय में जलवायु मानीटरिंग प्रणाली नहीं है।
- सुरक्षित निकासी योजना मौजूद नहीं है।
- सुरक्षित निकासी पथ प्रदर्शकों को स्पष्ट रूप से और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया गया है।
- आपातकालीन स्थिति में लिफ्ट में ऑटोमेटिक बैक-अप और कट-ऑफ सिस्टम है।
- आग के समय प्रयुक्त सीढ़ियों और दरवाजे मौजूद नियमों के अनुसार हैं।
- संग्रहालय में आपातकालीन आपूर्तियां उपलब्ध हैं ।
- सभी जटिल अवसंरचनाओं की नियमित जांच और निगरानी की जाती है।

6. आपातकालीन स्थिति में तैयार रहने और मोचन हेतु जांचसूची

6.1 आपातकालीन मोचन हेतु तैयारी के लिए जांचसूची

कार्रवाई	हां/नहीं/पता नहीं
आपातकालीन अथवा आपदा की स्थिति में सभी स्टाफ कर्मचारियों को उनकी भूमिका और उत्तरदायित्वों की जानकारी है।	
संपर्क व्यक्तियों की एक डायरेक्टरी मौजूद है और अद्यतन संपर्क विवरण के साथ प्रमुख स्थलों पर रखी गई है।	
स्थानीय आपातस्थिति में स्थानीय सहायता प्रदाताओं को पथों और प्रमुख क्षेत्रों, जिन पर आपातकालीन अथवा आपदा की स्थिति में ध्यान देने की आवश्यकता है, से अवगत कराने हेतु प्रारंभिक संपर्क किया गया है।	
आपातकालीन संपर्क सूची मौजूद है और स्टाफ को उपलब्ध है	
संग्रहालय में सभी सुविधाओं से लैस एक प्राथमिकी चिकित्सा किट उपलब्ध है और उसकी नियमित रूप से जांच और पुनः आपूर्ति की जाती है।	
तारपोलीन शीट्स, कारडोनिंग टेप, फ्लैशलाइट्स, दस्ताने, मास्क आदि जैसी मूलभूत आपातकालीन आपूर्तियाँ उपलब्ध हैं।	
अग्नि शामक प्रचालनात्मक स्थिति में है और स्टाफ सदस्य उनके उपयोग से परिचित हैं।	
मूल्यवान संग्रहणों वाले प्रमुख क्षेत्र सुरक्षित हैं और वैकल्पिक सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं।	
सभी प्रमुख क्षेत्रों में आग का पता लगाने वाले सिस्टम लगाए गए हैं।	
ऑटोमेटिड और मैनुअल, दोनों मूलभूत सुरक्षा सिस्टम लगाए गए हैं।	

6.2 सुरक्षित निकासी हेतु संकेतात्मक जांच-सूची

निकासी हेतु तैयार रहने के लिए जांच-सूची	
सुरक्षित निकासी योजना	प्रास्थिति
प्रमुख परिचालन क्षेत्रों के समीप प्रत्येक तल पर निकासी पथों सहित बिल्डिंग के नक्शे का एक चित्रात्मक प्रदर्शन किया गया है।	
सरल, स्पष्टतः प्रदर्शित और आसानी से समझ में आने वाले सुरक्षित निकासी पथ हैं।	
सभी प्रमुख परिचालन पथ राष्ट्रीय और राज्य भवन निर्माण मानकों और भवन निर्माण संबंधी उप-नियमों का अनुपालन करते हुए बनाए गए हैं और ये बाधा-रहित हैं और यथासंभव रूप से सभी के लिए सुगम्य हैं।	

सभी निकासी पथों में लोगों तथा वस्तुओं के लिए संग्रहालय के भीतर तथा आसपास के क्षेत्र में - विनिर्दिष्ट शरण स्थान होने चाहिए।	
प्रमुख परिचालन क्षेत्रों पर इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए	
सभी आपातकालीन द्वारों और अग्नि बचाव हेतु द्वारों तथा अग्नि बचाव हेतु टॉवर प्रचालनात्मक होने चाहिए और बाधा रहित रखे जाने चाहिए	
एक आश्रय स्थान, जहां निकासी के बाद लोग इकट्ठा हो सकें, निर्दिष्ट होना चाहिए।	
आश्रय स्थान पर लोगों के इकट्ठा होने की प्रक्रिया	
आपातकालीन द्वारों के समीप अभिज्ञात स्थानों पर आपात स्थिति निर्देश बोर्ड लगाए गए हैं और वे बी आई मानकों के अनुरूप हैं।	
सभी स्टाफ सदस्यों को निकासी योजना और पथों तथा शरण स्थानों की जानकारी है।	
बहुत बार अभ्यास करके निकासी योजना का परीक्षण किया गया है।	

6.3 भवनों और अवसंरचना मूल्यांकन के लिए जांच-सूची

भवन जांचसूची			
आपदा/आपातस्थिति की प्रकृति			
तिथि और समय			
क्या आपदा/आपातस्थिति की जारी है	जारी है	समाप्त	
क्या आपदा/आपात मोचन पूरा कर लिया गया है	जारी है	पूरा कर लिया गया है	
क्या भवन को प्रवेश हेतु सुरक्षित घोषित कर दिया गया है।	सुरक्षित	असुरक्षित	जाँच नहीं की गई
पुनः प्रवेश हेतु भवन को किसने सुरक्षित घोषित किया			
हानि किस स्तर तक हुई है	गंभीर	सामान्य	आम
संरचना को कोई नुकसान पहुंचा है	नहीं	जानकारी नहीं	नहीं
क्या जोखिम के घटक अभी मौजूद हैं	धुआं	पानी	रसायन
	गर्मी	नमी	गैस
	राख	काई	कण
	मलबा	कीट	धूल
क्या सभी स्थान सुगम्य हैं	हाँ	पता नहीं	जी नहीं

6.4 संग्रहालयों की जांच-सूची

कुछ मूलभूत सुव्यवस्था करने वाली प्रक्रियाओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है (सोदरलुंड 2000, आईसीसीआर ओएम 2008)। कृपया नोट करें कि संग्रहणों का मूल्यांकन और सुव्यवस्था करने का काम विशेषज्ञों/प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा किया जाए

हानि की श्रेणी	प्रभाव	संभव स्थिरीकरण उपचार
आग से हानि	इसमें सामग्री को आंशिक अथवा पूरी तरह से विघटित करते हुए कालिख की जमावट, धुंए से नुकसान, रंग खराब होना, बिगड़ना, तोड़ना मरोड़ना, राख बनना, फफोले बनना और अग्नि शामक प्रक्रियाओं से जल की हानि आदि शामिल हो सकती है।	सामग्री, समेकन आदि के आधार पर शुष्क सतही सफाई, अथवा आद्र स्वच्छता
पानी से हानि	इसमें नमी, धूल और मिट्टी से दूषित होना, सूजना, रंग खराब होना, जंग लगना, अपरदन, जैविक क्षति आदि शामिल हो सकती है।	वायु से सुखाना, ठंडा करके सुखाना, वायु संचालन, सफाई आदि
संरचनात्मक अथवा प्रभावपूर्ण क्षति	टूटा हुआ सामान, दरारें, तोड़-मरोड़, पपड़ी, लेमिनेशन, फटना, मुड़ना आदि	घिसाई, भराई, सीलेंट आदि
जैविक क्षति	काई, दीमक, कीट आक्रमण, फफूंदी लगना, पशुओं का मल अथवा सड़ा हुआ पदार्थ, सूजन, संबंधित ऊष्मा अथवा नमी आदि	गैर-रासायनिक उपचार, रासायनिक धुमीकरण, सामग्री के अनुसार कवकनाशी अथवा कीटनाशक, हवा से सुखाना, गर्म हवा से उपचार यदि उचित हो
उपद्रव से हानि	निशान लगाना, खरोंचे आना, पपड़ी उतरना, टूट-फूट आदि	सफाई समेकन

मद का नाम अथवा पहचान अथवा विवरण					
परिग्रहण संख्या यदि ज्ञात है					
वस्तु का आकार अथवा टुकड़ों की संख्या					
प्राप्ति स्थान					
स्थिति					
क्षति का प्राथमिक कारण	संरचनात्मक	आग	पानी	जैविक	अन्य
क्षति का द्वितीयक कारण	संरचनात्मक	आग	पानी	जैविक	अन्य
संरचनात्मक स्थिति	स्थिर	काफी हद तक क्षति ग्रस्त	आंशिक रूप से क्षति ग्रस्त	बहुत कम क्षतिग्रस्त	
आग	जला हुआ	राख	कालिख/धुआँ	अवस्था में परिवर्तन	
पानी	गीला/नम	अवस्था में परिवर्तन	कीचड़/गाद	सूजन	काई/फफूंदी
जैविक	दीमक	कीड़े	फफूंदी	काई	अन्य

अन्य					
जारी रहने वाला जोखिम					
क्या वस्तुओं को वर्तमान स्थिति में छोड़ा जा सकता है					
निर्दिष्ट नया स्थान					
आवश्यक विशिष्ट पैकेजिंग					
फोटोग्राफिक संदर्भ					

7. राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता से संदर्भ

भाग-4: आग और जीवन सुरक्षा

भाग-6: संरचनात्मक डिजाइन

खण्ड 1: भार, बल, और प्रभाव, आई एस 1893 (भाग-1) वर्ष 2002 से संदर्भ ग्रहित

खण्ड 2: मिट्टी एवं नींव

खण्ड 3क: काष्ठ/इमारती लकड़ी

3ख: बांस

खण्ड 4: राजगीरी/चिनाई

उपखंड 7: प्रबलित ईट और प्रबलित ईट कंक्रीट फर्श और छतें

उपखंड 8: भूकंप की ध्यान में रखते हुए विशेष मीमांसा

खण्ड5: कंक्रीट- 5क सामान्य एवं प्रबलित कंक्रीट

उपखंड 18.3: प्रभारित भार, पवन भार और हिम भार

उपखंड 18.4: भूकंप बल

उपखंड 19: संरचना की स्थिरता

उपखंड 20: अग्नि प्रतिरोधक क्षमता

भाग 7: निर्माण प्रबंधन, प्रथाएं और सुरक्षा

खंड 4: निर्माण में सुरक्षा

उपखंड 9: भवन के तत्वों के निर्माण में सुरक्षा

उपखंड 10: भवन के विध्वंस के काम में सुरक्षा

खण्ड 5: भवनों की मरम्मत, पुनर्निर्माण और सुदृढीकरण

भाग 8 भवन निर्माण सेवाएं

खंड 2 विद्युत्तीय तथा संबद्ध संस्थापनाएं

उपखंड 4

उपखंड 8

उपखंड 11

खण्ड 3: एयरकंडिशनिंग, हीटिंग और यांत्रिक वायु संचालन

खण्ड 5: लिफ्ट, एस्केलेटर और सुबह की सैर (मार्निंग वाक्स) की स्थापना

खण्ड 9: प्लम्बिंग सेवाएं

खण्ड 4: गैस सप्लाई

योगदानकर्ता

प्रमुख समिति (कोर कमेटी) के सदस्य (13 अगस्त, 2015 को गठित)

श्री कमल किशोर (अध्यक्ष), सदस्य, एनडीएमए

डॉ वी. तिरुपुगल संयुक्त सचिव, एनडीएमए

श्रीमती रिद्धि मिश्रा, उप सचिव, संस्कृति मंत्रालय, निदेशक, नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय

डॉ उर्मिला संत, निदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

डॉ. जयंत सेनगुप्ता, सचिव और क्यूरेटर, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता

श्री ज्योतिंद्र जैन, स्वतंत्र संग्रहालय विशेषज्ञ, नई दिल्ली

श्री प्रमोद कुमार के.जी., प्रबंध निदेशक, ईका सांस्कृतिक संसाधन और अनुसंधान, नई दिल्ली

डॉ रोहित जिग्यासु, यूनेस्को चेयर प्रोफेसर, आर-डीएमयूसीएच, ऋत्सुमिकन विश्वविद्यालय, क्योटो और अध्यक्ष आईसीओएमओएस इंडिया

डॉ. अंशु शर्मा, निदेशक, सीईईडीएस, नई दिल्ली

श्री आर के सिंह, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली

प्रोफेसर मानवी सेठ, डीन (अकादमिक मामले) और प्रमुख, नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट कंजरवेशन एंड म्यूसेलोजी नईदिल्ली

संकलनकर्ता

सुश्री वाणिका अरोड़ा, परामर्शदाता (हेरिटेज मैनेजमेंट), एनडीएमए

विशेषज्ञ योगदानकर्ता और समीक्षकर्ता

श्रीमतीमंजरी अग्रवाल, रिसर्च फेलो, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान

श्री दिनकर अस्थाना, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय

श्री ए एस मानेकर, महानिदेशक, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम

प्रोफेसर सरित कुमार चाधुरी, निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय,

डॉ ज्योति टोकस, क्यूरेटर, निदेशक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय

डॉ नागेंद्र रेड्डी, संयुक्त निदेशक, सालार जंग संग्रहालय

श्री हरि कुमार, क्षेत्रीय समन्वयक (दक्षिण एशिया), जियो हैजर्ड्स सोसाइटी

प्रोफेसर जानकी अंधरिया, जमशेदजी टाटा स्कूल ऑफ डिजास्टर स्टडीज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज- मुंबई

श्री अनुपम साह, कला संरक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण सीएसएमवीएस संग्रहालय कला संरक्षण केंद्रमे कला संरक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षणअध्यक्ष

श्री आर.एन. सिंह (समकालीन कला पर स्वतंत्र विशेषज्ञ)

हमसे संपर्क करें

अतिरिक्त जानकारी के लिए:

कृपया संपर्क करें:

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

भारत सरकार

एनडीएमए भवन

ए -1, सफदरजंग एनक्लेव

नई दिल्ली 110029

दूरभाष सं० + 91-11-26701700

वेबसाइट: www.ndma.gov.in